लोक सभा

समाचार – भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 20 जुलाई, 2023/ 29 आषाढ़, 1945 (शक)

संख्या 231

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

2. शपथ

पंजाब के जालंधर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री सुशील कुमार रिंकू ने पंजाबी में शपथ ली, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

3. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने श्री रतन लाल कटारिया, वर्तमान लोकसभा के सदस्य तथा तेरहवीं और सोलहवीं लोक सभा के सदस्य; श्री बालूभाऊ, *उर्फ* सुरेश नारायण धानोरकर, वर्तमान लोक सभा के सदस्य; श्री प्रकाश सिंह बादल, छठी लोक सभा के सदस्य; श्री रंजीत सिंह, सातवीं लोकसभा के सदस्य; श्री सुजान सिंह बुंदेला, आठवीं और तेरहवीं लोकसभा के सदस्य; श्री संदीपन थोराट, छठी से बारहवीं लोक सभा के सदस्य; डॉ. विश्वनधम कैनिथी, नौवीं और दसवीं लोकसभा के सदस्य; श्री अतीक अहमद, चौदहवीं लोक सभा के सदस्य; श्री त्रिलोचन कानूनगो, तेरहवीं लोक सभा के सदस्य; श्री इलियास आज़मी, ग्यारहवीं और चौदहवीं लोक सभा के सदस्य; श्री अनादि चरण दास, पाँचवीं और सातवीं से दसवीं लोक सभा के सदस्य; श्री निहाल सिंह, सातवीं और आठवीं लोकसभा के सदस्य; श्री राज करण सिंह, आठवीं लोकसभा के सदस्य के निधन के संबंध में उल्लेख किया।

तत्पश्चात, सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

4. प्रश्न

चूंकि सभा निधन संबंधी उल्लेख किए जाने के बाद अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हो गई थी, अतः तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अतः आज की कार्यसूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 1 से 20 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 230 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

(लोक सभा पूर्वाह्न 11.11 बजे स्थगित हुई और अपराह्न *2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)*

अपराह्न 2.00 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने संविधान के अनुच्छेद 123(2)(क) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा 19 मई, 2023 को प्रख्यापित दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (2023 का संख्यांक 1) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उप-धारा (4) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केन्द्रीय मोटर यान (उन्नीसवां संशोधन) नियम, 2022 जो 23 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 844(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय मोटर यान (बीसवां संशोधन) नियम, 2022 जो 25 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 850(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय मोटर यान (इक्कीसवां संशोधन) नियम, 2022 जो 30 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 858(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केन्द्रीय मोटर यान (बाईसवां संशोधन) नियम, 2022 जो 2 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 863(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) केन्द्रीय मोटर यान (तेईसवां संशोधन) नियम, 2022 जो 14 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 879(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) केन्द्रीय मोटर यान (चौबीसवां संशोधन) नियम, 2022 जो 16 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 885(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) केन्द्रीय मोटर यान (पच्चीसवां संशोधन) नियम, 2022 जो 19 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 888(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) केन्द्रीय मोटर यान (छब्बीसवां संशोधन) नियम, 2022 जो 26 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 901(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) केन्द्रीय मोटर यान (पहला संशोधन) नियम, 2023 जो 17 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 29(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (डीप फ्रीजरों के लेबलों पर विवरण और उनके प्रदर्शन की रीति) विनियम, 2023 जो 31 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या बीईई/एसएण्डएल/डीप फ्रीजर/128/2022-23 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) का.आ.482(अ) जो 2 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा डीप फ्रीजरों और डीप फ्रीजर के लेबल पर विवरण के प्रत्यक्ष प्रदर्शन को अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का.आ.481(अ) जो 2 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा डीप फ्रीजरों के लिए ऊर्जा खपत मानकों को अधिसूचित किया गया है।

(चार) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (हल्के वाणिज्यिक वातानुकूलकों के लेबलों पर विवरण और उनके प्रदर्शन की रीति) विनियम, 2023 जो 27 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या बीईई/एसएण्डएल/एलसीएसी/ 37/2022-23 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) का.आ.1022(अ) जो 2 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हल्के वाणिज्यिक वातानुकूलकों के लिए ऊर्जा खपत मानकों को अधिसूचित किया गया है।

(छह) का.आ.1023(अ) जो 2 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हल्के वाणिज्यिक वातानुकूलकों (एलसीएसी) और एलसीएसी के लेबलों पर विवरण के

प्रदर्शन को विनिर्दिष्ट किया गया है।

(सात) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजनों के लेबलों पर विवरण और उनके प्रदर्शन की रीति) विनियम, 2023 जो 3 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या बीईई/एसएण्डएल/यूएचडी/02/2022-23 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) का.आ.1221(अ) जो 14 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजनों के लिए ऊर्जा खपत मानकों को अधिसूचित किया गया है।

(नौ) का.आ.1222(अ) जो 14 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सरकार द्वारा अधिसूचित अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजनों और अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजनों के लेबल पर विवरण का प्रदर्शन विनिर्दिष्ट किया गया है।

(2) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए जेईआरसी (गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए जेईआरसी के विभिन्न विनियमों का अंगीकरण) विनियम, 2021, जो 4 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-जेकेएल/टेक-13/2021 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व, इसका अनुपालन और आरईसी रूपरेखा कार्यान्वयन) विनियम, 2022, जो 7 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-जेकेएल/आरईजी/2022/01 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए सलाहकार समिति का गठन) विनियम, 2022, जो 2 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-जेकेएल/आरईजी/2022/02 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (कारबार का संचालन) विनियम, 2022, जो 2 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-जेकेएल/आरईजी/2022/03 में प्रकाशित हुए थे।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 97 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (संशोधन) नियम, 2023 जो 13 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 94(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 29 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ.1296(अ) जो 20 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि प्राथमिक क्षेत्र ऋण हितलाभों का लाभ उठाने के प्रयोजनार्थ उद्यम सहायक मंच पर अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को जारी प्रमाण-पत्र उद्यम पंजीकरण प्रमाण-पत्र के समान माने जाएंगे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) की ओर से इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-23 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कौशल किशोर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवासन परिसंपत्तियों का प्रबंधन और निपटान) संशोधन विनियम, 2022 जो 17 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 753(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र (केवल हिन्दी संस्करण), जो 3 मार्च, 2023 की अधिसूचना सं. का.आ. 1045(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) दिल्ली नागरी कला आयोग अधिनियम, 1973 की धारा 26 की उप-धारा (3) के अंतर्गत दिल्ली नागरी कला आयोग (सेवा के निबंधन और शर्तें) नियम, 2023 जो 6 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 50(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण (वाणिज्यिक केंद्रों के लिए एकीकृत योजनाओं हेतु आमेलन शुल्क) विनियम, 2023 जो 29 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.5(9)2019/एओ(पी)/डीडीए में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री राजेन्द्र अग्रवाल ने वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 संबंधी संयुक्त समिति के साक्ष्य का अभिलेख

श्री राजेन्द्र अग्रवाल ने वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 संबंधी संयुक्त समिति के साक्ष्य का अभिलेख सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 2.03 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

(1) श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा झारखंड के चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण कार्य में तेजी जाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव द्वारा ओडिशा में राष्ट्रीय जनजातीय संग्रहालय की स्थापना के बारे में।

(3) श्री खगेन मुर्मु द्वारा पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में विमानपत्तन के निर्माण के बारे में।

(4) डॉ निशिकांत दुबे द्वारा खेतौरी, घटवाल-घटवार और अन्य जातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित किए जाने के बारे में।

(5) श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा झारखंड के जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में धालभूमगढ़ विमानपत्तन के निर्माण के बारे में।

(6) श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी द्वारा विदेशी एप्स पर प्रतिबंध लगाए जाने के बारे में।

(7) श्री रामदास सी. तडस द्वारा देश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कानूनों की आवश्यकता के बारे में।

(8) डॉ. संजय जायसवाल द्वारा बिहार में रक्सौल विमान पत्तन को प्रचालनशील किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री मोहनभाई कल्याणजी कुंडारिया द्वारा राजकोट और मुंबई के बीच वंदे भारत रेलगाड़ी की सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री अनुराग शर्मा द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र में मोटे अनाज के भंडारण, प्रसंस्करण और बिक्री से जुड़ी समस्याओं के बारे में।

(11) डॉ. सुजय राधाकृष्ण विखेपाटील द्वारा अहमदनगर, महाराष्ट्र में तेंदुआ बचाव केंद्र के मास्टर ले-आउट प्लान को स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री निहाल चन्द चौहान द्वारा गंगानगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक इथेनॉल संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री टी.एन. प्रथापन द्वारा मन्नुथी-वडक्कनचेरी में सड़क निर्माण और रखरखाव कार्य के बारे में।

(15) श्री हैबी ईडन द्वारा मणिपुर में जातीय संघर्ष और हिंसा के बारे में।

(16) श्री कोटागिरी श्रीधर द्वारा रेलवे में आंध्र प्रदेश के प्रशिक्षु पाठ्यक्रम पूरा कर चुके बैच संख्या 109 की नियुक्ति के बारे में।

(17) श्री अरविंद गणपत सावंत द्वारा फुटवियर उद्योग द्वारा नए बी.आई.एस. मानदण्डों की अनुपालना के लिए उन्हें ज्यादा समय दिए जाने की आवश्यकता तथा फुटवियर निर्माताओं की समस्याओं के समाधान के बारे में।

(18) डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा बिहार के गोपालगंज जिले में सबेया विमानपत्तन को विकास करने के लिए चिन्हित भूमि पर अतिक्रमण हटाए जाने के बारे में।

(19) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा राज्य वित्त निगमों (एस.एफ.सी.) के सुधार एवं पुनरुद्धार की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री कुंवर दानिश अली द्वारा उत्तर प्रदेश में वक्फ अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन के बारे में।

(21) श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील द्वारा सतारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.जी.वाई.) के कार्यान्वयन के बारे में।

(22) श्री के. सुब्बारायण द्वारा तिरुप्पुर होजियरी उद्योग के सामने आ रही समस्याओं के बारे में।

अपराह्न 2.05 बजे

(व्यवधान के कारण लोक सभा शुक्रवार, 21 जुलाई, 2023 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार – भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 21 जुलाई, 2023/ 30 आषाढ़, 1945 (शक)

संख्या 232

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 21 और 22 लिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 21 और 22 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.04 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 23 से 40 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 231 से 460 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी*

अध्यक्ष ने सदस्यों से प्रश्न काल के सुचारु संचालन के लिए अपील की।

(लोक सभा पूर्वाह्न 11.11 बजे स्थगित हुई और अपराह्न *2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)*

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) की ओर से निम्नलिखित

---

* पूर्वाह्न 11.02 बजे। मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता अधिनियम, 2021 की धारा 51 के अंतर्गत नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता (प्रशिक्षण संगठनों का प्रत्यायन) नियम, 2022 जो 13 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 178(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड तथा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-23 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) एडवांस्ड वेपन्स एण्ड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एडवांस्ड वेपन्स एण्ड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, पुणे के 17.08.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, पुणे का 17.08.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) यंत्र इंडिया लिमिटेड, नागपुर के 14.08.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) यंत्र इंडिया लिमिटेड, नागपुर का 14.08.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) (एक) एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलौर के वर्ष 2019-2020 से 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलौर के वर्ष 2019-2020 से 2021-2022 के कार्यकरण की

सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) सेंटर फॉर एयर पॉवर स्टडीज, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 से 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर एयर पॉवर स्टडीज, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 से 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. मुंजपरा महेन्द्रभाई) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. विधेयकों पर अनुमति

महासचिव ने 02 फरवरी, 2023 को सभा को दी गई पिछली सूचना के पश्चात् सत्रहवीं लोक सभा के ग्यारहवें सत्र के दौरान संसद की सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 5 विधेयक सभा पटल पर रखे:-

1. विनियोग विधेयक, 2023;

2. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2023;

3. जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2023;

4. जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2023; और

5. वित्त विधेयक, 2023 ।

महासचिव ने संसद की सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2023 की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत रूप से अधिप्रमाणित एक प्रति भी सभा पटल पर रखीं।

6. कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री पी.सी. गद्दीगौदर ने कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)(17वीं लोक सभा) प्रस्तुत किए:-

(1) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (मत्स्यपालन विभाग) से संबंधित 'तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023' संबंधी 57वां प्रतिवेदन।

(2) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) से संबंधित 'देश में लघु और सीमांत किसानों के लिए कृषि यांत्रिकीकरण में अनुसंधान और विकास' विषय पर 58वां प्रतिवेदन।

7. रक्षा संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री जुएल ओराम ने 'अंतर-सेना संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023' पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 39वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री भर्तृहरि महताब ने श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन' के बारे में समिति के 36वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 44वां प्रतिवेदन।

(2) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित 'मानव निर्मित फाइबर का विकास' के बारे में समिति के 37वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 45वां प्रतिवेदन।

(3) श्रम और रोजगार मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2023-24)' के बारे में समिति के 41वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 46वां प्रतिवेदन।

(4) वस्त्र मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2023-24)' के बारे में समिति के 42वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई

संबंधी 47वां प्रतिवेदन।

(5) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2023-24)' के बारे में समिति के 43वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 48वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05 बजे

9. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने 24 जुलाई, 2023 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य दिया।

10. प्राक्कलन समिति (2023-24) के लिए लोक सभा के एक सदस्य के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री कमलेश पासवान ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 311 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, श्री गिरीश भालचंद्र बापट, जिनका निधन 29 मार्च, 2023 को हो गया है, *के स्थान पर* प्राक्कलन समिति के कार्यकाल के समाप्त न हुए भाग के लिए, समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11. लोक लेखा समिति (2023-24) के साथ राज्य सभा के एक सदस्य के सहयोजन हेतु प्रस्ताव

डॉ. सत्य पाल सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा, श्री सुखेंदु शेखर राय, जो 18 अगस्त, 2023 को राज्य सभा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, के स्थान पर सभा की लोक लेखा समिति के कार्यकाल के समाप्त न हुए भाग के लिए, समिति के साथ सहयोजित होने के लिए राज्य सभा से एक सदस्य को नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2023-24) के लिए लोक सभा के एक सदस्य के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 331ख के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, श्री रतन लाल कटारिया, जिनका निधन 18 मई, 2023 को हो गया है, *के स्थान पर* अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के

कल्याण संबंधी समिति के कार्यकाल के समाप्त न हुए भाग के लिए, समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

13. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

(एक) श्री राजेश वर्मा ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि सभा द्वारा 24.06.2019 को स्वीकृत प्रस्ताव जो क्रम सं. 7 में अंतर्विष्ट है, की मद के पैरा (3) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्यति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की पहली बैठक की तारीख से आरंभ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) श्री राजेश वर्मा ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की पहली बैठक की तारीख से आरंभ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए समिति के साथ सहयोजित होने के लिए राज्य सभा के सदस्यों में से दस सदस्य निर्वाचित करने के लिए सहमत हो और समिति के लिए इस प्रकार निर्वाचित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

14. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

डॉ. सत्य पाल सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्यति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा श्री हरद्वार दुबे के निधन के कारण 26 जून, 2023 को उत्पन्न हुई रिक्ति और सुश्री डोला सेन की राज्य सभा से सेवानिवृत्ति के कारण 18 अगस्त, 2023 से उत्पन्न होने वाले रिक्त स्थान पर राज्य सभा के दो सदस्यों को लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के लिए निर्वाचित करे और राज्य सभा द्वारा इस संयुक्त समिति के लिए इस प्रकार नियुक्त सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.12 बजे

15. नियम 377 के अधीन मामले।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

(1) श्रीमती रीती पाठक द्वारा बाघ परियोजना के कार्यान्वयन के कारण सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की कुसमी तहसील के विस्थापित ग्रामीणों के मुआवजे की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया द्वारा राजस्थान में जयपुर से नाथद्वारा तक ब्रॉडगेज रेल लाइन के निर्माण के बारे में।

(3) श्रीमती रंजीता कोली द्वारा दिल्ली-मथुरा ईएमयू ट्रेन का डीग तक विस्तार किए जाने और राजस्थान में नदबई रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी सं. 12987/98 का ठहराव भी प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री भोलानाथ (बी.पी. सरोज) द्वारा उत्तर प्रदेश के मछलीशहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पुलों के निर्माण के बारे में।

(5) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश के मिश्रिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में अनियमितताओं के बारे में।

(6) श्री धर्मवीर सिंह द्वारा देश में और बांधों का निर्माण और नदियों को जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार के घोड़ासहन एवं बैरगनिया रेलवे स्टेशनों पर रेलगाड़ी संख्या 15655/15656 के ठहराव के बारे में।

(8) श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे द्वारा महाराष्ट्र के लातूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सभी पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री भोला सिंह द्वारा केवीएस में विवाहित कामकाजी दंपत्तियों की एक ही स्टेशन/स्थान पर तैनाती के बारे में।

(10) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा नार्थ कोयल सिंचाई परियोजना के निर्माण में तेजी लाए जाने के बारे में।

(11) डॉ. सुकान्त मजूमदार द्वारा बालुरघाट रेलवे स्टेशन के समीप खाली जमीन पर रेक प्वाइंट का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री अर्जुन लाल मीणा द्वारा राजस्थान में 'सुरखंड का खेड़ा फ्लैग रेलवे स्टेशन 'का 'वीरांगना हादीरानी सलूंबर रोड सुरखंड का खेड़ा रेलवे स्टेशन 'के नाम से पुनर्नामकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री छेदी पासवान द्वारा बिहार के कैमूर जिले में स्थित अशोक के शिलालेख स्थल को विकसित किए जाने और उस स्थल को बौद्ध सर्किट से जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी द्वारा तेलंगाना में ग्रीनफील्ड कॉरिडोर एक्सप्रेस हाईवे के अंतर्गत मलकापुर से विजयवाड़ा तक एक नया छह लेन राजमार्ग बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) एडवोकेट डीन कुरियाकोस द्वारा विश्वकर्मा दिवस तथा श्री नारायण गुरु के जन्म एवं पुण्य तिथि पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री रवनीत सिंह द्वारा विशेष रूप से पंजाब में अवैध प्रवासन के स्थाई समाधान के बारे में।

(17) श्री गौतम सिगामणि पोन द्वारा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में तीव्र वृद्धि के बारे में।

(18) डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन द्वारा एक-दूसरे से 60 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थित अतिरिक्त टोल प्लाजा को हटाए जाने और टोल टैक्स के शुल्क को युक्तिसंगत बनाए जाने के बारे में।

(19) श्री विनायक भावराव राऊत द्वारा महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान (एनआईएमपी) की स्थापना के बारे में।

(20) श्री पी.आर. नटराजन द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन के लिए लाइसेंस प्रदान करने की नीति लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा आप्रवासन चेक पाइंट बना कर कोल्लम बंदरगाह के विकास के बारे में।

अपराह्न 12.13 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा सोमवार, 24 जुलाई, 2023 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 24 जुलाई, 2023/ 2 श्रावण, 1945 (शक)

संख्या 233

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 41 से 45 के मौखिक उत्तर दिए गए।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.27 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 46 से 60 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 461 से 690 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3*. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी*

अध्यक्ष ने सदस्यों से प्रश्न काल के सुचारु संचालन के लिए अपील की।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (6) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन।

---

* पूर्वाह्न 11.26 बजे। मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का. आ. 1800(अ) जो 21 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 जनवरी, 2022 की अधिसूचना सं. का.आ.38(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का. आ. 2903(अ) जो 3 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 जनवरी, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ.19(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का. आ. 1832(अ) जो 21 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ.1533(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का. आ. 2226(अ) जो 18 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ.1533(अ) में कतिपय संशोधन

किए गए हैं।

(2) राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 35 की उप-धारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय हरित अधिकरण (प्रथाएं और प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2023 जो 24 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 215(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2023 जो 27 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 318(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ((हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.472(अ) जो 30 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मई, 2023 से विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता संव्यवहार) नियम, 2000 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता संव्यवहार) (संशोधन) नियम, 2023 जो 16 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 369(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8(क) की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.469(अ) जो 30 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के लिए मानक टैरिफ को 5% से बढ़ाकर 15% करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.473(अ) जो 1 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में तरलीकृत प्रोपेन और तरलीकृत ब्यूटेन के लिए मानक टैरिफ को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.470(अ) जो 30 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा

जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 785(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.471(अ) जो 30 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 फरवरी, 2021 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 69(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.474(अ) जो 1 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 785(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि.475(अ) जो 1 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 फरवरी, 2021 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 69(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि.254(अ) जो 1 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विदेश व्यापार नीति, 2023 की अग्रिम प्राधिकृति योजना को प्रभावशील किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। यह अधिसूचना निर्यात दायित्व और अन्य शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन सामग्रियों के आयात पर सीमा शुल्क प्रभारों में अग्रिम प्राधिकृति से छूट देती है।

(छह) सा.का.नि.255(अ) जो 1 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विदेश व्यापार नीति, 2023 के मानित निर्यातों के लिए अग्रिम प्राधिकृति योजना को प्रभावशील किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। यह अधिसूचना, कतिपय शर्तों के अध्यधीन, घरेलू विनिर्माताओं की विनिर्दिष्ट श्रेणियों को आपूर्ति के लिए अंतिम वस्तुओं के निर्माण के लिए आयातित सामग्रियों पर सीमाशुल्क प्रभारों में ऐसी प्राधिकृति से छूट देती है।

(सात) सा.का.नि.256(अ) जो 1 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विदेश व्यापार नीति, 2023 की वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकृति योजना को प्रभावशील किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। यह अधिसूचना निर्यात दायित्व और अन्य शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन किसी उत्पाद समूह के लिए सामग्रियों के आयात पर सीमाशुल्क प्रभारों में ऐसी प्राधिकृति से छूट देती है।

(आठ) सा.का.नि.257(अ) जो 1 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अग्रिम प्राधिकृति योजना के अंतर्गत निर्यात के लिए अन्यथा प्रतिषिद्ध किसी मद के निर्यात के संबंध में विदेश व्यापार नीति, 2023 में उपबंध को प्रभावशील किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। यह अधिसूचना विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन, भारत में आयातित सामग्रियों के आयात पर सीमाशुल्क प्रभारों में ऐसी प्राधिकृति से छूट देती है।

(नौ) सा.का.नि.258(अ) जो 1 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विदेश व्यापार नीति, 2023 में शुल्क मुक्त आयात प्राधिकृति (डीएफआईए) योजना को प्रभावशील करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। ऐसी प्राधिकृति निर्यात किए जाने के पश्चात् प्रदान की जाती हैं। यह अधिसूचना कतिपय शर्तों के अध्यधीन डीएफआईए से आयातित सामग्रियों पर आधारभूत सीमाशुल्क प्रभारों

में छूट देती है।

(दस) सा.का.नि.259(अ) जो 1 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विदेश व्यापार नीति, 2023 में निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) योजना को प्रभावशील करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। यह अधिसूचना निर्यात दायित्व और अन्य शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन शून्य सीमाशुल्क पर पूंजीगत माल के आयात की अनुमति देती है।

(ग्यारह) सा.का.नि.260(अ) जो 1 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विदेश व्यापार नीति, 2023 की विशेष अग्रिम प्राधिकृति योजना को प्रभावशील किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। यह अधिसूचना निर्यात दायित्व और अन्य शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन फैब्रिक के आयात पर विशेष अग्रिम प्राधिकृति से छूट देती है।

(बारह) सा.का.नि.261(अ) जो 1 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैराग्राफ 4.01(घ) के अनुसार निर्यातित वस्तुओं पर शुल्कों और करों में छूट के लिए योजना (आरओडीटीईपी) और ड्यूटी क्रेडिट के निर्गम को अभिशासित करने वाली शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन निर्यातित वस्तुओं के लिए ड्यूटी क्रेडिट के निर्गम की रीति को अधिसूचित किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 262(अ) जो 1 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विदेश व्यापार नीति, 2023 के अंतर्गत भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय की दिनांक 13 अगस्त, 2021 की अधिसूचना सं. 12015/11/2020-टीटीपी के अनुसार राज्य और केंद्रीय करों और उद्ग्रहणों की छूट के लिए योजना तथा ड्यूटी क्रेडिट के निर्गम को अभिशासित करने वाली शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन निर्यातित वस्तुओं के लिए ड्यूटी क्रेडिट के निर्गम की रीति को अधिसूचित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि.316(अ) जो 26 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित तेरह अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा.का.नि.251(अ) जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 31.03.2021 की अधिसूचना सं. 25/2021-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि.252(अ) जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 30.04.2022 की अधिसूचना सं. 22-2022-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि.277(अ) जो 10 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 31.10.2022 की अधिसूचना सं. 55/2022-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि.309(अ) जो 20 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 31.10.2022 की अधिसूचना सं. 55/2022-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि.319(अ) जो 27 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 01.01.2022 की अधिसूचना सं. 11/2022-सीमा शुल्क और 12/2022-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि.331(अ) जो 1 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित तीन अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि.332(अ) जो 1 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं और जिनमें दिनांक 16 मई, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.368(अ) में प्रकाशित उसका शुद्धिपत्र शामिल है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.नि.333(अ) जो 1 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित सत्रह अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.नि.356(अ) जो 10 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कच्चा सोयाबीन तेल (एचएस150710 10 00) और कच्चा सूरजमुखी तेल (एचएस1512 11 10) के आयात की अनुमति देना है तथा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए (डीजीएफआई द्वारा पुन: विधिमान्यकृत) 30 जून, 2023 तक टीआरक्यू लाइसेंसधारकों के लिए शून्य आधारभूत सीमाशुल्क और शून्य कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (जो कि शून्य अंत:उद्धरण टैरिफ दर है) में छूट देना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा.का.नि.383(अ) जो 23 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 की अधिसूचना सं. 62/2022-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा.का.नि.439(अ) जो 14 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 अक्तूबर, 2021 की अधिसूचना सं. 48/2021-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा.का.नि.263(अ) जो 1 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित आठ अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा.का.नि.265(अ) जो 3 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 21 जुलाई, 2015 की अधिसूचना सं. 40/2015-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(4) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की

एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 245(अ) जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जीएसटीआर-4 गैर-दायरकर्ताओं को क्षमादान देना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 246(अ) जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पंजीकरण के निरस्तीकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन की समय-सीमा को बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2023 जो 31 मार्च, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 247(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 248(अ) जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26.12.2022 की अधिसूचना सं. 27/2022 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 249(अ) जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 62 के अंतर्गत जारी कर निर्धारण आदेशों की मानित वापसी के लिए क्षमादान योजना प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 250(अ) जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जीएसटीआर-9 के लिए विलंब शुल्क को तर्कसंगत करना और जीएसटीआर-9 गैर-दायरकर्ताओं को क्षमादान देना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का.आ.1563(अ) जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय जीएसटीआर-10 गैर-दायरकर्ताओं को क्षमादान देना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का.आ.1564(अ) जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय सीजीएसटी अधिनियम की धारा 168क के अंतर्गत सीमा को विस्तारित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 355(अ) जो 10 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 अगस्त, 2023 से पांच करोड़ रुपए से अधिक सकल टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए ई-बीजकीकरण को कार्यान्वित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 384(अ) जो 24 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मणिपुर राज्य में व्यवसाय के प्रमुख स्थान वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए अप्रैल, 2023 हेतु प्ररूप जीएसटीआर-1 दायर करने के लिए निर्धारित तिथि को आगे बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 385(अ) जो 24 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मणिपुर राज्य में व्यवसाय के प्रमुख स्थान वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए अप्रैल, 2023 हेतु प्ररूप जीएसटीआर-3ख दायर करने के लिए निर्धारित तिथि को आगे बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 386(अ) जो 24 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मणिपुर राज्य में व्यवसाय के प्रमुख स्थान वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए अप्रैल, 2023 हेतु प्ररूप जीएसटीआर-7 दायर करने के लिए निर्धारित तिथि को आगे बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 448(अ) जो 19 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मणिपुर राज्य में व्यवसाय के प्रमुख स्थान वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए अप्रैल और मई, 2023 हेतु प्ररूप जीएसटीआर-1 दायर करने के लिए निर्धारित तिथि को आगे बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 449(अ) जो 19 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मणिपुर राज्य में व्यवसाय के प्रमुख स्थान वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए अप्रैल और मई, 2023 हेतु प्ररूप जीएसटीआर-3ख दायर करने के लिए निर्धारित तिथि को आगे बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा.का.नि. 450(अ) जो 19 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मणिपुर राज्य में व्यवसाय के प्रमुख स्थान वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए अप्रैल और मई, 2023 हेतु प्ररूप जीएसटीआर-7 दायर करने के लिए निर्धारित तिथि को आगे बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 460(अ) जो 27 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय गुजरात राज्य में कच्छ, जामनगर, मोरबी, पाटन और बनासकंठा जिलों में पंजीकृत व्यक्तियों के लिए मई, 2023 हेतु प्ररूप जीएसटीआर-3ख दायर करने के लिए निर्धारित तिथि को 30 जून, 2023 तक आगे बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 348(अ) जो 9 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा

जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 11/2017-केंद्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(5) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 276(अ) जो 6 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित मछली पकड़ने के जाल के आयातों पर प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को 9 सितम्बर, 2023 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, विस्तारित करना है।

(दो) सा.का.नि. 279(अ) जो 10 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ''यूर्सोडीओऑक्सीकोलिक एसिड'' के आयातों पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है।

(तीन) सा.का.नि. 308(अ) जो 19 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य, ताइवान और वियतनाम से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ''विनाईल टाइल्स, रोल या सीट फॉर्म के अलावा'' के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क का उद्ग्रहण करना है।

(चार) सा.का.नि. 416(अ) जो 9 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 दिसम्बर, 2022 की अधिसूचना सं. 31/2022-सीमा शुल्क (एडीडी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 344(अ) जो 4 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित कार्बन श्रृंखला लंबाई सी10 से सी18 के संतृप्त वसीय अल्कोहल और उनके मिश्रणों के आयात पर प्रतिकारी शुल्क लगाना है।

(छह) सा.का.नि. 241(अ) जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 11/2017-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(6) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 303 (अ) जो 18 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा

जिनके द्वारा पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन और विमानन टर्बाइन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाने के लिए 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 304 (अ) जो 18 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए 30 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या 04/2022- के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 336 (अ) जो 1 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन और विमानन टर्बाइन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022- के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किये गये है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 366 (अ) जो 15 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन और विमानन टर्बाइन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022- के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 317 (अ) जो 27 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 22/2003- के.उ.शु. और अधिसूचना संख्या 23/2003-के.उ.शु. दोनों में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(7) वित्त अधिनियम, 2023 की धारा 1 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1566(अ) जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसका आशय 1 अप्रैल, 2023 को उस तारीख के रूप में नियत करना है जिसको वित्त अधिनियम, 2023 की धारा 163 के उपबंध प्रवृत्त होंगे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 1567(अ) जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसका आशय वित्त अधिनियम, 2023 की विभिन्न धाराओं के लिए प्रवृत्त होने की तारीखों का उपबंध करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(8) प्रतिकर उपकर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि.253(अ) जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 1/2017-प्रतिकर उपकर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(9) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि.349(अ) जो 9 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 08/2017-एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(10) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि.350(अ) जो 9 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 11/2017-एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की

एक प्रति तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(11) अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 की धारा 32 के अंतर्गत अधिकरण (सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2023, जो 16 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.444(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.361(अ) जो 12 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 8 अक्टूबर, 2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.1004(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.390(अ) जो 25 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिसके द्वारा 8 अक्टूबर, 2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.1004(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

13. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 29 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 13 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं.आईएफ़एससीए/2022-23/जीएन/आरईजी034 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (पुनर्बीमा) विनियम, 2023 जो 13 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं.आईएफ़एससीए/2022-23/जीएन/आरईजी036 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2022-23/जीएन/037 जो 13 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 'विमानन प्रशिक्षण सिमुलेशन उपकरणों' के संबंध में परिचालन और वित्तीय लीज के हाइब्रिड सहित परिचालन लीज को वित्तीय उत्पाद के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(चार) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (सामान्य, स्वास्थ्य और पुनर्बीमा व्यवसाय की अस्तियां, देयताएं और शोधन क्षमता मार्जिन) विनियम, 2023 जो 20 अप्रैल, 2023 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2022-23/जीएन/आरईजी038 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए आस्ति, देयता, शोधन क्षमता मार्जिन और बीमांकिक रिपोर्ट का सार) विनियम, 2023 जो 20 अप्रैल, 2023 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2022-23/जीएन/आरईजी039 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बीमा व्यवसाय का प्रबंधन नियंत्रण, प्रशासनिक

नियंत्रण और बाजार संचालन) विनियम, 2023 जो 1 मई, 2023 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2022-23/जीएन/आरईजी035 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2020-21/एनआईसीसीएल/245 जो 26 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित कतिपय शर्तों के अध्यधीन एनएसई आईएफएससी क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, यूनिट नंबर 1202, ब्रिगेड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, 12वीं मंजिल, बिल्डिंग नंबर 14-ए, ब्लॉक 14, जोन -1, जीआईएफटी एसईजेड, गांधीनगर, गुजरात -382355 को मान्यता प्रदान की गई है।

(आठ) अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2020-21/एनएसई-आईएफएससी/262 जो 26 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित कतिपय शर्तों के अध्यधीन एनएसई आईएफएससी क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, यूनिट नंबर 1202, ब्रिगेड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, 12वीं मंजिल, बिल्डिंग नंबर 14-ए, ब्लॉक 14, जोन -1, जीआईएफटी एसईजेड, गांधीनगर, गुजरात-382355 की मान्यता का नवीकरण किया गया है।

(नौ) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (पूंजी बाजार मध्यस्थ) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 4 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2023-24/जीएन/आरईजी040 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बैंकिंग) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 7 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2023-24/जीएन/आरईजी041 में प्रकाशित हुए थे।

(14) स्टॉक मार्केट घोटाले और उससे संबंधित मामलों - जुलाई, 2023 पर संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में की-गई-कार्रवाई संबंधी 40वीं प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मीनाक्षी लेखी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कंफेडेरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कंफेडेरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, वाराणसी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, वाराणसी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, वाराणसी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023, जो 11 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.1-13/2022/(सीपीपी- II) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत किशनराव कराड़) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114क(3) और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कमीशन का भुगतान) विनियम, 2023 जो 27 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. आईआरडीएआई/आरईजी/2/190/2023 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण *(जीवन बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ताओं के प्रबंध का व्यय) विनियम, 2023* जो 27 मार्च, 2023 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. आईआरडीएआई/आरईजी/3/191/2023 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंध व्यय) विनियम, 2023 जो 27 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. आईआरडीएआई/आरईजी/4/192/ 2023 में प्रकाशित हुए थे।

(2) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ऋण वसूली अपील अधिकरण, इलाहाबाद और ऋण वसूली अधिकरण, रांची, जबलपुर, पटना, लखनऊ और देहरादून में भर्ती (संशोधन) नियम, 2023 जो 6 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.482 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ऋण वसूली अपील अधिकरण, चेन्नई और ऋण वसूली अधिकरण, एर्नाकुलम, चेन्नई, मदुरै, कोयम्बटूर और बैंगलोर भर्ती (संशोधन) नियम, 2023 जो 6 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.483 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) ऋण वसूली अपील अधिकरण, दिल्ली तथा ऋण वसूली अधिकरण चण्डीगढ़, दिल्ली और जयपुर भर्ती (संशोधन) नियम, 2023 जो 6 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र

में अधिसूचना सं. सा.का.नि.484(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) ऋण वसूली अपील अधिकरण, कोलकाता तथा ऋण वसूली अधिकरण हैदराबाद, गुवाहाटी, कोलकाता, विशाखपट्टनम, सिलीगुड़ी और कटक भर्ती (संशोधन) नियम, 2023 जो 6 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.485(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) ऋण वसूली अपील अधिकरण, मुंबई तथा ऋण वसूली अधिकरण औरंगाबाद, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे और नागपुर भर्ती (संशोधन) नियम, 2023 जो 6 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.486(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें और निबंधन) संशोधन नियम, 2023 जो 22 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.209(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत बाहर आना और आहरण) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 23 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/ 189/8 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 17 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/5 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (अभिदाता की शिकायत का निवारण) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 27 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/1 में प्रकाशित हुए थे।

(4) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, मुंबई के 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (वोलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ आईआईबीआई टू द इक्विटी शेयरहोल्डर्स ऑफ आईआईबीआई), कोलकाता की 31.03.2023 को समाप्त हुई तिमाही के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (वोलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ आईआईबीआई टू द इक्विटी शेयरहोल्डर्स ऑफ आईआईबीआई), कोलकाता का 31.03.2023 को समाप्त हुई तिमाही के लिए परिसमापक का प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उनपर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) (एक) नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेवलपमेंट, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेवलपमेंट, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने श्री प्रहलाद जोशी की ओर से कार्य मंत्रणा समिति का 42वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

6. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री तीरथ सिंह रावत ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) 'विरासत से जुड़ी चीजों की चोरी-भारतीय पुरावशेषों का अवैध व्यापार और हमारी मूर्त सांस्कृतिक विरासत के पुनरुज्जीवन तथा उसकी सुरक्षा में आने वाली चुनौतियां' विषय के बारे में 348वां प्रतिवेदन।

(2) 'पत्तनों पर संपर्क और पर्यटक टर्मिनल सुविधाएं' विषय के बारे में समिति के 327वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 349वां प्रतिवेदन।

(3) 'ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड एयरपोर्टों का विकास और सैन्य विमानपत्तनों में असैन्य एन्कलेव से संबंधित मुद्दे' विषय के बारे में 350वां प्रतिवेदन।

(4) 'राष्ट्रीय अकादमियों और अन्य सांस्कृतिक संस्थाओं का कार्यकरण' विषय के बारे में 351वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

7. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) से संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति के 55वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(2) उत्तर- पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल. वर्मा) ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) से संबंधित गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 241वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया।

8. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कोर्ट के लिए लोक सभा के छह सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 की संविधियों की संविधि 14 के खंड 1 के उप-खंड (चौबीस) और खंड 2 के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संविधियों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कोर्ट के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से छह सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. सरकारी विधेयक - वापस लिया गया।

[*]डीएनए प्रौद्योगिकी (प्रयोग और लागू होना) विनियमन विधेयक, 2019

10. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित किए गए।

(क) राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक, 2023

(ख) राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023

(ग) *संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023*

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न *12.08 बजे स्थगित हुई और* अपराह्न *2.00 बजे पुन: समवेत हुई।)*

अपराह्न 2.00 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

(1) श्री नारणभाई भीखाभाई काछड़िया द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन से संबंधित सॉफ्टवेयर को आसान बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

[*] विधेयक 8 जुलाई, 2019 को पुर:स्थापित किया गया था तथा जांच और प्रतिवेदन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति को सौंपा गया था। समिति का प्रतिवेदन 3 फरवरी, 2021 को लोक सभा के पटल पर रखा गया था। विधेयक को वापस लिए जाने के कारणों को दर्शाने वाला विवरण 20.07.2023 को सदस्यों को परिचालित किया गया है।

(2) श्री परबतभाई सवाभाई पटेल द्वारा बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के धनेरा रेलवे स्टेशन पर रेलगाडी संख्या 14803/14804 का ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री रामदास चन्द्रभानजी तडस द्वारा महाराष्ट्र के वर्धा जिले में कथित नकली बीज मामले की जांच के लिए सीबीआई जांच की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे द्वारा आईटीआई को बंद किए जाने के बारे में।

(5) डॉ. रमापति राम त्रिपाठी द्वारा उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित देवरही माता मंदिर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी द्वारा ओडिशा के जलेश्वर में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना के बारे में।

(7) श्री खगेन मुर्मु द्वारा माल्दहा उत्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गंगा और फुलहर नदी की बाढ़ और भूमि कटाव के बारे में।

(8) श्री निहाल चन्द चौहान द्वारा गंगानगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को तत्काल केंद्रीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री मोहन मंडावी द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर में एम्स के संकाय सदस्य के कथित उत्पीड़न की जांच की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री सुनील कुमार सोनी द्वारा छत्तीसगढ़ में 'हर घर नल योजना 'के क्रियान्वयन के बारे में।

(11) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा नॉर्थ कोयल जलाशय परियोजना के निर्माण में तेजी लाए जाने और परियोजना के कारण विस्थापित लोगों को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे द्वारा सोशल मीडिया को विनियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्रीमती जसकौर मीना द्वारा महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में संलिप्त अपराधियों को दण्डित करने हेतु कड़े कानून का उपबंध किए जाने के बारे में।

(14) सुश्री देबाश्री चौधरी द्वारा पश्चिम बंगाल के राधिकापुर में भूमि आव्रजन जांच चौकी को पुनः खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री विवेक नारायण शेजवलकर द्वारा ग्वालियर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रदूषित जल के कारण कैंसर रोगियों के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए उपचारी उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) सुश्री लॉकेट चटर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल में चुनाव संबंधी हिंसा के बारे में।

(17) एडवोकेट अदूर प्रकाश द्वारा केरल के मुथलापोझी फिशिंग हार्बर में हुई घातक दुर्घटनाओं के बारे में।

(18) श्री वी. वैथिलिंगम द्वारा पुडुचेरी और कराईकल के ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए तटवर्ती ग्रेनाइट पत्थर बैरियर के निर्माण की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री वी.के. श्रीकंदन द्वारा केरल के ओट्टापलम एवं पट्टाम्बी में रेलगाड़ी के ठहराव के बारे में।

(20) श्री सी. एन. अन्नादुरई द्वारा केंद्र सरकार की सेवाओं में भर्ती के लिए तमिल भाषा में विभिन्न परीक्षाएं आयोजित किए जाने और तमिलनाडु के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की आवश्यकता।

(21) श्रीमती साजदा अहमद द्वारा उलूबेरिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शटलकॉक निर्माताओं के समक्ष आ रही

समस्याओं के बारे में।

(22) श्री कानुमुरु रघुराम कृष्ण राजू द्वारा आंध्र प्रदेश में कोटिपल्ली - नरसापुरम रेलवे लाइन के पूरा होने के बारे में।

(23) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा छात्रों के प्रवासन को रोकने के लिए देश में उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता।

(24) श्री महाबली सिंह द्वारा बिहार के औरंगाबाद जिले के पुनपुन नदी पर पुल निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता।

(25) सुश्री चन्द्राणी मुर्मु द्वारा ओडिशा के क्योंझर जिले में जनजातीय लोगों के लिए शैक्षणिक सुविधाओं के बारे में।

(26) श्री मलूक नागर द्वारा दलितों पर हो रहे अत्यचारों पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(27) श्री चौधरी महबूब अली कैसर द्वारा खगड़िया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों पर रेलगाड़ी का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(28) श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले द्वारा मणिपुर में हिंसा की हाल की घटना के बारे में।

(29) श्री पी.आर. नटराजन द्वारा वस्त्र क्षेत्र को गति देने के उपायों के बारे में।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 02.02 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 02.30 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 02.33 बजे*

(निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा मंगलवार, 25 जुलाई, 2023 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

* अपराह्न 02.30 से अपराह्न 02.33 बजे तक। सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 25 जुलाई, 2023/ 3 श्रावण, 1945 (शक)

संख्या 234

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 61 लिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 61 का उत्तर सभा पटल पर रखा गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.03 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 62 से 80 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 691 से 920 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3*. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने सदस्यों से गरिमा बनाए रखने और प्रश्न काल के सुचारु संचालन के लिए अपील की।

अपराह्न 2.02 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

---

* पूर्वाह्न 11.03 बजे। मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सामान्य ड्यूटी काडर (समूह 'ग' पद) भर्ती संशोधन नियम, 2023 जो 21 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 113(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 की धारा 155 की उप-धारा (3) के अंतर्गत गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल, योधक, समूह 'ख' (अराजपत्रित) परा-पशुचिकित्सा भर्ती नियम, 2023 जो 25 मार्च, 2023 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 26 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) असम राइफल्स अधिनियम, 2006 की धारा 167 के अंतर्गत असम राइफल्स, राइफलमैन/राइफलवुमन (सामान्य ड्यूटी) समूह'ग'योधक पदभर्ती नियम, 2023, जो 9 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.351(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उप-धारा (3) के अंतर्गत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी), सामान्य ड्यूटी काडर, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2023 जो 5 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.271(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 3 की उप-धारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 3051(अ) जो 11 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सभी वर्गों के यात्रियों के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश/से निकास के लिए ओडिशा राज्य के धामरा सीपोर्ट को प्राधिकृत आव्रजन चेक पोस्ट के रूप में अभिहित किया गया है।

(दो) का.आ. 3053(अ) जो 11 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सभी वर्गों के यात्रियों के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश/से निकास के लिए गोवा राज्य के मनोहर अंतराष्ट्रीय विमानपत्तन, मोपा को प्राधिकृत आव्रजन चेक पोस्ट के रूप में अभिहित किया गया है।

(6) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उप-धारा (3) के अंतर्गत केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सुरक्षा स्कंध (अधीनस्थ रैंक), समूह 'ख' और समूह 'ग' पद (संशोधन)भर्ती नियम, 2023, जो 16 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.195(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री शोभा कारान्दलाजे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कीटनाशी (दूसरा संशोधन) नियम, 2023 जो 23 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 211(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कीटनाशी (तीसरा संशोधन) नियम, 2023 जो 6 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 274(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कीटनाशी (चौथा संशोधन) नियम, 2023 जो 26 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 315(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पादप संघ रोध (भारत में आयात का विनियमन) (पहला संशोधन) आदेश, 2023 जो 21 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.1801(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (दूसरा संशोधन) आदेश, 2023 जो 10 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.2153(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (तीसरा संशोधन) आदेश, 2023 जो 31 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.2360(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (चौथा संशोधन) आदेश, 2023 जो 19 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.2680(अ) में प्रकाशित हुआ था।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 जो 8 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.623(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2023 जो 3 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.1011(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) का.आ. 1012(अ) जो 2 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 23 सितम्बर, 2022 की अधिसूचना सं. का.आ. 4496(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का.आ. 1025(अ) जो 2 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मैसर्स इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-ऑपरेटिव द्वारा विनिर्मित किए जाने वाले नैनो डाई अमोनियम फास्फेट उर्वरक (तरल) के विनिर्देश को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।

(पांच) का.आ. 1026(अ) जो 2 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मैसर्स कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा भारत में विनिर्मित किए जाने वाले नैनो डाई अमोनियम फास्फेट उर्वरक (तरल) के विनिर्देश को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।

(छह) का.आ. 1048(अ) जो 6 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मैसर्स राय नैनो साइंस एण्ड रिसर्च सेंटर द्वारा भारत में विनिर्मित किए जाने वाले नैनो यूरिया के विनिर्देश को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।

(सात) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 2023 जो 2 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.1024(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नामित आटा श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2023 जो 15 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.191(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सूखी अंजीर श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2023 जो 15 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.190(अ) में प्रकाशित हुए थे।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल. वर्मा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक

प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री प्रतिमा भौमिक) ने नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एल. मुरूगन) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 34 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) आशुलिपिक पद (संशोधन) भर्ती नियम, 2023 जो 20 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 451(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ऑल इंडिया रेडियो (पुस्तकालय पद) भर्ती नियम, 2023 जो 13 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 288(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) दूरदर्शन सहायक निदेशक (राजभाषा) भर्ती नियम, 2019 जो 17 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 293(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) की मद सं. (एक) और (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5*. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

डॉ. सत्य पाल सिंह ने लोक लेखा समिति (2023-24) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) 'स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोग (2020-21) से अधिक व्यय' संबंधी 66वां प्रतिवेदन।

(2) 'संपदा निदेशालय का कार्यकरण 'के बारे में समिति के 41वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट

* अपराह्न 02.15 बजे

समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 67वां प्रतिवेदन।

(3) 'स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोग (2018-19) से अधिक व्यय' के बारे में समिति के 42वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 68वां प्रतिवेदन।

6. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री गिरीश चन्द्र ने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब संबंधी 130वां प्रतिवेदन।

(2) शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, चित्तूर के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब संबंधी 131वां प्रतिवेदन।

(3) रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम (सीआरआईएस) के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब संबंधी 132वां प्रतिवेदन।

(4) मौलाना आजाद एजूकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में समिति के 25वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 133वां प्रतिवेदन।

(5) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर), रायबरेली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में समिति के 28वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों/ टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 134वां प्रतिवेदन।

(6) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, अब जिसका विलय यू.पी. एजूकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड (समग्र शिक्षा), लखनऊ में हो गया है, के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में समिति के 37वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों/ टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 135वां प्रतिवेदन।

(7) एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (एडीए), बेंगलुरु के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के 50वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-

कार्रवाई संबंधी 136वां प्रतिवेदन।

(8) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में समिति के 51वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 137वां प्रतिवेदन।

(9) एजूकेशनल कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड (एडसिल), नोएडा के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में समिति के 64वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 138वां प्रतिवेदन।

(10) राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी), नोएडा के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में समिति के 65वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 139वां प्रतिवेदन।

(11) केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (सीटीएसए), दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में समिति के 67वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 140वां प्रतिवेदन।

(12) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिक्किम के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में समिति के 52वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 141वां प्रतिवेदन।

7. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री शिवकुमार चनबसप्पा उदासी ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) 'भारत में ज्वारीय ऊर्जा का विकास' विषय के बारे में समिति के 20वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 36वां प्रतिवेदन।

(2) 'नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वित्तीय बाधाएं' विषय के बारे में समिति के 21वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 37वां प्रतिवेदन।

(3) 'भारत में पवन ऊर्जा का मूल्यांकन' विषय के बारे में समिति के 27वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 38वां प्रतिवेदन।

8. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री पी.पी. चौधरी ने 'भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति' विषय के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) का 22वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री नायब सिंह ने श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) वस्त्र मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में 18वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 27वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

(2) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में 19वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 28वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

(3) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित 'राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी) का कार्यकरण' विषय के बारे में 20वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 29वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

(4) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में 32वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 40वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

अपराह्न 2.06 बजे

10. मंत्री द्वारा वक्तव्य

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निशीथ प्रामाणिक) ने सूचना और प्रसारण मंत्री; तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर) की ओर से युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के 351वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 2.07 बजे

11. राजभाषा समिति के लिए लोक सभा के एक सदस्य के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार) ने श्री अमित शाह की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप-धारा 2 के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार श्री बालूभाई *उर्फ़* सुरेश नारायण धानोरकर, जिनका 30 मई, 2023 को निधन हो गया था, *के स्थान पर* अपने में से एक सदस्य को राजभाषा समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12. प्रस्ताव

श्री प्रहलाद जोशी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया :-

"कि यह सभा 24 जुलाई, 2023 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के बयालीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.08 बजे

13. नियम 377 के अधीन मामले।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

(1) श्री बसंत कुमार पंडा द्वारा कालाहांडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इलेक्ट्रिक लोको पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग वर्कशॉप स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री रमाकान्त भार्गव द्वारा देश में घुमंतू एवं अर्धघुमंतू जनजातियों के शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के बारे में।

(3) श्री रणजितसिंह नाईक-निंबालकर द्वारा महाराष्ट्र में ओबीसी सूची में 'धनगढ़' की वर्तनी में सुधार करके 'धंगर' किए जाने की आवश्यकता।

(4) श्री जनार्दन सिंह "सीग्रीवाल" द्वारा महराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की प्रत्येक पंचायत में किसानों के लिए मोबाइल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री पी.पी. चौधरी द्वारा देश में शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग को विनियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) डॉ. निशिकांत दुबे द्वारा झारखण्ड के संथाल परगना क्षेत्र में जरमुंडी (दुमका), देवघर एवं महगामा (गोड्डा) में तीन केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना किए जाने के बारे में।

(7) श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा झारखंड के सिंहभूम जिले में वन क्षेत्रों के पास खोदी गई खाइयों को भरे जाने और हाथी के हमले में मारे गए लोगों के परिवार के सदस्यों को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता।

(8) श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी द्वारा ईपीएस-95 के अंतर्गत पेंशन की राशि को बढ़ाए जाने की आवश्यकता।

(9) डॉ. जय सिद्देश्वर शिवाचार्य महास्वामीजी द्वारा महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में महिलाओं में संतानहीनता के इलाज की सुविधा उपलब्ध कराए जाने और राज्य के अस्पतालों में आईवीएफ केंद्र भी स्थापित किए जाने की आवश्यकता।

(10) श्री अजय निषाद द्वारा बिहार में मुजफ्फरपुर-जनकपुर-उरई सड़क की मरम्मत तथा बागमती नदी पर पुल निर्माण के बारे में।

(11) श्री मनोज कुमार तिवारी द्वारा दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण उपायों और दिल्ली में हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों को मुआवजे के भुगतान के बारे में।

(12) श्री रविन्दर कुशवाहा द्वारा सलेमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर रेलगाड़ियों का ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता।

(13) श्री नायब सिंह द्वारा हरियाणा के विभिन्न जिलों में 100 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल स्थापित किए जाने की वर्तमान स्थिति के बारे में।

(14) श्री डी.के.सुरेश द्वारा हेज्जाला-चामराजनगर नई ब्रॉड गेज रेल लाइन को पूरा किए जाने के बारे में।

(15) डॉ. वी.कलानिधि द्वारा चेन्नई के रायपुरम में रेलवे प्रिंटिंग प्रेस को बंद करने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. द्वारा धर्मापुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अवसंरचना में सुधार और साहसिक पर्यटन के विकास के लिए विशेष निधियां आवंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) प्रो. सौगत राय द्वारा मणिपुर में कानून एवं व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द्र बनाए रखने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री खलीलुर रहमान द्वारा मुर्शिदाबाद के धुलियान गंगा रेलवे स्टेशन पर एक सबवे का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ द्वारा महिलाओं में एनीमिया के उपचार के बारे में।

(20) श्री विनायक भाऊराव राऊत द्वारा 4जी मोबाइल कवरेज के अंतर्गत रत्नागिरी - सिंधुदुर्ग के गांवों को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्री एम. सेल्वराज द्वारा तमिलनाडु में पूर्वी तट रेल परियोजना के बारे में।

(22) श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन द्वारा कोल्लम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न रेलगाड़ियों के ठहराव को बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री नव (हीरा) कुमार सरनीया द्वारा उत्तर प्रदेश में गोंड समुदाय के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता।

(24) श्री सुनील कुमार पिन्टू द्वारा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसॉर्डर एण्ड सेरेब्रल पाल्सी संबंधी प्रतिवेदनों के कार्यान्वयन की आवश्यकता।

अपराह्न 02.08 बजे

14. सरकारी विधेयक - पारित

जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2022, संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित।

आवंटित समय: 4 घंटे

लिया गया समय: 33 मिनट

श्री भूपेन्द्र यादव द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. डॉ. संजय जायसवाल
2. श्रीमती अपराजिता सारंगी
3. श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ
4. श्री मलूक नागर

श्री भूपेन्द्र यादव ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 से 5 स्वीकृत हुए।

खंड 6 और 7 स्वीकृत हुए।

खंड 8 स्वीकृत हुआ।

खंड 9 स्वीकृत हुआ।

खंड 10 से 13 स्वीकृत हुए।

खंड 14 और 15 स्वीकृत हुए।

खंड 16 और 17 स्वीकृत हुए।

खंड 18 स्वीकृत हुआ।

खंड 19 स्वीकृत हुआ।

खंड 20 स्वीकृत हुआ।

खंड 21 स्वीकृत हुआ।

खंड 22, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 23 से 25 स्वीकृत हुए।

खंड 26 स्वीकृत हुआ।

खंड 27 से 37 स्वीकृत हुए।

खंड 38, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 39 से 41 स्वीकृत हुए।

खंड 42, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 43 स्वीकृत हुआ।

खंड 1, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री भूपेन्द्र यादव द्वारा विधेयक, यथासंशोधित, को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, यथासंशोधित, पारित हुआ।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 02.42 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 05.00 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 05.00 बजे

15. सरकारी विधेयक - पारित

बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी *(संशोधन) विधेयक, 2022, संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित*

आवंटित समय: 4 घंटे

लिया गया समय: 49 मिनट

श्री अमित शाह द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री मनोज कोटक
2. श्री लावू श्री कृष्णा देवरायालू
3. श्री रामशिरोमणि वर्मा
4. श्री संतोष कुमार गंगवार

श्री अमित शाह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 से 49 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अमित शाह द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 5.49 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा बुधवार, 26 जुलाई, 2023 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह

महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 26 जुलाई, 2023/ 4 श्रावण, 1945 (शक)

संख्या 235

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. *अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने सभा की ओर से कारगिल विजय दिवस की 24वीं वर्षगांठ पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी।

तत्पश्चात, सदस्य कारगिल युद्ध के शहीदों की स्मृति में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 81 का मौखिक उत्तर दिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 82 लिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 82 का उत्तर सभा पटल पर रखा गया। तारांकित प्रश्न संख्या 83 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.14 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 84 से 100 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 921 से 1150 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

4. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी**

अध्यक्ष ने सदस्यों से गरिमा बनाए रखने और सभा के सुचारु संचालन के लिए अपील की।

---

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

** पूर्वाह्न 11.13 बजे। मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

मध्याह्न 12.00 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 14 की उप-धारा (3) के अंतर्गत केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेंद्रम अधिनियम, 1980 की धारा 33 के अंतर्गत श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेंद्रम (संशोधन) विनियम, 2022 जो 17 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एआई/18/11/एससीटीआईएमएसटी/2022 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 105 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2023, जो 4 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.343(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) (संशोधन) नियम, 2023, जो 21 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.454(अ) में प्रकाशित हुए थे।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 की धारा 31 की उप-धारा (3) के अंतर्गत कोयला खान (विशेष उपबंध) संशोधन नियम, 2023 जो 29 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.393(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत कोयला ब्लॉक आबंटन (संशोधन) नियम, 2023 जो 29 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 394(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) ने आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 55 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) का.आ. 2659(अ) जो 15 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 371(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(2) का.आ. 1392(अ) जो 23 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सहायिकी प्राप्त खाद्यान्न/खाद्य सहायिकी के नगद अंतरण की प्रसुविधा प्राप्त करने के लिए आधार संख्या/आधार अधिप्रमाणन की आवश्यकता को सम्मिलित किए जाने की तारीख को 30 जून, 2023 तक आगे बढ़ाया जाना अधिसूचित किया गया है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम**,** 1992 की धारा 19 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1565(अ) जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विदेश व्यापार नीति, 2023 को अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ. 1207(अ) जो 14 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस) 2022-आरईजी. की अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 25 के आईटीसी एचएस कोड 2515 और अध्याय 68 के 6802 के अंतर्गत नीति शर्तों में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का.आ. 1389(अ) जो 22 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) में यूरिया (एक्जिम कोड 31021000) की आयात नीति शर्त में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।

(चार) का.आ. 1586(अ) जो 1 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 29 के अंतर्गत आयात नीति शर्त में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।

(पांच) का.आ. 2127(अ) जो 8 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय-08 के आईटीसी

(एचएस) 08081000 के अंतर्गत सेब की आयात नीति शर्त में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।

(छह) का.आ. 2351(अ) जो 29 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस कोड) 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) को दिनांक 31.03.2023 के वित्त अधिनियम, 2023 (2023 का संख्यांक 8) और विदेश व्यापार नीति, 2023-आरईजी. के साथ समकालन को अधिसूचित किया गया है।

(सात) का.आ. 2408(अ) जो 2 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 27 के अंतर्गत आयात नीति शर्त 6 (पीट कोक) में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।

(आठ) का.आ. 2626(अ) जो 14 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 12 के आईटीसी (एचएस) कोड 12030000 के अंतर्गत कोपरा की आयात नीति और आयात शर्त में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।

(नौ) का.आ. 2826(अ) जो 30 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 96 के सीटीएच 9613 के अंतर्गत शामिल सिगरेट लाइटरों की आयात नीति शर्त में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।

(दस) का.आ. 2901(अ) जो 3 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 07 के आईटीसी (एचएस) कोड 07019000 के अंतर्गत मदों के लिए आयात नीति शर्त में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।

(ग्यारह) का.आ. 2902(अ) जो 3 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 08 के आईटीसी (एचएस) 08028010 के अंतर्गत आयात नीति शर्त में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।

(बारह) का.आ. 1390(अ) जो 22 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा निर्यात और आयात के वर्गीकरण अनुसूची-2 (निर्यात नीति) आईटीसी (एचएस) के अध्याय 27 के अंतर्गत जैव-ईंधनों की निर्यात नीति में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।

(तेरह) का.आ. 1587(अ) जो 1 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति की अनुसूची-2 के अध्याय 27 के एचएस कोड 27101241, 27101242, 27101243, 27101244, 27101249, 27101941, 27101944 और 27101949 के अंतर्गत मदों की निर्यात नीति में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।

(चौदह) का.आ. 1677(अ) जो 6 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मांस और मांस उत्पादों के लिए हलाल प्रमाणन प्रक्रिया के सुसंगतीकरण को अधिसूचित किया गया है।

(पंद्रह) का.आ. 2242(अ) जो 22 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कफ सीरपों की निर्यात नीति में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।

(सोलह) का.आ. 2273(अ) जो 24 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा एचएस कोड 10064000 के अंतर्गत टूटे चावल की निर्यात नीति में संशोधन को

अधिसूचित किया गया है।

(सत्रह) का.आ. 2769(अ) जो 26 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति, 2018 की अनुसूची-2 के अध्याय 10, क्रम सं. 55 और 57 की नीति शर्त में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।

(अठारह) का.आ. 2755(अ) जो 23 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा एचएस कोड 2610 की निर्यात नीति में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1532(अ) जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यह निदेश दिया गया है कि अधिसूचना के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं, राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन से 30 जून, 2023 तक ऐसे प्रतिशत में, जैसा कि अधिसूचना के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट किया गया है, प्रदाय अथवा वितरण के लिए जूट पैकिंग सामग्री में पैक की जाएंगी।

(दो) का.आ. 2726(अ) जो 20 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 मार्च, 2023 की अधिसूचना सं.का.आ.1532(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) राष्ट्रीय जूट विनिर्माता निगम लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय जूट विनिर्माता निगम लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवुसिंह चौहान) ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण (अधिकारी) भर्ती नियम, 2023 जो 19 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.305(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

6. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा ने 25 जुलाई, 2023 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा यथापारित संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022 को संशोधनों के साथ पारित किया और विधेयक को इस अनुरोध के साथ लौटा दिया कि संशोधनों पर लोक सभा की सहमति के बारे में राज्य सभा को सूचित किया जाए।

7. राज्य सभा द्वारा यथासंशोधित विधेयक - सभा पटल पर रखा गया

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022

अपराह्न 12.03 बजे

8. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य दिए:-

(एक) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के 126वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के 127वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(तीन) जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 367वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(चार) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 361वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 369वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(पांच) जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024)

के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 374वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(छह) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 375वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) ने रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के 14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

(3) वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश) ने वस्त्र मंत्रालय से संबंधित 'मानव निर्मित फाइबर का विकास' के बारे में श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

(4) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य दिए:-

(एक) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'भारत में ई-वाणिज्य का संवर्धन और विनियमन' के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 172वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23)(मांग संख्या 11) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 168वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 175वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराह्न 12.08 बजे

9*. मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव

अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि उन्हें श्री गौरव गोगोई से मंत्रिपरिषद में अविश्वास के प्रस्ताव की एक सूचना प्राप्त हुई है।

इसके पश्चात श्री गौरव गोगोई ने मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव पेश करने के लिए सभा की अनुमति मांगी।

अध्यक्ष ने उन सदस्यों से अपने स्थान पर खड़े होने को कहा जो अनुमति प्रदान किए जाने के पक्ष में थे। चूंकि पचास से अन्यून सदस्य खड़े हुए थे, अत: अनुमति प्रदान की गई।

---

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

अध्यक्ष ने घोषणा की कि वह दलों के नेताओं से परामर्श करने के पश्चात सभा में प्रस्ताव पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करेंगे।

अपराह्न 12.09 बजे

10. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

(एक) जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण विधेयक (संशोधन), 2023 ।

श्री मनीश तिवारी ने विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध किया।

तत्पश्चात, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

(दो) जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 ।

(तीन) जम्मू–कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 ।

श्री हसनैन मसूदी ने विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध किया।

तत्पश्चात, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

(चार) संविधान (जम्मू–कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 ।

(पांच) संविधान (जम्मू–कश्मी।र) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 ।

(छह) खान और खनिज संशोधन विधेयक (विकास और विनियमन), 2023 ।

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन ने विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा।

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) ने सदस्य द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरणों का उत्तर दिया।

तत्पश्चात, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.17 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 02.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 02.00 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

(1) डॉ. कृष्ण पाल सिंह यादव द्वारा सेना में अहीर रेजिमेंट स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री मुकेश राजपूत द्वारा फर्रुखाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गंगा नदी पर पांचाल घाट और ढ़ाई घाट पर बांध का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री गुमान सिंह दामोर द्वारा झाबुआ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री तपन कुमार गोगोई द्वारा जोरहाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे समपार या अंडरपास बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री जुगल किशोर शर्मा द्वारा जम्मू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सीमावर्ती क्षेत्रों के किसानों को मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्रीमती रमा देवी द्वारा पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में 'कमलापुरी वैश्य' जाति को शामिल किए जाने

की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया द्वारा साहूकारों द्वारा लोगों के उत्पीड़न पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा बिहार के औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के बारे में।

(9) श्रीमती केशरी देवी पटेल द्वारा भारतीय पोशाक पहनने की अनुमति न देने वाले क्लबों और होटलों पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री चुन्नी लाल साहू द्वारा छत्तीसगढ़ में फसल बीमा योजना के लिए पोर्टल शुरू किए जाने के बारे में।

(11) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा 'रामायण सर्किट 'के अंतर्गत हत्याहरण धार्मिक स्थल को शामिल किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री रवि किशन शुक्ला द्वारा गोरखपुर और नई दिल्ली के बीच वंदे भारत रेल सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनाधिकृत विज्ञापन होर्डिंग्स हटाए जाने के बारे में।

(14) श्री राहुल कस्वां द्वारा रींगस और खाटू श्याम जी - सालासर-सुजानगढ़ खंड के बीच नई रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री हैबी ईडन द्वारा केरल के एरनाकुलम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) में 13 पंचायतों को शामिल किए जाने के बारे में।

(16) श्री ए. गणेशमूर्ति द्वारा इरोड (इंगुर) - पलनी नई बीजी लाइन के लिए टोही इंजीनियरिंग-सह-यातायात सर्वेक्षण के बारे में।

(17) श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा बाढ़ प्रभावित आरामबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वित्तीय राहत पैकेज प्रदान किए जाने के बारे में।

(18) श्री मद्दीला गुरूमूर्ति द्वारा मन्नावरम जोन का सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए उपयोग की व्यवहार्यता की पहचान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री गजानन चन्द्रकांत कीर्तिकर द्वारा नीली क्रांति योजना के अंतर्गत निधियां स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री सुनील कुमार द्वारा राष्ट्रपति भवन और विक्टोरिया मेमोरियल में रखे गए क्रमशः रामपुरवा बैल और शेर की मूर्ति को बिहार के रामपुरवा में वापस लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्री महेश साहू द्वारा ओडिशा में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों के सीएसआर क्रियाकलापों के बारे में।

(22) श्री गिरीश चन्द्र द्वारा अनुसूचित जातियों पर अत्याचार करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री के. नवासखनी द्वारा रामनाथपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नारियल उत्पादों के संरक्षण के लिए उन्नत कैनिंग फैक्ट्री हेतु एक संयंत्र तथा सब्जियों और मिर्च के लिए परिरक्षण सुविधा वाले गोदाम की स्थापना किए जाने के बारे में।

(24) श्री जयदेव गल्ला द्वारा मान्यता प्राप्त प्रेस संवाददाताओं के लिए रेलवे रियायत और अन्य सुविधाएं बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 02.01 बजे

12. सरकारी विधेयक - पारित

वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023, संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित।

आवंटित समय: 3 घंटे

लिया गया समय: 38 मिनट

श्री भूपेन्द्र यादव द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. सुश्री दिया कुमारी
2. श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर
3. श्री राजू बिष्ट
4. सुश्री भावना गवली (पाटील)

श्री भूपेन्द्र यादव ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खंड 4 स्वीकृत हुआ।

खंड 5 और 6 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री भूपेन्द्र यादव द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 02.39 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा गुरुवार, 27 जुलाई, 2023 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह

महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 27 जुलाई, 2023/ 5 श्रावण, 1945 (शक)

संख्या 236

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 101 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.07 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।) ।

तारांकित प्रश्न संख्या 102 से 120 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 1151 से 1380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3*. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने सदस्यों से इस सदन द्वारा स्थापित उच्च मानकों को बनाए रखने और इसकी गरिमा कायम रखने तथा सभा के सुचारु संचालन के लिए अपील की।

---

* पूर्वाह्न 11.04 बजे। मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

अपराहन 2.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) वी. के. सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे-

(1) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 59 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी दामोदर घाटी निगम (निगम के अध्यक्ष, सदस्यों और सदस्य-सचिव का वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें) (संशोधन) नियम, 2023, जो 12 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 433(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण)।

(2) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुँच द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा का संप्रवर्तन करना) (दूसरा संशोधन) नियम, 2023 जो 23 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 381(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) संशोधन नियम, 2023 जो 14 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 437(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विद्युत (संशोधन) नियम, 2023 जो 30 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 466(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) राष्ट्रीय विद्युत योजना अधिसूचना (संशोधन) नियम, 2023 जो 30 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 467(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली से कनेक्टिविटी और सामान्य नेटवर्क पहुँच) (पहला संशोधन) विनियम, 2023 जो 6 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/261/2021/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(छह) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) विनियम, 2023 जो 11 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/265/2022/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का

वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम संस्थापनों के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विनिर्देश) संशोधन विनियम, 2023 जो 29 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा. सं. पीएनजीआरबी/टैक/7-टी4एसपीआई/(1)/2022(पी-4116) में प्रकाशित हुए थे।

(2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार हेतु संस्थाओं को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2023 जो 29 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा. सं. पीएनजीआरबी/प्राधि/1-सीजीडी(08)/2020(पी-894) में प्रकाशित हुए थे।

(3) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का अवधारण) संशोधन विनियम, 2023 जो 28 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. पीएनजीआरबी/कॉम/10-एनजीपीएल टैरिफ (11)/2022(पी-4142) में प्रकाशित हुए थे।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल**)** ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कौशल किशोर) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 की धारा 102 के अंतर्गत मेट्रो रेल (कैरिज और टिकट) संशोधन नियम, 2023, जो 29 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 395(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (अप्राधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों को मान्यता) (संशोधन) विनियम, 2023, जो 15 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. एलएम/पीएम/0003/2021/उदय/एलजीएल/157 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धिपत्र (केवल अंग्रेजी संस्करण में) जो 24 मई, 2023 की अधिसूचना सं. फा.सं. एलएम/पीएम/0003/2021/उदय/एलजीएल में प्रकाशित हुआ था।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा ने 26 जुलाई, 2023 को हुई अपनी बैठक में, संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (तीसरा संशोधन)

विधेयक, 2022, लोक सभा द्वारा यथापारित, को संशोधनों के साथ पारित किया और विधेयक को इस अनुरोध के साथ लौटा दिया कि संशोधनों पर लोक सभा की सहमति के बारे में राज्य सभा को सूचित किया जाए।

6. **राज्य सभा द्वारा यथासंशोधित विधेयक - सभा पटल पर रखा गया**

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022

7. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री राजेन्द्र अग्रवाल ने सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) 'स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' के बारे में 83वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(2) 'रेल मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' के बारे में 84वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(3) 'विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' के बारे में 85वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(4) 'सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' के बारे में 86वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(5) 'आश्वासनों को छोड़े जाने हेतु अनुरोध (स्वीकृत)' के बारे में 87वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(6) 'आश्वासनों को छोड़े जाने हेतु अनुरोध (अस्वीकृत)' के बारे में 88वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(7) 'आश्वासनों को छोड़े जाने हेतु अनुरोध (स्वीकृत)' के बारे में 89वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(8) 'आश्वासनों को छोड़े जाने हेतु अनुरोध (अस्वीकृत)' के बारे में 90वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

---

8. वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री जयंत सिन्हा **ने** वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के 'साइबर सुरक्षा और साइबर/व्हाइट कॉलर अपराधों की बढ़ती घटना' विषय के बारे में 59वां प्रतिवेदन।

(2) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के 'बिग-टेक कंपनियों द्वारा प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार' विषय के बारे में 53वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 60वां प्रतिवेदन।

(3) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन तथा लोक उद्यम विभाग) की अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में 54वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 61वां प्रतिवेदन।

(4) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में 55वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 62वां प्रतिवेदन।

(5) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में 56वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 63वां प्रतिवेदन।

(6) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में 57वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 64वां प्रतिवेदन।

(7) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में 58वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 65वां प्रतिवेदन।

---

9. ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती गीताबेन वजेसिंहभाई राठवा ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना संबंधी 32वां प्रतिवेदन।

(2) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 33वां प्रतिवेदन।

(3) भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 34वां प्रतिवेदन।

(4) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 35वां प्रतिवेदन।

---

10. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती रमा देवी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के कार्यकरण की समीक्षा' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के 35वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 48वां प्रतिवेदन।

(2) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) से संबंधित 'विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए स्थापित राष्ट्रीय संस्थानों के कार्यकरण की समीक्षा' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के 42वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की

टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 49वां प्रतिवेदन।

(3) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) की 'अनुदानों की मांगों (2023-24)' के बारे में समिति के 45वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 50वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 02.04 बजे

11. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) वी. के. सिंह) ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य दिए:-

(1) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 301वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 314वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(3) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 317वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2)* विदेश मंत्री ने भारत की विदेश नीति में नवीनतम घटनाक्रम पर वक्तव्य दिया।

अपराह्न 02.05 बजे

12. सरकारी विधेयक – पुरःस्थापित

* अपराह्न 2.10 बजे ।

अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023.

श्री रितेश पाण्डेय ने विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध किया और और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा। संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; और खान मंत्री (श्री प्रह्लाद जोशी) ने सदस्य द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरणों का उत्तर दिया।

तत्पश्चात, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

अपराहन 02.09 बजे

13. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

(1) श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा झारखंड के लातेहार जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री तीरथ सिंह रावत द्वारा उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 309 पर पुल के निर्माण में तेजी लाए जाने के बारे में।

(3) डॉ. हिना विजयकुमार गावीत द्वारा खानदेश एक्सप्रेस में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री संजय सेठ द्वारा झारखंड में स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना की सीबीआई जांच कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) डॉ. ढाल सिंह बिसेन द्वारा भू-स्वामियों की अनुमति के बिना विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा निजी भूमि पर बिजली के खंबे और ट्रांसफार्मर स्थापित किये जाने के

बारे में।

(6) डॉ. संघमित्रा मौर्य द्वारा उत्तर प्रदेश में मेंथा उद्योग की शिकायतों का निवारण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री अरुण कुमार सागर द्वारा शाहजहाँपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 731 के निर्माण में कथित अनियमितताओं के बारे में।

(8) श्री विजय बघेल द्वारा मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 49 का लोप किए जाने के बारे में।

(9) श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव द्वारा बोलंगीर, ओडिशा में खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री रोड़मल नागर द्वारा मध्य प्रदेश में मक्सी-रुठियाई रेल लाइन का दोहरीकरण किए जाने के बारे में।

(11) श्री विनोद कुमार सोनकर द्वारा दिशा बैठकों के दौरान विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में लापरवाही या अनियमितता के दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए संसद सदस्यों को शक्ति प्रत्यायोजित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) डॉ. सुकान्त मजूमदार द्वारा बालूरघाट में चेक डैम का निर्माण पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री भोला सिंह द्वारा एक राष्ट्र-एक मतदाता पहचान पत्र के बारे में।

(14) श्री अशोक महादेवराव नेते द्वारा महाराष्ट्र के गड़चिरौली-चिमुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारी बारिश के कारण प्रभावित लोगों को राहत और मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा गोरखपुर से श्रावस्ती तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 को चार लेन का बनाए जाने के बारे में।

(16) श्री गौरव गोगोई द्वारा असम में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किए जाने के बारे में।

(17) श्री टी.एन.प्रथापन द्वारा केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-66 (रामनट्टुकरा - एडप्पल्ली) पर छोटे वाहन के लिए भूमिगत अंडरपास, सर्विस रोड और फुटब्रिज प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री के.मुरलीधरन द्वारा कन्नूर और कालीकट विमानपत्तनों से उड़ान सेवाओं को बढ़ाए जाने और कन्नूर विमानपत्तन को प्वाइंट ऑफ कॉल लिस्ट में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री एस. रामलिंगम द्वारा विधान सभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति के लिए समय सीमा निर्धारित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा दक्षिण बारासात रेलवे स्टेशन पीडब्ल्यूडी रोड से ध्रुबचंद हलधर कॉलेज तक की सड़क को रेलवे मेंटेनेंस मैप के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने और सड़क के पुनर्निर्माण के लिए निधि भी जारी किए जाने की आवश्यकता।

(21) डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती द्वारा आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ट्रॉमा केयर सेंटर की स्थापना किए जाने के बारे में।

(22) श्री प्रतापराव जाधव द्वारा महाराष्ट्र के बुलढाणा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खामगांव और जालना के बीच रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के लिए संसद सदस्यों एवं राज्य विधानमंडल सदस्यों को शामिल किये जाने के बारे में।

(24) श्रीमती मंजुलता मण्डल द्वारा एससी, एसटी, ओबीसी, एसईबीसी और ईडब्ल्यूएस

छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के बारे में।

(25) श्री कुंवर दानिश अली द्वारा उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा भूमि प्रबंधन में कथित अनियमितताओं के बारे में।

(26) श्री प्रिंस राज द्वारा विकास योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित स्थानीय निकायों की बैठक में संसद सदस्यों द्वारा नामित प्रतिनिधियों को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(27) श्री हसनैन मसूदी द्वारा फसल बीमा योजना लागू करने और प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को हुए नुकसान की भरपाई किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(28) श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी द्वारा डीसी रेलगाड़ी को पुनः शुरू किए जाने और गिरिडीह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न रेलगाड़ियों का ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 02.34 बजे

14. सरकारी विधेयक - पारित

जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2023, संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित।

आवंटित समय: 4 घंटे

लिया गया समय: 42 मिनट

श्री पीयूष गोयल द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 02.38 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 03.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 03.00 बजे

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री राजेन्द्र अग्रवाल
2. डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती
3. श्री मलूक नागर

श्री पीयूष गोयल ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खंड 4 स्वीकृत हुआ।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पीयूष गोयल द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

15. अध्यक्षपीठ द्वारा विनिर्णय*

अध्यक्षपीठ ने 26 जुलाई, 2023 को एक सदस्य द्वारा उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न पर अपना विनिर्णय दिया।

अपराह्न 03.39 बजे

16. सरकारी विधेयक - पारित

निरसन और संशोधन विधेयक, 2022 ।

आवंटित समय: 4 घंटे

लिया गया समय: 9 मिनट

* अपराह्न 03.02 बजे। मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया ने वाद-विवाद में भाग लिया।

अर्जुन राम मेघवाल ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

पहली अनुसूची, यथासंशोधित, स्वीकृत हुई।

दूसरी और तीसरी अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अर्जुन राम मेघवाल द्वारा विधेयक, यथासंशोधित, को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, यथासंशोधित, पारित हुआ।

अपराह्न 03.48 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह

महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023/ 6 श्रावण, 1945 (शक)

संख्या 237

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 121 लिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 121 का उत्तर सभा पटल पर रखा गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे स्थगित हुई
और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 122 से 140 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 1381 से 1610 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3* अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने सदस्यों से प्रश्न काल को सुचारु रूप से चलने देने की अपील की।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता अधिनियम, 2021 की धारा 51 के अंतर्गत नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता (प्रशिक्षण संगठन प्रत्यायन) नियम, 2022 जो 13 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 178(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

---

* पूर्वाह्न 11.01 बजे। मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 की धारा 47 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. आईएमयू/एचक्यू/एडीएम/अधिसूचना/2023/01 जो 6 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय के परिनियम 7(1), 2020 के अध्यादेश सं. 02 और 2019 के अध्यादेश सं. 04 में संशोधन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, गौतमबुद्ध नगर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, गौतमबुद्ध नगर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस.पी. सिंह बघेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 44 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियम, 2023 जो 5 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 269(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) संशोधन नियम, 2023 जो 11 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 493(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 52 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सरोगेसी विनियम, 2023 जो 5 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.270(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) सरोगेसी (विनियमन) संशोधन नियम, 2023 जो 8 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.415(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) सरोगेसी (विनियमन) संशोधन नियम, 2023 जो 11 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.494(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(3) सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 31 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) संशोधन नियम, 2023, जो 31 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 400(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) औषधि (मूल्य नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 जो 11 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2165(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) औषधि (मूल्य नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2023 जो 25 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2324(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रवीण पवार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री **(**डॉ. मुंजपरा महेन्द्रभाई**)** ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा ने 27 जुलाई, 2023 को हुई अपनी बैठक में चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित कर दिया है।

6. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक - सभा पटल पर रखा गया

चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2023

7*. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री राजेश वर्मा ने अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) से संबंधित 'मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल), ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) और फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड (एफएसीटी) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' विषय के संबंध में समिति (2022-23) का 20वां प्रतिवेदन।

(2) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित 'कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' विषय के संबंध में समिति (2022-23) का 21वां प्रतिवेदन।

8. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री पी.पी. चौधरी ने 'भारत की सॉफ्ट पॉवर और सांस्कृतिक कूटनीति: संभावनाएं और सीमाएं' विषय के बारे में 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में विदेशी मामलों संबंधी समिति (17वीं लोक सभा) का 23वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.03 बजे

9. मंत्री द्वारा वक्तव्य

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट) ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य दिए:-

(एक) रक्षा मंत्रालय से संबंधित थल सेना, नौसेना, वायु सेना, संयुक्त स्टाफ, एमईएस, ईसीएचएसऔर सैनिक स्कूलों (मांग सं. 20 और 21) संबंधी अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) रक्षा मंत्रालय से संबंधित रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, खरीद नीति, रक्षा आयोजना और वैवाहिक आवास परियोजना (मांग सं. 21) संबंधी अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

---

* अपराह्न 12.02 बजे

(तीन) रक्षा मंत्रालय से संबंधित आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएं) - नये डीपीएसयू, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय और राष्ट्रीय कैडेट कोर (मांग सं. 20 और 21) संबंधी अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराह्न 12.04 बजे

10. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने 31 जुलाई, 2023 से आरंभ हो रहे सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.07 बजे

11. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2023 ।

अपराह्न 12.08 बजे

12. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:-

(1) श्री राम कृपाल यादव ने बिहार में बिहटा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(2) श्री गोपाल जी ठाकुर ने बिहार के दरभंगा जिले में एम्स का निर्माण कार्य आरम्भ किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(3) श्री कुलदीप राय शर्मा ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में चैथम द्वीप और बैम्बू फ्लैट द्वीप को जोड़े जाने हेतु एक पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(4) एडवोकेट डीन कुरियाकोस ने इडुक्की संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रबड़ उद्योग को राजसहायता देना शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(5) डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन ने मौजूदा नेशनल एग्जिट टेस्ट (एन. ईएक्स. टी.) को प्रतिस्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(6) डॉ. पोन गौतम सिगामणि ने सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए संघ की भर्ती एजेंसियों द्वारा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को आपस में जोड़े जाने और उनमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(7) श्री बालाशौरी वल्लभनेनी ने मछलीपटनम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर आर.ओ.बी./आर.यू.बी. का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(8) डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने बदलापुर, अंबरनाथ और डोंबिवली रेलवे स्टेशनों पर ए.सी. लोकल ट्रेन सेवाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(9) श्री दिलेश्वर कामैत ने बिहार के कोसी एवं सीमावर्ती क्षेत्र में रेल सेवाएं आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(10) श्री सय्यद ईमत्याज जलील ने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कवरेज एवं सहायता प्रदान किए जाने और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित अधिनियमों पर फिर से विचार किए जाने के लिए उचित नीतियों को लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(11) श्री थोमस चाज़िकाडन ने कोट्टायम में पासपोर्ट सेवा केंद्र को पुन: शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.09 बजे

13. सरकारी विधेयक - पारित

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023

आवंटित समय: 2 घंटे
लिया गया समय: 19 मिनट

श्री प्रहलाद जोशी द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री सुनील कुमार सिंह
2. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी

श्री प्रहलाद जोशी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 से 8 स्वीकृत हुआ।

खंड 9 से 19 स्वीकृत हुआ।

खंड 20 स्वीकृत हुआ।

खंड 21 स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री प्रहलाद जोशी द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

अपराहन 12.28 बजे

14. सरकारी विधेयक - पारित

(एक) *राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक, 2023 ।*

(दो) *राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023 ।*

आवंटित समय: 3 घंटे
लिया गया समय: 6 मिनट

डॉ. मनसुख मांडविया द्वारा (एक) राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक, 2023 और (दो) राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023 विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किए गए।

(एक) राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक, 2023 पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 से 57 स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

डॉ. मनसुख मांडविया द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

(दो) राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023 विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 से 59 स्वीकृत हुआ।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

डॉ. मनसुख मांडविया द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 12.34 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा सोमवार, 31 जुलाई, 2023 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह

महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 31 जुलाई, 2023/ 9 श्रावण, 1945 (शक)

संख्या 238

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख*

अध्यक्ष ने मलावी गणराज्य की नेशनल असेंबली की स्पीकर माननीय सुश्री कैथरीन गोटानी हारा और भारत के दौरे पर आए मलावी के संसदीय शिष्टमंडल का सम्मानित अतिथिगण के रूप में स्वागत किया।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 141 लिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 141 का उत्तर सभा पटल पर रखा गया। प्रश्न संख्या 142 और 143 के मौखिक उत्तर दिए गए।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.12 बजे स्थगित हुई
और अपराहन 2.00 बजे पुन: समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 144 से 160 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 1611 से 1840 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

---

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

अपराहन 2.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री; और खान मंत्री (श्री प्रह्लाद जोशी) ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इंद्रजीत सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे :-

(1) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अंतर्गत कंपनी सचिव (संशोधन) विनियम, 2023 जो 3 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 710/1(एम)/2 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ((हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अधिसूचना सं. ईआई-2023/1 जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के वर्ष 2023 के लिए परिषद तथा क्षेत्रीय परिषदों के निर्वाचन के संचालन के लिए उसमें उल्लिखित तारीखें अधिसूचित की गई हैं।

(दो) अधिसूचना सं. ईआई-2023/2 जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सभी क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से परिषद में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या को अधिसूचित किया गया है।

(तीन) अधिसूचना सं. ईएल-2023/3 जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की क्षेत्रीय परिषदों में निर्वाचन को अधिसूचित किया गया है।

(चार) अधिसूचना सं. ईएल-2023/4 जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की क्षेत्रीय परिषदों के गठन को अधिसूचित किया गया है।

(पांच) अधिसूचना सं. ईएल-2023/5 जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद और चार क्षेत्रीय परिषदों में निर्वाचन के लिए शुल्क के भुगतान को अधिसूचित किया गया है।

(छह) अधिसूचना सं. ईएल-2023/6 जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद के निर्वाचन और चार क्षेत्रीय परिषदों के निर्वाचन के लिए प्रतिभूति जमा राशि के भुगतान को अधिसूचित किया गया है।

(सात) अधिसूचना सं. ईएल-2023/7 जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा लागत और संकर्म लेखापाल (परिषद का निर्वाचन) नियम, 2006 की अनुसूची 4 के साथ पठित नियम 9 के उप-नियम (4) के प्रयोजन के लिए योग्यता की मान्यता को अधिसूचित किया गया है।

(आठ) अधिसूचना सं. ईएल-2023/8 जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की इक्कीसवीं परिषद और चार क्षेत्रीय परिषदों के निर्वाचन के लिए विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से मतदान के लिए पात्र सदस्यों की सूची (मतदाता की सूची) को अधिसूचित किया गया है।

(नौ) अधिसूचना सं. ईएल-2023/9 जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा परिषद और क्षेत्रीय परिषदों के निर्वाचन के लिए किसी उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले व्यय की अधिकतम सीमा अधिसूचित की गई है।

(दस) अधिसूचना सं. ईएल-2023/31 जो 18 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 2023-2027 तक के कार्यकाल के लिए दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की इक्कीसवीं परिषद के लिए उसमें उल्लिखित ऐसे सदस्यों को, जो निर्वाचित घोषित हुए हैं,

अधिसूचित किया गया है।

(ग्यारह) अधिसूचना सं. ईएल-2023/32 जो 18 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 2023-2027 तक के कार्यकाल के लिए दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की चार क्षेत्रीय परिषदों के लिए उसमें उल्लिखित ऐसे सदस्यों को, जो निर्वाचित घोषित हुए हैं, अधिसूचित किया गया है।

(3) चार्टर्ड अकाउन्टेण्ट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत चार्टर्ड अकाउन्टेण्ट (संशोधन) विनियम, 2023 जो 23 दिसम्बर, 2022 की अधिसूचना सं.1-सीए(7)/201/2023 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री; और खान मंत्री (श्री प्रह्लाद जोशी) ने विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) संस्कृति मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) ने

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) राष्ट्रीय राजधानी और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 25 की उप-धारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग (पराली जलाने पर पर्यावरणीय प्रतिकर का अधिरोपण, संग्रह और उपयोग) नियम, 2023 जो 28 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 322(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) राष्ट्रीय राजधानी और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पर्यावरण (संरक्षण) तीसरा संशोधन नियम, 2023 जो 5 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 414(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2023 जो 17 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 373(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 14 जून, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 435(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) पर्यावरण (संरक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 2023 जो 19 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 376(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) पर्यावरण (तापीय विद्युत संयंत्रों द्वारा फसल अवशेषों का उपयोग) नियम, 2023 जो 12 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 499(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) पर्यावरण (संरक्षण) चौथा संशोधन नियम, 2023 जो 14 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 436(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(5) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 282(अ) जो 11 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 जनवरी, 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 45(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ.6035(अ) जो 23 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 अप्रैल, 2003 की अधिसूचना सं. का.आ. 489(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(6) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 63 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वन्य पशु वस्तु का वन्य जीव निपटान नियम, 2023 जो 12 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 501(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) प्रजाति प्रजनक अनुज्ञप्ति नियम, 2023 जो 27 अप्रैल, 2023 की अधिसूचना सं. का.आ. 1950(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(7) वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 की धारा 1 की उप-धारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ.1394(अ) जो 23 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 अप्रैल, 2023 को उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में अधिसूचित किया गया है।

संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री; और खान मंत्री (श्री प्रह्लाद जोशी) ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ओम्बुड्समैन) (निरसन) विनियम, 2023, जो 3 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/138 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2023, जो 15 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/129 में प्रकाशित हुए थे।

(2) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) किसान विकास पत्र (दूसरा संशोधन) योजना, 2023 जो 28 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 324(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) (तीसरा संशोधन) योजना, 2023 जो 28 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 325(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) वरिष्ठ नागरिक बचत (तीसरा संशोधन) योजना, 2023 जो 28 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 326(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(चार) राष्ट्रीय बचत सावधि जमा (दूसरा संशोधन) योजना, 2023 जो 28 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 327(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (आठवां निर्गम) (दूसरा संशोधन) योजना, 2023 जो 28 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 328(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(छह) सुकन्या समृद्धि खाता (संशोधन) योजना, 2023 जो 28 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 329(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(सात) राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा (संशोधन) योजना, 2023 जो 28 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 330(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(आठ) महिला सम्मान बचत पत्र 2023 जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 237(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) सरकारी बचत बैंक साधारण (संशोधन) नियम, 2023 जो 31 मार्च, 2023 के

भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 238(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) (संशोधन) योजना, 2023 जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 239(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(ग्यारह) वरिष्ठ नागरिक बचत (संशोधन) योजना, 2023 जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 240(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(बारह) सरकारी बचत बैंक साधारण (दूसरा संशोधन) नियम, 2023 जो 3 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 488(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) डाकघर बचत खाता (संशोधन) योजना, 2023 जो 6 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 489(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(चौदह) राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) (चौथा संशोधन) योजना, 2023 जो 6 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 490(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 505(अ) जो 14 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाने के लिए 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं. 18/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(4) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) सिक्का-निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 24 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सिक्का-निर्माण (व्याघ्र परियोजना के 50 वर्ष के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2023 जो 23 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 212(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सिक्का-निर्माण (''केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की हीरक जयंती वर्ष'' के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2023 जो 29 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 234(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सिक्का-निर्माण (''मन की बात की 100वीं कड़ी'' के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2023 जो 20 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 310(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सिक्का-निर्माण (राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस-ऑपरेशन शक्ति की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2023 जो 3 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 339(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) सिक्का-निर्माण (नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2023 जो 25 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 389(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(6) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/133 जो 19 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 सितम्बर, 2023 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है, जिसको भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल) विनियम, 1992 के उपबंध लागू होंगे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार द्वारा बाजार से उधार लेने संबंधी विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, गांधीनगर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेगे:-

(1) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 1 की उप-धारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ.2060(अ) जो 3 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 3 मई, 2023 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है,

जिसको उसमें उल्लिखित सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के कतिपय उपबंध लागू होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 16 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ.2061(अ) जो 3 मई, 2023 के भारत के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 2022 की सिविल अपील संख्या 8143-8144 [2019 की एसएलपी (सी) संख्या 8658-8659], में माननीय उच्चतम न्यायालय के 4 नवम्बर, 2022 के निर्णय में अंतर्विष्ट निदेश के कार्यान्वयन को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वित्तीय आकलन और कार्यनिष्पादन बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपुर्णा देवी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) समग्र शिक्षा, दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा, दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) समग्र शिक्षा, त्रिपुरा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा, त्रिपुरा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) समग्र शिक्षा, सिक्किम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा, सिक्किम के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) समग्र शिक्षा, मिज़ोरम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा, मिज़ोरम के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) समग्र शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) समग्र शिक्षा, मणिपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा, मणिपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ऊना के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ऊना के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कल्याणी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कल्याणी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, अनंतपुरामू के वर्ष 2018- 2019 से 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, अनंतपुरामू के वर्ष 2018- 2019 से 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, रायपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, रायपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण

दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, इंदौर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, इंदौर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, शिलाँग के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, शिलाँग के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, कोझिकोड के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, कोझिकोड के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, सिरमौर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, सिरमौर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, जम्मू के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, जम्मू के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, रोहतक के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, रोहतक के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, रांची के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, रांची के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, काशीपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, काशीपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्यौगिकी संस्थान, वारंगल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्यौगिकी संस्थान, वारंगल के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्यौगिकी संस्थान, मेघालय के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्यौगिकी संस्थान, मेघालय के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्यौगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्यौगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) (एक) केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्यौगिकी संस्थान, रांची के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्यौगिकी संस्थान, रांची के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्यौगिकी संस्थान, भागलपुर के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्यौगिकी संस्थान, भागलपुर के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्यौगिकी संस्थान, भागलपुर के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने

वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) (एक) महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, गया के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, गया के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, गया के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने

वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) उपर्युक्त (51) पर उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) (एक) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) उपर्युक्त (55) पर उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) मणिपुर यूनिवर्सिटी, इम्फाल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) (एक) राजीव गांधी विश्वविद्यालय, दोमुख के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राजीव गांधी विश्वविद्यालय, दोमुख के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राजीव गांधी विश्वविद्यालय, दोमुख के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) उपर्युक्त (59) पर उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(61) (एक) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) उपर्युक्त (61) पर उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(63) (एक) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) उपर्युक्त (63) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(65) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(66) उपर्युक्त (65) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने

वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(67) मिजोरम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा 46 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) मिजोरम विश्वविद्यालय (संशोधन) परिनियम, 2022 जो 11 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. 5-40/स्था.I/19/4 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) "स्कूल्स ऑफ स्टडीज को विभागों का समनुदेशन संबंधी" अध्यादेश ओए-1 का संशोधन जो 11 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. 5-40/स्था.I/19/6 में प्रकाशित हुआ था।

(68) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (कॉलेजों को स्वायत्तशासी दर्जा प्रदान किया जाना और स्वायत्तशासी कॉलेजों में मानकों के अनुरक्षण के उपाय) विनियम, 2023 जो 3 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं.1-18/2021 (सीपीपी-II) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (डीम्ड विश्वविद्यालय वाली संस्थाएं) विनियम, 2023 जो 2 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.1-1/2021 (सीपीपी-1/डीयू) में प्रकाशित हुए थे।

(69) फॉरेन लैंग्वेजेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(70) उपर्युक्त (69) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(71) महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, पूर्वी चम्पारण के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा।

(72) उपर्युक्त (71) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(73) नागालैण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम, 1989 की धारा 47 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. सं.एनयू/ओआरडी-01/2023-4978(अ) जो 1 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा नागालैण्ड विश्वविद्यालय के कतिपय संशोधित और नए अध्यादेशों को अधिसूचित किया गया है।

*वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत किशनराव कराड़) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, लखनऊ के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, लखनऊ के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा।

(3) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, लखनऊ के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

5. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री गुमान सिंह दामोर ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2023-24) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) से संबंधित 'आरक्षण नीति के निरूपण, कार्यान्वयन और निगरानी में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की भूमिका' विषय के बारे में 25वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

(2) वित्त मंत्रालय से संबंधित 'सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/भारतीय रिजर्व बैंक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के विशेष संदर्भ में ऐसी संस्थाओं/बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को प्रदान की जा रही ऋण सुविधाएं और अन्य लाभ' विषय के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 14वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 26वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

6. विदेशी मामलों संबंधी समिति का विवरण

* अपराहन 2.15 बजे सभा पटल पर रखा गया।

श्री पी.पी. चौधरी ने 'कोविड-19 वैश्विक महामारी: वैश्विक प्रत्युत्तर, भारत का योगदान और भावी योजना' विषय के बारे में विदेशी मामलों संबंधी समिति (17वीं लोक सभा) के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने 'शिक्षा उपकर' के बारे में श्री टी.आर.बालू, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 680 के 6 फरवरी, 2023 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य दिया।

(2) गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने विधि और न्याय मंत्रालय के मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कोयला मंत्री; और संस्कृति कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) की ओर से संस्कृति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 340वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

(3) *संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री (श्री प्रह्लाद जोशी) ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव चन्द्रशेखर) की ओर से मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) के बारे में श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के 43वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया ।

(4) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल. वर्मा) ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 243वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

(5) शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार) ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य दिया:-

* अपराहन 2.15 बजे सभा पटल पर रखा गया।

(1) उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के 337वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों /टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति के 345वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के 348वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराहन 02.07 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:-

(1) श्री बसंत कुमार पंडा ने पश्चिमी ओडिशा में ओडिशा उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(2) श्री अमरेश्वर राजा नाईक ने रायचूर में एम्स की स्थापना किए जाने के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(3) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को छपरा या सीवान से दिल्ली, कोलकाता और वाराणसी तक चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(4) डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने मध्य प्रदेश में किसानों को घटिया मक्का बीज वितरित करने वाली बीज कंपनी का लाइसेंस रद्द किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक

वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(5) श्री मनोज किशोरभाई कोटक ने राजापुर रोड स्टेशन पर जन शताब्दी एक्सप्रेस अथवा तेजस एक्सप्रेस गाड़ियों के ठहराव के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(6) श्री धर्मबीर सिंह ने हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्तर का खेल संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(7) श्रीमती सुनीता दुग्गल ने हरियाणा में घग्गर नदी के कारण आई बाढ़ के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(8) श्री रामचरण बोहरा ने महिलाओं, बच्चों और दलितों को सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(9) श्री मोहनभाई कल्याणजी कुंडारिया ने अहमदाबाद में समाप्त होने वाली रेल सेवाओं को राजकोट तक विस्तारित किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(10) श्री राजेन्द्र अग्रवाल ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 में संशोधन करने की आवश्यकता ताकि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जिन व्यक्तियों के शरीर का पता नहीं चल पाता है, उन्हें मृत मानने की अवधि 7 से घटाकर 3 वर्ष कर दी जाए के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(11) श्री प्रतापराव चिखलीकर पाटिल ने नांदेड़ से मुंबई, अमृतसर, चंडीगढ़, दिल्ली और हैदराबाद के लिए उड़ान सेवाएं पुन: आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(12) श्री परबतभाई सवाभाई पटेल ने गुजरात में पालनपुर और गांधीधाम रेलवे लाइनों के बीच लेवल क्रॉसिंग संख्या 43 पर रेल ओवर ब्रिज बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(13) श्री देवेन्द्र सिंह (उर्फ) भोले सिंह ने उत्तर प्रदेश के अकबरपुर संसदीय क्षेत्र में रेलवे फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के अंडरपासों में जलभराव की समस्या के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(14) डॉ. शशि थरूर ने केरल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(15) एडवोकेट अदूर प्रकाश ने ईरान में हिरासत में लिये गये भारतीय मछुआरों की रिहाई के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(16) एडवोकेट डीन कुरियाकोस ने केरल में अंगमाली-सबरी रेलवे लाइन के निर्माण के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(17) श्री सी. एन. अन्नादुरई ने एमजीआर चेन्नई सेंट्रल से कोयंबटूर तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का तमिलनाडु के जोलारपेट्टई में ठहराव किए जाने के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(18) श्री रहमान खलीलुर ने मुर्शिदाबाद जिले में गंगा नदी द्वारा किये गये कटाव के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(19) श्री कनुमुरु रघु राम कृष्ण राजू ने आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एवं अपैरल पार्क की स्थापना के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(20) श्री प्रतापराव जाधव ने महाराष्ट्र के बुलढाणा संसदीय क्षेत्र में भारी बारिश के कारण संपत्ति और फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(21) श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी ने कोशी-मेची लिंक परियोजना में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(22) श्रीमती मंजुलता मंडल ने ओडिशा के ईपीएस 95 पेंशनभोगियों की पेंशन में वृद्धि

के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(23) श्री भीमराव बसवंतराव पाटिल ने पलामुरु रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना को निधियाँ प्रदान करना और इसे राष्ट्रीय दर्जा दिये जाने के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(24) श्री प्रिंस राज ने दरभंगा में अशोक पेपर मिल को पुनः आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(25) श्री जगदम्बिका पाल ने गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(26) श्री श्याम सिंह यादव ने पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार में रेल सेवाओं के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

अपराहन 02.08 बजे

9. सांविधिक संकल्प- स्वीकृत

श्री पंकज चौधरी ने श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से निम्नलिखित संकल्प पेश किया:-

"सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8क(1) के अनुसरण में, यह सभा दिनांक 30 जून, 2023 की अधिसूचना संख्या 40/2023-सीमा शुल्क [सा.का.नि.469 (अ) दिनांक 30 जून, 2023] और दिनांक 1 जुलाई, 2023 की अधिसूचना संख्या 43/2023-सीमा शुल्क [सा.का.नि.473 (अ) दिनांक 1 जुलाई, 2023] का एतद्द्वारा अनुमोदन करती है, जिनका आशय तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी), प्रोपेन और ब्यूटेन पर आयात शुल्क में वृद्धि करने के लिए सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में संशोधन करना है।"

संकल्प स्वीकृत हुआ।

अपराहन 02.09 बजे

10. सरकारी विधेयकों पर राज्य सभा द्वारा किया गया संशोधन - सहमत ।

[*]**(एक)** ***संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022***

श्री अर्जुन मुंडा द्वारा लोकसभा द्वारा यथापारित विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव किया गया ।

<u>अधिनियमन सूत्र</u>

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में, "तिहत्तरवें" शब्द ***<u>के स्थान पर</u>*** "चौहत्तरवें" शब्द ***<u>प्रतिस्थापित</u>*** किया जाए।

<u>खंड 1</u>

2. पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में, शब्द, कोष्ठक और अंक "(पांचवां संशोधन) अधिनियम, 2022" ***<u>के स्थान पर</u>*** शब्द, कोष्ठक और अंक "(संशोधन) अधिनियम, 2023" ***<u>प्रतिस्थापित</u>*** किए जाएं।

विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अर्जुन मुंडा द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि विधेयक में राज्यसभा द्वारा किये गये संशोधनों पर सहमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और संशोधनों पर सहमति हुई।

अपराहन 02.13 बजे

[*]**(दो)*** ***संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022***

---

[*] **विधेयक को लोक सभा द्वारा 21 दिसम्बर, 2022 को पारित किया गया और राज्य सभा को उसकी सहमति के लिए भेजा गया था। राज्य सभा ने 25 जुलाई, 2023 को हुई अपनी बैठक में विधेयक को संशोधनों के साथ पारित किया और उसी दिन उसे लोक सभा को लौटा दिया।**

श्री अर्जुन मुंडा द्वारा लोकसभा द्वारा यथापारित विधेयक में राज्यसभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव किया गया ।

<u>अधिनियमन सूत्र</u>

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में, "तिहत्तरवें" शब्द ***<u>के स्थान पर</u>*** "चौहत्तरवें" शब्द ***<u>प्रतिस्थापित</u>*** किया जाए।

<u>खंड 1</u>

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में, शब्द, कोष्ठक और अंक "(तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2022" ***<u>के स्थान पर</u>*** शब्द, कोष्ठक और अंक "(दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2023" ***<u>प्रतिस्थापित</u>*** किए जाएं।

विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अर्जुन मुंडा द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि विधेयक में राज्यसभा द्वारा किये गये संशोधनों पर सहमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और संशोधनों पर सहमति हुई।

अपराह्न 02.16 बजे

11. सरकारी विधेयक - पारित

चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2023 , राज्य सभा द्वारा यथा पारित

आवंटित समय: 2 घंटे

लिया गया समय: 34 मिनट

श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री मनोज तिवारी
2. श्री मद्दीला गुरूमूर्ति
3. श्री रामशिरोमणि वर्मा

4. श्री कृपाल बालाजी तुमाने

5. श्रीमती नवनित रवि राणा

6. श्री शंकर लालवानी

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 से 10 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पारित हुआ।

अपराह्न 02.50 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा मंगलवार, 01 अगस्त, 2023 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह

महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 01 अगस्त, 2023/ 10 श्रावण, 1945 (शक)

संख्या 239

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 161 और 163 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 162 लिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 162 का उत्तर सभा पटल पर रखा गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.16 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 164 से 180 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1841 से 2070 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 2.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन), अधिनियम 2005 की धारा 25 की उप-धारा (4) के अंतर्गत दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियम, 2021 जो 13 मई, 2022 के दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के राजपत्र में अधिसूचना सं. 1/गृह/7/डीएनएच एंड डीडी/पीएसएआरए/नियम2020/20-21/285 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गांधीनगर के वर्ष 2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गांधीनगर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव कुमार बालियान) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, बल्लभगढ़ के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, बल्लभगढ़ के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री शोभा कारान्दलाजे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) चौथा संशोधन आदेश, 2023 जो 17 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.2216(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) पांचवां संशोधन आदेश, 2023 जो 29 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.2345(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उप-धारा(3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) बहु-स्रोत खाद्य तेल श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2023 जो 5 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.480(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) वनस्पति तेल श्रेणीकरण और चिह्नांकन (संशोधन) नियम, 2023 जो 11 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.497(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पोहा श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2023 जो 28 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.229(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) (एक) लघु कृषक कृषि-व्यापार संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लघु कृषक कृषि-व्यापार संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2020-2021 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नारायणस्वामी) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन, दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन, दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी) ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल. वर्मा) ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 116 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 1396(अ) जो 23 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की दूसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) वर्ष 2021-2022 के लिए संघ के विभिन्न आधिकारिक प्रयोजनों हेतु राजभाषा हिंदी के प्रसार और विकास में तेजी लाने तथा इसके प्रगामी प्रयोग और इसके कार्यान्वयन संबंधी कार्यक्रम के बारे में 53वें वार्षिक आकलन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, गांधीनगर के वर्ष 2021-2022 के

* अपराहन 2.05 बजे सभा पटल पर रखा गया।

वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, गांधीनगर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, गांधीनगर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एल. मुरूगन) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) प्रसार भारती, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निशीथ प्रामाणिक) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरुमबुदुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरुमबुदुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने वित्त मंत्री; और कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) की ओर से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(एक) अधिसूचना सं.24/2023-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क जो 31 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क को बढ़ाने के आशय से दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं.18/2022-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) अधिसूचना सं.25/2023-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क जो 31 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को बढ़ाने के आशय से दिनांक 30 जून, 2022 की अधिसूचना सं.04/2022-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

4. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री संतोष कुमार गंगवार ने 'इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) से संबंधित समाप्त परियोजनाओं को ऋण दिए जाने के कारण परिहार्य हानि (वर्ष 2020 के सीएण्डएजी के प्रतिवेदन संख्या 18 के लेखापरीक्षा पैरा सं. 5.2 पर आधारित)' शीर्षक के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के 17वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति का 20वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2023-24) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

---

* अपराहन 2.05 बजे सभा पटल पर रखा गया।

(1) गृह मंत्रालय से संबंधित 'अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास सहित राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार में आरक्षण नीति का कार्यान्वयन' विषय के बारे में 27वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

(2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित 'सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पेट्रोल और गैस एजेंसियों (सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी आदि) और अन्य संबंधित एजेंसियों/यूनिटों के आबंटन की स्थिति' विषय के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के बीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 28वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

6. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री गिरीश चन्द्र ने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत (एक) जिला दिव्यांगजन विद्यालय, झारसुगुडा; (दो) वेलूगू, मदनापल्ले, आंध्र प्रदेश; और (तीन) कचाजुली फिजीकली हैंडीकैप्ड स्कूल एंड ट्रेनिंग सेंटर, लखीमपुर के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखे जाने में विलंब।

(2) भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखे जाने में विलंब।

(3) रेल मंत्रालय के अंतर्गत एनआरटीयू फाउंडेशन, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखे जाने में विलंब।

(4) दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखे जाने में विलंब के बारे में समिति के 101वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर गृह मंत्रालय

द्वारा की-गई-कार्रवाई।

(5) महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मुम्बई के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखे जाने में विलंब के बारे में समिति के 103वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई।

(6) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखे जाने में विलंब के बारे में समिति के 118वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई।

(7) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं सभा पटल पर को रखे जाने में विलंब के बारे में समिति के 66वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई।

7. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री प्रतापराव जाधव ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के कार्यकरण की समीक्षा' के बारे में 47वां प्रतिवेदन।

(2) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित 'नागरिक' डाटा सुरक्षा और निजता' विषय के बारे में 48वां प्रतिवेदन।

8. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री जगदम्बिका पाल ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) 'विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति के 31वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

(2) 'विद्युत टैरिफ नीति की समीक्षा-पूरे देश में टैरिफ ढांचे में एकरूपता की आवश्यकता' विषय के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 26वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति के 32वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

(3) 'नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति के 33वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

9. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री रमेश बिधूड़ी ने 'सीबीजी (सतत) के कार्यान्वयन की समीक्षा' विषय के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के 17वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 20वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया ।

10. कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री राकेश सिंह ने कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'इस्पात क्षेत्र में कौशल विकास' विषय के बारे में 36वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार

द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 41वां प्रतिवेदन।

(2) कोयला मंत्रालय से संबंधित 'कोयले का आयात-प्रवृत्तियां और आत्मनिर्भरता का मुद्दा' विषय के बारे में 37वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 42वां प्रतिवेदन।

(3) कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में 38वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 43वां प्रतिवेदन।

(4) खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में 39वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 44वां प्रतिवेदन।

(5) इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में 40वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 45वां प्रतिवेदन।

अपराहन 02.06 बजे

11. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी) ने कृषि और किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) की ओर से कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) - मांग संख्या 2 के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 52वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

(2) इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गनसिंह कुलस्ते) ने भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) के बारे में ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी

स्थायी समिति के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

(3) गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय) ने गृह मंत्रालय से संबंधित 'पुलिस-प्रशिक्षण, आधुनिकीकरण और सुधार' के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 237वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 244वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

(4) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव कुमार बालियान) ने पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) - मांग संख्या 44 के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 54वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

(5) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी) ने उत्तर- पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल. वर्मा) की ओर से सहकारिता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) - मांग संख्या 16 के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 42वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

(6) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एल. मुरूगन) ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) के बारे में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 46वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया ।

12. राष्ट्रीय कैडेट कोर की केंद्रीय सलाहकार समिति के लिए लोक सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री अजय भट्ट ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया:-

"राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उप-धारा (1) के खंड (i) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन राष्ट्रीय कैडेट कोर की केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराहन 02.10 बजे

13. सरकारी विधेयक - पुर:स्थापित

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 2023 ।

निम्नलिखित सदस्यों ने विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगे:-

1. श्री अधीर रंजन चौधरी
2. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन
3. श्री असादुद्दीन ओवैसी
4. प्रो. सौगत राय
5. श्री गौरव गोगोई
6. श्री शशि थरूर
7. श्री टी. आर. बालू

गृह मंत्री; और सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह) ने सदस्यों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण का उत्तर दिया।

तत्पश्चात, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराहन 02.30 बजे स्थगित हुई और अपराहन 03.00 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराहन 03.00 बजे

14. अध्यादेश के बारे में विवरण- सभा पटल पर रखा गया

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (2023 का संख्यांक 1) के प्रख्यापन द्वारा शीघ्र विधान के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

अपराहन 03.01 बजे

15. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:-

(1) श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा ने अंकलेश्वर सड़क की महाराष्ट्र सीमा तक मरम्मत किए जाने और चार लेन वाला बनाकर इसे एनएचएआई के नियंत्रण में लाए जाने के बारे में ।

(2) श्री रविन्दर कुशवाहा ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(3) श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल ने देश में विभिन्न जातियों की पहचान और वर्गीकरण से संबंधित मुद्दों का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री बृजेन्द्र सिंह ने हरियाणा के हिसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हांसी तहसील के सोरखी गांव के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग-9 पर ओवर ब्रिज बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(5) श्री सुनील बाबूराव मेंढे ने ओबीसी की केंद्रीय सूची में भोयरपवार 'जाति का नाम' 'भोयर पवार' रखने की शैली को ठीक करने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री मितेष रमेशभाई पटेल ने देश के बच्चों और युवाओं पर सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों की निगरानी के लिए एक विनियामक निकाय के गठन की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री सुरेश पुजारी ने ओडिशा में ग़रीब कल्याण योजना लागू किए जाने के बारे में।

(8) श्री संजय सेठ ने कैंसर को अधिसूचित रोग श्रेणी में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(9) श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव ने स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत धौली-रत्नागिरि-ललितगिरि-उदयगिरि-लांगुड़ी बौद्ध सर्किट को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री सुशील कुमार सिंह ने बिहार को सूखाग्रस्त राज्य घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(11) डॉ. सुकान्त मजूमदार ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बालुरघाट, बुनियादपुर और गंगाराम रेलवे स्टेशनों को शामिल किए जाने के बारे में ।

(12) श्रीमती रमा देवी ने शिवहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में घटते जल स्तर एवं पानी की कमी के बारे में ।

(13) श्री सु. थिरुनवुक्करासर ने केरल के त्रिची में केंद्रीय विद्यालय-I ओएफटी, और केन्द्रीय विद्यालय-II, एचएपीपी में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री एम. के. राघवन ने कोझिकोड और खाड़ी क्षेत्रों के बीच हवाई किराये में अत्यधिक और लगातार वृद्धि को विनियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(15) श्री रवनीत सिंह ने सिंधु जल संधि के अंतर्गत भारतीय हिस्से के पानी के उपयोग के बारे में ।

(16) डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर ने तमिलनाडु में देशी नस्ल के कुत्तों को जंगली जानवरों की सूची से हटाए जाने और 'देशी नस्ल कुत्ता कल्याण बोर्ड' स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(17) डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. ने तमिलनाडु के धर्मपुरी में एक रक्षा अनुसंधान केंद्र की स्थापना किए जाने के बारे में ।

(18) प्रो. सौगत रॉय ने पश्चिम बंगाल को अन्य केंद्रीय योजनाओं के साथ-साथ मनरेगा और पीएमएवाई की लंबित बकाया राशि जारी किए जाने के बारे में ।

(19) श्रीमती प्रतिमा मण्डल ने हथकरघा उत्पादों पर जीएसटी हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(20) श्रीमती चिंता अनुराधा ने मैला ढोने के काम में लगे लोगों का पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए नीतियों की आवश्यकता के बारे में ।

(21) श्री जयदेव गल्ला ने एलआईसी एवं पीएसजीआई के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एलआईसी एवं जीआईपीएसए बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में ।

(22) श्री के. सुब्बारायण ने कपास पर आयात शुल्क वापस लेने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री हनुमान बेनीवाल ने बजरी खनन पट्टाधारकों द्वारा पर्यावरण नियमों के कथित उल्लंघन के बारे में ।

अपराह्न 03.01 बजे

16. सरकारी विधेयक - पारित

(एक) *जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 ।*

आवंटित समय: 2 घंटे

लिया गया समय: 23 मिनट

श्री नित्यानन्द राय द्वारा श्री अमित शाह की ओर से विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री गुमान सिंह दामोर
2. श्री एन. रेड्डप्प
3. श्री राहुल रमेश शेवाले
4. श्रीमती संगीता आजाद
5. श्री असादुद्दीन ओवैसी

श्री नित्यानन्द राय ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 से 18 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री नित्यानन्द राय द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

अपराहन 3.24 बजे

(दो) ***अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023 ।***

आवंटित समय: 2 घंटे

लिया गया समय: 23 मिनट

श्री प्रहलाद जोशी द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री गोपाल शेट्टी
2. श्री पिनाकी मिश्रा
3. श्री कृपाल बालाजी तुमाने
4. श्री मलूक नागर

श्री प्रहलाद जोशी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 से 24 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री प्रहलाद जोशी द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

अपराहन 03.47 बजे

(तीन) ***संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश संशोधन विधेयक, 2023 ।***

आवंटित समय: 2 घंटे

लिया गया समय: 8 मिनट

डॉ. वीरेन्द्र कुमार द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया। निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्रीमती संध्या राय
2. श्रीमती गोड्डेति माधवी
3. श्रीमती संगीता आजाद

डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 03.55 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा बुधवार, 02 अगस्त, 2023 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह

महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 02 अगस्त, 2023/11 श्रावण, 1945 (शक)

संख्या 240

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 181 और 182 के मौखिक उत्तर दिए गए।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.15 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 183 से 200 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2071 से 2300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 2.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम,1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) संशोधन नियम, 2023 जो 6 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.487(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2023 जो 13 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.502(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) दूसरा संशोधन विनियम, 2023 जो 3 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.266(अ) में प्रकाशित हुए थे।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने मंत्रियों द्वारा पंद्रहवीं, सोलहवीं और सत्रहवीं लोक सभाओं के विभिन्न सत्रों के दौरान दिए गए आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी-

पंद्रहवीं लोक सभा

1. विवरण संख्या 34 सातवां सत्र, 2011

सोलहवीं लोक सभा

2. विवरण संख्या 31 दूसरा सत्र, 2014

3. विवरण संख्या 31 चौथा सत्र, 2015

4. विवरण संख्या 27 पांचवां सत्र, 2015

5. विवरण संख्या 27 नौवां सत्र, 2016

6.	विवरण संख्या 24	ग्यारहवां सत्र, 2017
7.	विवरण संख्या 20	पंद्रहवां सत्र, 2018
8.	विवरण संख्या 16	सत्रहवां सत्र, 2019

सत्रहवीं लोक सभा

9.	विवरण संख्या 19	पहला सत्र, 2019
10.	विवरण संख्या 15	दूसरा सत्र, 2019
11.	विवरण संख्या 14	तीसरा सत्र, 2020
12.	विवरण संख्या 14	चौथा सत्र, 2020
13.	विवरण संख्या 14	पांचवां सत्र, 2021
14.	विवरण संख्या 13	छठा सत्र, 2021
15.	विवरण संख्या 7	सातवां सत्र, 2021
16.	विवरण संख्या 7	आठवां सत्र, 2022
17.	विवरण संख्या 4	नौवां सत्र, 2022
18.	विवरण संख्या 2	दसवां सत्र, 2022
19.	विवरण संख्या 2	ग्यारहवां सत्र, 2023

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) ने विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) विधिक मापविज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) संशोधन (संशोधन) नियम, 2023 जो 24 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 214(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) विधिक मापविज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) (संशोधन) नियम, 2023 जो 5 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 412(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) विधिक मापविज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) (संशोधन) नियम, 2023 जो 23 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 456(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) विधिक मापविज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) (संशोधन) नियम, 2023 जो 28 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 463(अ) में प्रकाशित हुए थे।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 30 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2023 जो 22 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 455(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) का.आ.2868(अ) जो 1 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित प्रयोजनों के लिए रेल दावा अधिकरण की ई-रेल दावा अधिकरण प्रणाली पर मुकदमेबाजों अथवा आवेदनकर्ताओं अथवा दावाकर्ताओं अथवा प्रतिनिधियों अथवा पीड़ितों के 'जी हाँ' अथवा 'जी नहीं' अधिप्रमाणन अथवा ई-नो योर कस्टमर तथा रेल दावा अधिकरण के

अन्य एकीकृत अनुप्रयोगों अथवा समाधानों सहित सत्यापन के लिए स्वैच्छिक आधार पर आधार अधिप्रमाणन की अनुमति को अधिसूचित किया गया है।

(2) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)**:-**

(एक) दि डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर रेलवे साधारण (संशोधन) नियम, 2023 जो 3 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.264(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय रेल (चालित लाइनें) सामान्य (संशोधन) नियम, 2023 जो 21 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.526(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय रेल (चालित लाइनें) सामान्य (दूसरा संशोधन) नियम, 2023 जो 25 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.535(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 196 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ.2184(अ), जो 16 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा रेल अधिनियम, 1989- कतिपय मदों में रेल संरक्षा आयुक्त की संस्वीकृति प्रदान करने से छूट को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

अपराह्न 02.03 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा गुरूवार, 03 अगस्त, 2023 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह

महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरूवार, 03 अगस्त, 2023/12 श्रावण, 1945 (शक)

संख्या 241

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 201 और 202 के मौखिक उत्तर दिए गए।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.18 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 203 से 220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2301 से 2530 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 2.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 5 तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 की धारा 11 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1307(अ) जो 20 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 28 मार्च, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1018(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ. 1308(अ) जो 20 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ

था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का.आ. 1305(अ) जो 20 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा असम राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 17 का सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(चार) का.आ. 1306(अ) जो 20 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पांच) का.आ. 1309(अ) जो 20 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अरूणाचल प्रदेश राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 913 का सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(छह) का.आ. 1310(अ) जो 20 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अरूणाचल प्रदेश राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 913 का सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(सात) का.आ. 1311(अ) जो 20 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(आठ) का.आ. 1424(अ) जो 20 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 109डी का सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(नौ) का.आ. 1634(अ) जो 5 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा असम और मेघालय राज्यों में, उसमें उल्लिखित, राष्ट्रीय राजमार्गों का सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(दस) का.आ. 1635(अ) जो 5 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(ग्यारह) का.आ. 2134(अ) जो 9 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गुजरात राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग सं. एनई 1ए की घोषणा को अधिसूचित किया गया है।

(बारह) का.आ. 2254(अ) जो 23 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 848आर की घोषणा को अधिसूचित किया गया है।

(तेरह) का.आ. 2326(अ) जो 26 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नागालैण्ड और मणिपुर राज्यों में, उसमें उल्लिखित, राष्ट्रीय राजमार्गों का सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(चौदह) का.आ. 2327(अ) जो 26 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 23 सितम्बर, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 4149(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पंद्रह) का.आ. 2328(अ) जो 26 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सोलह) का.आ. 2757(अ) जो 23 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल राज्यों में नए राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 319बी की घोषणा को अधिसूचित किया गया है।

(सत्रह) का.आ. 2797(अ) जो 28 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 30 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 43) का सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(अठारह) का.आ. 2798(अ) जो 28 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उन्नीस) का.आ. 2933(अ) जो 4 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 114ए का सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(बीस) का.आ. 2934(अ) जो 4 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(2) उपर्युक्त (1) की मद सं. (एक) से (दस) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1193(अ) जो 13 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में एन.एच.-922 के कोइलवार-भोजपुर खंड की चार और उससे अधिक लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ. 1194(अ) जो 13 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में एन.एच.-77 (नया एन.एच.-22) के मुजफ्फरपुर-सोनबरसा खंड की दो लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का.आ. 1195(अ) जो 13 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में एन.एच.-28 (नया एन.एच.-27) के गोपालगंज-कोटवा खंड की चार और उससे अधिक लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(चार) का.आ. 1240(अ) जो 16 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिल्ली और हरियाणा राज्य में डीएनडी-फरीदाबाद बाइपास-बल्लभगढ़ खंड की चार और उससे अधिक लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(पांच) का.आ. 1241(अ) जो 16 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गोवा राज्य में एन.एच.-17बी (नया एन.एच. 566) की वर्ना जंक्शन से सादा जंक्शन तक चार और उससे अधिक लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(छह) का.आ. 1259(अ) जो 28 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में एन.एच.-340 के रायचोटी से अन्गलू खंड तक की 2/4 लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(सात) का.आ. 1260(अ) जो 17 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में एन.एच.-25 (नया एन.एच.-27) के कानपुर-लखनऊ खंड की चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(आठ) का.आ. 1440(अ) जो 28 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में एन.एच.-19 के हंडिया-राजातालाब खंड की टोलिंग, प्रचालन, अनुरक्षण एवं अंतरण (टीओटी माध्यम) की चार लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(नौ) का.आ. 1515(अ) जो 29 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एन.एच.-647 के वर्धा-अर्वी खंड की दो लेन पेव्ड शोल्डर परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित

किया गया है।

(दस) का.आ. 1516(अ) जो 29 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में एन.एच.सं.-565 पर डोरनाला टी जंक्शन-पेंचालकोणा-येरपेडु खंड की दो लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(ग्यारह) का.आ. 1517(अ) जो 16 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एन.एच.-361 के औसा-चाकुर खंड की चार और उससे अधिक लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(बारह) का.आ. 1554(अ) जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में एन.एच.-1ए (नया एच.एच.-44) के ऊधमपुर-रामबान खंड की चार और उससे अधिक लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(तेरह) का.आ. 1650(अ) जो 6 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ओडिशा राज्य में एन.एच.-201 (नया एन.एच.-26) पर अमथ-भवानीपटना खंड की दो लेन पेव्ड शोल्डर परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(चौदह) का.आ. 1825(अ) जो 21 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में एन.एच.-552(जी) के उज्जैन-झालावाड़ (राजस्थान सीमा तक) खंड की चार और उससे अधिक लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(पंद्रह) का.आ. 1827(अ) जो 21 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य में एन.एच.-785 के मदुरै-चेट्टीकुलम-नाथम-तुवारनकुरिचि खंड की चार और उससे अधिक लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(सोलह) का.आ. 1861(अ) जो 24 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा केरल राज्य में एन.एच.-17 (नया एन.एच.-66) के थलास्सरी-माहे बाइपास खंड की चार और उससे अधिक लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(सत्रह) का.आ. 1862(अ) जो 21 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में एन.एच.-730 की खूटार-लखीमपुर खंड की 2/4 लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित

किया गया है।

(अठारह) का.आ. 2027(अ) जो 2 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में एन.एच.-148एनजी के देवास-उज्जैन खंड और एनजी-148एनजी के उज्जैन बाइपास तथा एनएच-752डी के देवास बाइपास से 2/4 लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(उन्नीस) का.आ. 2120(अ) जो 4 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में एन.एच.-158 के असींद-मंडल खंड की दो लेन पेव्ड शोल्डर परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(बीस) का.आ. 2176(अ) जो 12 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य में एन.एच.-21 (नया एन.एच.-3) के पांडोह बाइपास से तकोली खंड तक तथा तकोली से कुल्लू खंड तक की चार और उससे अधिक लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(इक्कीस) का.आ. 2186(अ) जो 16 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में एन.एच.-527 (पुराना एन.एच.-57ए) के फारबिसगंज-जोगबनी खंड की चार और उससे अधिक लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(बाईस) का.आ. 2187(अ) जो 16 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में एन.एच.-74 (नया एन.एच.-30) के सितारगंज-बरेली खंड की चार और उससे अधिक लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(तेईस) का.आ. 2215(अ) जो 17 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य में एन.एच.-21 (अब 205 एवं 154) के कीरतपुर से नेरचौक तक की दो लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(चौबीस) का.आ. 2388(अ) जो 1 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में नए एन.एच.-26 (पुराना एन.एच.-43) की चार लेन खंड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(पच्चीस) का.आ. 2389(अ) जो 1 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ

था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में एन.एच.-20 (पुराना एन.एच.-31) के बख्तियारपुर-राजौली खंड की चार और उससे अधिक लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(छब्बीस) का.आ. 2391(अ) जो 2 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भारतमाला परियोजना के अंतर्गत हाइब्रिड एन्यूटी मोड पर उत्तर प्रदेश राज्य में एन.एच.-2 के चकेरी-इलाहाबाद खंड की चार और अधिक लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(सत्ताईस) का.आ. 2567(अ) जो 12 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में एन.एच.-111 (नया एन.एच.-130) के पथरापाली-कटघोरा खंड की पेव्ड शोल्डर वाली चार लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(अट्ठाईस) का.आ. 2580(अ) जो 13 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में एन.एच.-275 के निदागट्टा-मैसूर खंड की चार और उससे अधिक लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(उनतीस) का.आ. 2677(अ) जो 19 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एन.एच.-361 के चाकूर-लोहा खंड की चार लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(तीस) का.आ. 2678(अ) जो 19 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा झारखण्ड राज्य में एन.एच.-39 (पुराना एन.एच.-75) के संखा-खजूरी खंड की चार और उससे अधिक लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(इकतीस) का.आ. 2679(अ) जो 19 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में एन.एच.-544डीडी के कल्याणदुर्ग से मोलाकलमुरु खंड की पेव्ड शोल्डर वाली दो लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(बत्तीस) का.आ. 2753(अ) जो 22 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में एन.एच.-3 (नया एन.एच.-46) के ग्वालियर से शिवपुरी खंड तक की चार और उससे अधिक लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(तैंतीस) का.आ. 2754(अ) जो 22 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में एन.एच.-46 (पुराना एन.एच.-69) के इटारसी से बेतूल खंड तक की चार और उससे अधिक लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(चौतीस) का.आ. 2764(अ) जो 23 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य में एन.एच.-21 (अब 205 एवं 154) के कीरतपुर-नेरचौक-मनाली खंड की चार और उससे अधिक लेन खंड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(पैंतीस) का.आ. 2871(अ) जो 3 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में नए एन.एच.-748 (पुराना एन.एच.-4ए) के बेलगाम-खानपुर खंड की चार और उससे अधिक लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(छत्तीस) का.आ. 2972(अ) जो 5 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 28 अप्रैल, 2022 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2032(अ) में प्रकाशित प्रयोक्ता शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (सलाहकारों की नियुक्ति) विनियम, 2023, जो 25 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-जेकेएल/आरईजी/2023/09 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (कनेक्टिविटी एंड ओपन एक्सेस इन इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन)(दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, जो 20 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-21/2017 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण और वितरण लाइसेंस प्रदान करने की

प्रक्रिया, निबंधन और शर्तें और अन्य संबंधित मामले) विनियम, 2023, जो 15 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-जेकेएल/आरईजी/2023/07 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) ''जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति कोड) विनियम, 2023'', जो 15 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-जेकेएल/आरईजी/2023/06 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, विद्युत लोकपाल ओर उपभोक्ता परामर्श) विनियम, 2023, जो 23 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-जेकेएल/आरईजी/2023/05 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (ग्रिड इंटरएक्टिव नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली और इससे संबंधित मामले) विनियम, 2023, जो 12 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-जेकेएल/आरईजी/2023/11 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (वितरण अनुज्ञापी के लिए निष्पादन मानक) विनियम, 2023, जो 12 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-जेकेएल/आरईजी/2023/10 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत व्यापार) विनियम, 2023, जो 25 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. जेईआरसी-टेक/आरईजी/2023/08 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) की मद सं. (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अधिसूचना सं. आरए-14026(11)/3/2019-सीईआरसी, जो 2 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह अधिसूचित

किया गया है कि 1 मई, 2023 से केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सहायक सेवाएं) विनियम, 2022 प्रवृत्त होंगे।

(दो) अधिसूचना सं. आरए-14026(11)/1/2019-सीईआरसी, जो 9 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2020, तारीख 1 जुलाई, 2020 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के लिए लागू थे।

(4) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सलाहकारों की नियुक्ति) (चौथा संशोधन) विनियम, 2022 जो 19 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-7/1/0एस44(59)-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल) ने विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 19 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) का.आ. 2690(अ) जो 19 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा रसायनों और संबंधित उपस्करों के निर्यात हेतु सामान्य प्राधिकार के लिए नीति को संशोधित करने हेतु विदेश व्यापार नीति, 2023 में पैरा 10.08 (नौ) में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।

(2) का.आ. 3152(अ) जो 17 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची-2 के परिशिष्ट (स्कोमेट मदें) की श्रेणी 5ख में संशोधनों को अधिसूचित किया गया है।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); संसदीय कार्य मंत्रालय में कार्य मंत्री; और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव चन्द्रशेखर) की ओर से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 89 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश तथा डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन

नियम, 2023 जो 6 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 275(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी ।

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरू के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरू के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरू के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 की धारा 40 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश परिनियम, 2023 जो 17 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. 24024/59/2022/आईपीआर-V. में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, हरियाणा परिनियम, 2023 जो 6 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. 24024/59/2022/आईपीआर-V. में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, मध्य प्रदेश परिनियम, 2023 जो 18 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. 24024/59/2022/आईपीआर-V. में प्रकाशित हुए थे।

(चार) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, असम परिनियम, 2023 जो 6 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. 24024/59/2022/आईपीआर-V. में प्रकाशित हुए थे।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडिया इंटरनेशनल कन्वेन्शन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंडिया इंटरनेशनल कन्वेन्शन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, असम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, असम के वर्ष 2021-2022 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) केंद्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर के वर्ष 2021-2022 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नोएडा के वर्ष 2021-22 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नोएडा के वर्ष 2021-2022 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से प्राप्त संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:-

(एक) कि राज्यसभा 1 अगस्त, 2023 को हुई अपनी बैठक में, लोकसभा द्वारा पारित बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2023 पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो) कि राज्यसभा ने 1 अगस्त, 2023 को हुई अपनी बैठक में मध्यकता विधेयक, 2023 को पारित किया।

(तीन) कि राज्यसभा 1 अगस्त, 2023 को हुई अपनी बैठक में, लोकसभा द्वारा पारित जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2023 पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(चार) कि राज्यसभा 2 अगस्त, 2023 को हुई अपनी बैठक में, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023 पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

5. **राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक- सभा पटल पर रखा गया**

मध्यकता विधेयक, 2023

6. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने श्री प्रहलाद जोशी की ओर से कार्य मंत्रणा समिति का 43वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

7. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री पी.पी. चौधरी ने विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) 'वर्ष 2021-22 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगें' के बारे में आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) के ग्यारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(2) 'वर्ष 2022-23 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगें' के बारे में बारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में विदेशी मामलों संबंधी समिति (17वीं लोक सभा) के उन्नीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

8. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती लॉकेट चटर्जी ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2022-2023) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) का 'बीआईएस-हॉलमार्किंग तथा आभूषण' विषय के बारे में 27वां प्रतिवेदन।

(2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) का 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई)' विषय के बारे में 28वां प्रतिवेदन।

(3) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)की अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-

कार्रवाई संबंधी 29वां प्रतिवेदन।

(4) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग)की अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 30वां प्रतिवेदन।

9. आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री शंकर लालवानी ने 'आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24)' के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के अठारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी उन्नीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत किया।

10. आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्री शंकर लालवानी ने 'मेट्रो रेल परियोजनाओं का कार्यान्वयन - एक मूल्यांकन' विषय के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के तेरहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति के सोलहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों-टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा ।

11. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती रमा देवी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) से संबंधित 'युवाओं के मध्य नशीली दवाओं का दुरूपयोग - समस्याएं और समाधान'के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2022-23) का 51वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया ।

12. उद्योग संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री बिद्युत बरन महतो **ने** उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में समिति के 320वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 322वां प्रतिवेदन।

(2) भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में समिति के 321वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 323वां प्रतिवेदन।

13. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री रघु राम कृष्ण राजू कानुमुरु ने 'भारत सरकार के भर्ती संगठनों के कार्यकरण की समीक्षा' विषय के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का 131वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा ।

अपराहन 02.06 बजे

14. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा) ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य दिए:-

(एक) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 315वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 318वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 320वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा) की ओर से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया ।

अपराहन 02.08 बजे

15. सरकारी विधेयक- पुर:स्थापित

(एक) ***डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2023 ।***

निम्नलिखित सदस्यों ने विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा:-

1. श्री असादुद्दीन ओवैसी
2. श्री गौरव गोगोई
3. प्रो. सौगत राय
4. श्री मनीश तिवारी
5. श्रीमती सुप्रिया सुले
6. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन
7. श्री अधीर रंजन चौधरी
8. डॉ. शशि थरूर

[

रेल मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्वनी वैष्णव) ने सदस्यों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरणों के उत्तर दिए। .

तत्पश्चात, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुर:स्थापित किया गया।

(दो) ***भेषजी (संशोधन) विधेयक, 2023 ।***

अपराहन 02.18 बजे

16. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:-

(1) श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे ने महाराष्ट्र के लातूर में एफएम रेडियो स्टेशन स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(2) श्री रवि किशन शुक्ल ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव के बारे में ।

(3) श्री सुनील कुमार सिंह ने चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सूखे की स्थिति के बारे में।

(4) डॉ. संघमित्रा मौर्य ने सेना में मौर्य रेजिमेंट की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) डॉ. रमापति राम त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश के देवरिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे लेवल क्रॉसिंग पर अंडरपास या ओवर ब्रिज का निर्माण किए जाने के बारे में ।

(6) श्री तपन कुमार गोगोई ने असम के शिवसागर में पुरातत्व स्थलों के विकास के बारे में ।

(7) श्री सुब्रत पाठक ने ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के लिए थेरेपी सत्रों की संख्या में वृद्धि और ऑटिज्म के गंभीर मामलों में देखरेख प्रदाता की व्यवस्था किए जाने के बारे में।

(8) श्री विजय कुमार दुबे ने कुशीनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में छितौनी-तमकुही रेलवे लाइन का निर्माण किए जाने के बारे में।

(9) श्री चुन्नीलाल साहू ने छत्तीसगढ़ में भू-अभिलेखों में झाड़-जंगल के रूप में दर्ज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री विष्णु दयाल राम ने झारखंड की कसौधन जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित किए जाने के बारे में।

(11) श्री कुनार हेम्ब्रम ने दक्षिण पूर्व रेलवे अंतर्गत खड़गपुर मंडल में रेल सेवाओं में सुधार के बारे में।

(12) श्री अरुण कुमार सागर ने उत्तर प्रदेश में शाहजहाँपुर रेलवे स्टेशन पर एस्केलेटर और लिफ्ट उपलब्ध कराने की आवश्यकता के बारे में।

(13) डॉ निशिकांत दुबे ने देवघर में धार्मिक स्थलों के विकास हेतु परियोजनाओं की समीक्षा के बारे में।

(14) श्री नारणभाई काछड़िया ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-351 पर निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री राहुल कस्वां ने राजस्थान में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के बारे में।

(16) श्री भोला सिंह ने महिलाओं के लिए सुविधाजनक कामकाजी घंटों की नीति के बारे में।

(17) श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी ने आधार नंबर को पैन से लिंक न करने पर लगने वाला जुर्माना माफ करने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री वी.के. श्रीकंदन ने मनरेगा के तहत हटाए गए जॉब कार्डों को पुनर्स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री कुंबाकुडी सुधाकरन ने कन्नूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पय्यम्बलम में पार्क और संबंधित क्षेत्र का विकास खुले सैन्य संग्रहालय के रूप में किए जाने के बारे में।

(20) श्री एस.आर.पार्थिबन ने रेल सेवाओं का विस्तार सेलम तक किए जाने के बारे में।

(21) श्री मारगनी भरत ने पोलावरम सिंचाई परियोजना के बारे में।

(22) श्री गजानन चंद्रकान्त कीर्तिकर ने आंशिक रूप से दृष्टिबाधित व्यक्तियों को रेल यात्रा रियायतें देने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री भर्तृहरि महताब ने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत केंद्र और राज्य के बीच प्रीमियम सब्सिडी साझा करने के बारे में।

(24) श्री रामशिरोमणि वर्मा ने उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती विमानपत्तन के संचालन के बारे में।

(25) श्री चौधरी महबूब अली कैसर ने बिहार के खगड़िया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नदियों पर पुल का निर्माण किए जाने के बारे में।

(26) श्री सय्यद ईमत्याज जलील ने प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के तहत कथित तौर पर निधियों के कम उपयोग के बारे में।

(27) श्री नव कुमार सरनीया ने सरकारी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अस्थायी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 02.19 बजे

[$]17. सांविधिक संकल्प- अस्वीकृत

लिया गया समय: 3 घंटे 54 मिनट

श्री अधीर रंजन चौधरी ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:-

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 19.5.2023 को प्रख्यापित दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन(संशोधन) अध्यादेश, 2023 (2023 का संख्यांक 1) का निरनुमोदन करती है।"

चर्चा के पश्चात, संकल्प पर मतदान किया गया और संकल्प अस्वीकृत हुआ।

[$] एक साथ चर्चा की गई।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन(संशोधन) विधेयक, 2023

[$]18. सरकारी विधेयक- पारित

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन(संशोधन) विधेयक, 2023 ।

श्री अमित शाह द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

श्री अधीर रंजन चौधरी सांविधिक संकल्प और विधेयक के बारे में बोले।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री रमेश बिधूड़ी
2. श्री दयानिधि मारन
3. श्री कल्याण बनर्जी
4. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी
5. श्री राहुल रमेश शेवाले
6. श्री राजीव रंजन सिंह' *उर्फ* ललन सिंह
7. श्री पिनाकी मिश्रा
8. श्रीमती मीनाक्षी लेखी
9. डॉ. गदम रणजीत रेड्डी
10. श्रीमती सुप्रिया सुले
11. डॉ. एस.टी हसन
12. डॉ. शशि थरूर
13. श्री हसनैन मसूदी
14. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी
15. श्री मनोज तिवारी
16. श्री विनायक भाऊराव राऊत
17. एडवोकेट ए.एम. आरिफ़

[$] एक साथ चर्चा की गई।

18. श्री असादुद्दीन ओवैसी
19. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल
20. श्री प्रवेश साहिब सिंह
21. श्री कार्ती पी चिदम्बरम
22. श्री के. सुब्बारायण
23. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन
24. श्री हनुमान बेनीवाल
25. श्री सुशील कुमार रिंकू

श्री अमित शाह ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 से 6 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अमित शाह द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

सायं 07.13 बजे

19. नियम 374 के तहत सदस्य का सभा की सेवा से निलंबन

अध्यक्ष ने लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 374 के तहत श्री सुशील कुमार रिंकू को अध्यक्षपीठ के प्राधिकार की अवमानना करने और सभा के नियमों का निरंतर उल्लंघन करने तथा जानबूझकर सभा के कार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिए नामित किया।

तत्पश्चात; संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; और खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा श्री सुशील कुमार रिंकू के कदाचार को गंभीरता से लेते हुए और सभा तथा अध्यक्ष के प्राधिकार की घोर अवमानना करने और अध्यक्ष द्वारा नामित किये जाने पर यह

संकल्प लेती है कि नियम 374 के तहत सत्र की शेष अवधि के लिए श्री सुशील कुमार रिंकू को सभा की सेवा से निलंबित कर दिया जाए।"

"प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत किया गया।"

सायं 07.14 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 04 अगस्त, 2023 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह

महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 04 अगस्त, 2023/13 श्रावण, 1945 (शक)

संख्या 242

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 221 और 223 के मौखिक उत्तर दिए गए।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.21 बजे स्थगित हुई और मध्याहन 12.00 बजे पुन: समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 224 से 240 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2531 से 2760 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याहन 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने भारतीय अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019 की धारा 32 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (पदों की संख्या तथा रजिस्ट्रार, काउंसेल और अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती) संशोधन नियम, 2023 जो 17 फरवरी,

2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.108(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (निबंधन और शर्तें तथा अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते) संशोधन नियम, 2023 जो 17 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.109(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (लेखाओं के वार्षिक विवरण का प्ररूप) संशोधन नियम, 2023 जो 17 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.110(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (अंशकालिक सदस्यों को संदेय यात्रा और अन्य भत्ते) संशोधन नियम, 2023 जो 17 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.111(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(5) भारतीय अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (कारबार का संव्यवहार) विनियम, 2023 जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.एफ.सं. ए-60011/3/2023-आईआईएसी में प्रकाशित हुए थे।

(6) भारतीय अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (माध्यस्थों की तालिका में प्रवेश हेतु मानदंड) विनियम, 2023 जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं.ए-60011/3/2023-आईआईएसी में प्रकाशित हुए थे।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) नाविक भविष्य निधि संगठन (नाविक भविष्य निधि), मुंबई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नाविक भविष्य निधि संगठन (नाविक भविष्य निधि), मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा

अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 4 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 2372(अ) जो 1 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को अपने परिसर में प्रवेश करने वाले निवासियों के लिए स्वैच्छिक आधार पर ''हाँ'' या ''नहीं'' विकल्प अधिप्रमाणन का उपयोग करते हुए पहचान के लिए आधार अधिप्रमाणन सुविधा निष्पादित करने की अनुमति दी गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. मुंजपरा महेन्द्रभाई) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 56 के अंतर्गत राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग (चिकित्सा व्यवसायियों की सूची की प्रस्तुति) (संशोधन) नियम, 2023 जो 5 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.479(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 56 के अंतर्गत होम्योपैथी (होम्योपैथी की अर्हता की मान्यता) विनियम, 2023 जो 19 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. 3-41/2022/एनसीएच/एचईबी/विनियम-डीआरएल-पीटी. में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से प्राप्त संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:-

(एक) कि राज्यसभा 2 अगस्त, 2023 को हुई अपनी बैठक में, लोकसभा द्वारा पारित वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो) कि राज्यसभा 2 अगस्त, 2023 को हुई अपनी बैठक में, लोकसभा द्वारा पारित जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2023 पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(तीन) कि राज्यसभा 3 अगस्त, 2023 को हुई अपनी बैठक में, लोकसभा द्वारा पारित अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023 पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(चार) कि राज्यसभा ने 3 अगस्त, 2023 को हुई अपनी बैठक में, प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2023 पारित किया ।

(पाँच) कि राज्यसभा ने 3 अगस्त, 2023 को हुई अपनी बैठक में, अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया ।

5. **राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक- सभा पटल पर रखा गया**

(एक) प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2023 ।
(दो) अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023 ।

6. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन

6. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री राजेश वर्मा ने अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) से संबंधित 'केनरा बैंक में नियोजन में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' के बारे में समिति (2022-23) के पंद्रहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति का बाईसवां प्रतिवदन।

(2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित 'गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) में नियोजन में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने

तथा उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' के बारे में समिति (2022-23) के सोलहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति का तेईसवां प्रतिवदन।

(3) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) में नियोजन में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' के बारे में समिति (2022-23) के सत्रहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति का चौबीसवां प्रतिवदन।

(4) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित 'बीएसएनएल और एमटीएनएल में नियोजन में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' के बारे में समिति (2022-23) के अठारहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति का पच्चीसवां प्रतिवदन।

7. **रक्षा संबंधी स्थायी समिति के की-गई-कार्रवाई विवरण**

श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले ने समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार के अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) 'सामान्य निर्वाचनों में रक्षा सेवा कार्मिकों द्वारा प्रॉक्सी और डाक मतदान - एक मूल्यांकन' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2016-17) के 23वें प्रितवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2020-21) का 9वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(2) 'सामरिक क्षेत्रों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) और अन्य अभिकरणों के अधीन संपर्क सड़कों सहित बारहमासी सड़क संयोजकता का प्रावधान - एक मूल्यांकन' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2018-19) के 50वें प्रितवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2020-21) का 10वां

प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(3) 'सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तटरक्षक, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज, सामान्य रक्षा सम्पदा महानिदेशालय, रक्षा सरकारी क्षेत्र उपक्रम, कैंटीन भण्डार विभाग, भूतपूर्व सैनिक कल्याण, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना, रक्षा पेंशन, सैनिक स्कूल (मांग सं. 18 और 21)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2019-20 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2019-20) के पहले प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2020-21) का 11वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(4) 'थल सेना, नौसेना, वायु सेना और संयुक्त स्टाफ (मांग सं. 19 और 20)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2019-20 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2019-20) के दूसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2020-21) का 12वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(5) 'सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तटरक्षक, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज, सामान्य रक्षा सम्पदा महानिदेशालय, रक्षा सरकारी क्षेत्र उपक्रम, कैंटीन भण्डार विभाग, भूतपूर्व सैनिक कल्याण, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना, रक्षा पेंशन, सैनिक स्कूल (मांग सं. 18, 19, 20 और 21)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2020-21 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2019-20) के पांचवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2020-21) का 14वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(6) 'थल सेना, नौसेना, वायु सेना और संयुक्त स्टाफ (मांग सं. 19 और 20)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2020-21 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2019-20) के छठे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2020-21) का 15वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(7) 'रक्षा सेवाओं, खरीद नीति, रक्षा आयोजना और विवाहित आवास परियोजना संबंधी पूंजीगत परिव्यय (मांग सं. 20)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2019-20 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2019-20) के तीसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2020-21) का 17वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(8) 'रक्षा सेवाओं, खरीद नीति, रक्षा आयोजना और विवाहित आवास परियोजना संबंधी पूंजीगत परिव्यय (मांग सं. 20)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2020-21 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2019-20) के सातवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2020-21) का 18वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(9) 'सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तटरक्षक, रक्षा सम्पदा संगठन, रक्षा सरकारी क्षेत्र उपक्रम, कैंटीन भण्डार विभाग, भूतपूर्व सैनिक कल्याण और रक्षा पेंशन (मांग सं. 18 और 21)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2020-21 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2020-21) के 19वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2021-22) का 23वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(10) 'थल सेना, नौसेना, वायु सेना और संयुक्त स्टाफ, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना और सैनिक स्कूल (मांग सं. 19 और 20)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2021-22 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2020-21) के 20वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2021-22) का 24वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(11) 'रक्षा सेवाओं, खरीद नीति, रक्षा आयोजना और विवाहित आवास परियोजना संबंधी पूंजीगत परिव्यय (मांग सं. 20)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2021-22 की

अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2020-21) के 21वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2021-22) का 25वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(12) 'आयुध निर्माणियां, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय और राष्ट्रीय कैडेट कोर (मांग सं. 19 और 20)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2021-22 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2020-21) के 22वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2021-22) का 30वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

8. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्री पी.पी. चौधरी ने 'भारतीय डायस्पोरा का कल्याण: नीतियां/योजनाएं' विषय के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के पंद्रहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के इक्कीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।

9. श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री सतीश कुमार गौतम ने श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करे:-

(1) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित 'प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) का कार्यकरण' संबंधी 49वां प्रतिवेदन।

(2) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित 'संगठित और असंगठित क्षेत्रों में वस्त्र कामगारों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और सामाजिक सुरक्षा उपाय' संबंधी 50वां प्रतिवेदन।

10. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. कृष्णपाल सिंह यादव ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) 'चिकित्सा उपकरण: विनियमन और नियंत्रण' के बारे में समिति के 138वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 146वां प्रतिवेदन।

(2) 'कैंसर देखभाल योजना और प्रबंधन: रोकथाम, निदान, अनुसंधान और कैंसर उपचार की वहनीयता' के बारे में समिति के 139वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 147वां प्रतिवेदन।

(3) 'समकालीन समय में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और उसका प्रबंधन' संबंधी 148वां प्रतिवेदन।

11. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री सुरेश कुमार पुजारी ने 'निर्वाचन प्रक्रिया के विशिष्ट पहलू और उनमें सुधार' के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का 132वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराहन 12.07 बजे

12. मंत्री द्वारा वक्तव्य

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट) ने रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तट रक्षक, रक्षा संपदा संगठन, सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रम, कैंटीन भंडार विभाग, भूतपूर्व सैनिक कल्याण और रक्षा पेंशन (मांग सं. 19 और 22)' के बारे में अनुदानों की मांगों (2022-23) के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

अपराहन 12.09 बजे

13. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सत्र के शेष भाग के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।

14. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) के लिए लोक सभा के एक सदस्य के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

डॉ. भारती प्रवीण पवार ने डॉ. मनसुख मांडविया कि ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) अधिनियम, 1956 की धारा 6(3) के साथ पठित धारा 4(छ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन श्री रतन लाल कटारिया, जिनका 18.05.2023 को निधन हो गया, के स्थान पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

15. प्रस्ताव

श्री प्रहलाद जोशी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा 3 अगस्त, 2023 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 43वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराहन 12.11 बजे

16. सरकारी विधेयक- पुर:स्थापित

अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक, 2023.

अपराहन 12.13 बजे

16. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:-

(1) श्रीमती रंजीता कोली ने राजस्थान के भरतपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कथित अवैध खनन गतिविधियों के बारे में ।

(2) श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे ने प्रशिक्षु अधिनियम के तहत पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले प्रशिक्षुओं द्वारा रेल स्थापन में पदों के लिए आवेदन करने हेतु अर्हता के बारे में।

(3) श्री बिद्युत बरन महतो ने झारखण्ड को 'सूखाग्रस्त' राज्य घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री राजू बिष्ट ने दार्जिलिंग क्षेत्र के लिए स्थायी राजनीतिक समाधान के बारे में।

(5) श्रीमती केशरी देवी पटेल ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में विभिन्न रेल सेवाओं के विस्तार की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री प्रदीप कुमार सिंह ने फोरबिसगंज-नरपतगंज रेलखंड पर घोषित रेलगाड़ियों का परिचालन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री विवेक नारायण शेजवलकर ने सहकारी समितियों के निवेशकों का पैसा लौटाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री सुनील कुमार सोनी ने छत्तीसगढ़ में भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) केंद्र खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री नरेन्द्र कुमार ने ब्रह्मपुत्र मेल की सेवाओं को जयपुर तक विस्तारित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) डॉ. हिना विजयकुमार गावीत ने महाराष्ट्र के धुले जिले के पलासनेर गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-52 पर एक अंडरपास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री जयंत सिन्हा ने झारखंड में कथित तौर पर बिगड़ती कानून व्यवस्था के बारे में।

(12) श्री सुमेधानंद सरस्वती ने राजस्थान में महिलाओं, बच्चों और दलितों के खिलाफ अपराध के कथित मामलों के बारे में ।

(13) श्री जय प्रकाश ने हरदोई-गुरसहायगंज रेलवे लाइन परियोजना का शीघ्र निर्माण कराये जाने के बारे में ।

(14) श्रीमती शारदाबेन अनिलभाई पटेल ने गुजरात के महेसाणा में वर्तमान में संचालित प्रधान डाकघर में पासपोर्ट सेवा केंद्र और आधार सेवा केंद्र के लिए अलग भवन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) सुश्री देबाश्री चौधरी ने पश्चिम बंगाल के राधिकापुर से नई दिल्ली तक सीधी एक्सप्रेस रेलगाड़ी आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री वी. वैथिलिंगम ने पुदुचेरी में पीएम मित्र योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के बारे में ।

(17) श्री एस. ज्ञानतिरावियम ने तमिलनाडु के कल्लिदैकुरिची रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव के बारे में ।

(18) श्री एस. रामलिंगम ने कर्नाटक में प्रस्तावित मेकेदातु जलाशय के बारे में।

(19) श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर ने दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में सड़कों की जर्जर स्थिति के बारे में।

(20) श्री चन्देश्वर प्रसाद ने जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर पटना-रांची वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 12.13 बजे

17. सरकारी विधेयक- पारित

(एक) ***अंतर-सेना संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023 ।***

आवंटित समय: 2 घंटे

लिया गया समय: 15 मिनट

श्री राजनाथ सिंह द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
2. श्री रितेश पाण्डेय

श्री राजनाथ सिंह ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 से 15 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री राजनाथ सिंह द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

अपराहन 12.28 बजे

(दो) *भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2023 ।*

आवंटित समय: 2 घंटे

लिया गया समय: 14 मिनट

श्री धर्मेन्द्र प्रधान द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री जगदम्बिका पाल
2. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू

श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 से 12 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराहन 12.42 बजे स्थगित हुई और मध्याहन 12.51 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराहन 12.28 बजे

18. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक- पुर:स्थापित

1. डॉ॰ शशि थरूर, संसद सदस्य का केरल उच्च न्यायालय (तिरुवनन्तपुरम में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2023

2. डॉ. शशि थरूर, संसद सदस्य का स्वास्थ्य देखरेख कार्मिक और स्वास्थ्य देखरेख संस्थान (हिंसा और संपत्ति की क्षति का प्रतिषेध) विधेयक, 2023

3. डॉ. शशि थरूर, संसद सदस्य का स्वास्थ्य देखरेख कार्मिक और स्वास्थ्य देखरेख संस्थान (हिंसा और संपत्ति की क्षति का प्रतिषेध) विधेयक, 2023

4. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, संसद सदस्य का पत्रकार (हिंसा तथा संपत्ति को क्षति अथवा हानि की रोकथाम) विधेयक, 2022

5. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, संसद सदस्य का अधिवक्ता (संरक्षण) विधेयक, 2022

6. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 201 का संशोधन)

7. श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 23 का संशोधन)

8. श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य का हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 2 का संशोधन, आदि)

9. श्री हैबी ईडन, संसद सदस्य का महिलाओं का ऋतुस्त्राव अवकाश तथा ऋतुस्त्राव स्वास्थ्य उत्पादों तक निशुल्क पहुंच का अधिकार विधेयक, 2022

10. श्री हैबी ईडन, संसद सदस्य का, संसद सदस्य का पोक्कली कृषि (संरक्षण, संवर्धन और कल्याण) विधेयक, 2023

11. श्री हैबी ईडन, संसद सदस्य का, संसद सदस्य का स्वास्थ्य परिचर्या वृत्तिक (हिंसा

और उत्पीडन से संरक्षण) विधेयक, 2023

12. श्री गौरव गोगोई, संसद सदस्य का कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 2 का संशोधन,आदि)

13. श्री गौरव गोगोई, संसद सदस्य का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंध आयोग (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 2 का संशोधन,आदि)

14. श्री गौरव गोगोई, संसद सदस्य का ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 2 का संशोधन, आदि)

15. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम, संसद सदस्य का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2023 (धारा 20क का संशोधन

16. श्री राजू बिष्ट, संसद सदस्य का केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (नई धारा 3 छ का अंतःस्थापन, आदि)

17. एडवोकेट ए.एम. आरिफ़, संसद सदस्य का कृषि उपज मूल्य नियतन बोर्ड विधेयक, 2022

18. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू, संसद सदस्य का मिर्च (संवर्धन एवं विकास) विधेयक, 2022

19. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू, संसद सदस्य का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) विधेयक, 2022

20. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू, संसद सदस्य का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) विधेयक, 2022

21. श्री पी. पी. चौधरी, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 58 का संशोधन)

22. श्री पी. पी. चौधरी, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (सातवीं अनुसूची का संशोधन)

23. श्री पी. पी. चौधरी, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (सातवीं अनुसूची का संशोधन)

24. श्री जगदम्बिका पाल, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2021 (सातवीं अनुसूची का संशोधन)

25. श्री जगदम्बिका पाल प्रस्ताव, संसद सदस्य का मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 2 का संशोधन, आदि)

26. श्री जगदम्बिका पाल, संसद सदस्य का सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2023 (धारा 2 का संशोधन, आदि)

27. डॉ. निशिकांत दुबे, संसद सदस्य का दंड विधियां (संशोधन) विधेयक, 2023 (नई धारा 52ख का अंतःस्थापन, आदि)

28. डॉ. निशिकांत दुबे, संसद सदस्य का महामारी (संशोधन) विधेयक, 2023 (धारा 1क का संशोधन, आदि)

29. डॉ. निशिकांत दुबे, संसद सदस्य का केन्द्रीय शिक्षा संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 (धारा 2 और 3 का संशोधन)

30. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संसद सदस्य का सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 23 का संशोधन, आदि)

31. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संसद सदस्य का मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 17 का संशोधन, आदि)

32. श्री कोडीकुन्नील सुरेश, संसद सदस्य का वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 31 का संशोधन)

33. श्री मारगनी भरत, संसद सदस्य का आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 (नए भाग दस क का अंतःस्थापन)

34. एडवोकेट डीन कुरियाकोस, संसद सदस्य का सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2023 (धारा 2 का संशोधन, आदि)

35. एडवोकेट डीन कुरियाकोस, संसद सदस्य का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2023 (धारा 22 का संशोधन, आदि)

36. एडवोकेट डीन कुरियाकोस, संसद सदस्य का वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 (धारा 2 का संशोधन, आदि)

37. डॉ. गदम रणजीत रेड्डी, संसद सदस्य का भारत का उच्चतम न्यायालय (हैदराबाद में स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2023

38. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत, संसद सदस्य का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 2 का संशोधन, आदि)

39. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 312 का संशोधन

40. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत, संसद सदस्य का माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 21 का संशोधन, आदि)

41. श्रीमती लॉकेट चटर्जी, संसद सदस्य का अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां उप-योजनाएँ (बजटीय आबंटन और विशेष योजनाएं) विधेयक, 2020

42. श्रीमती लॉकेट चटर्जी, संसद सदस्य का वाहन प्रदूषण में कमी लाने संबंधी विधेयक, 2019

43. श्री सु. थिरुनवुक्करासर, संसद सदस्य का बेरोजगारी भत्ता विधेयक, 2019

44. श्री सु. थिरुनवुक्करासर, संसद सदस्य का कृषि कामगार कल्याण कोष विधेयक, 2019

45. डॉ. मोहम्मद जावेद, संसद सदस्य का दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2023 (धारा 2 का संशोधन, आदि

46. श्री राहूल शेवाले, संसद सदस्य का भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (नई धारा 440क का अंतःस्थापन)

47. श्री राहुल शेवाले, संसद सदस्य का बाल विवाह उत्सादन विधेयक, 2022

48. श्री राहुल शेवाले, संसद सदस्य का नमक कर्मकार कल्याण विधेयक, 2023

49. डॉ. सुकान्त मजूमदार, संसद सदस्य का चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2023 (धारा 2 और 4 का संशोधन)

50. डॉ. सुकान्त मजूमदार, संसद सदस्य का विद्यालयों और अन्य शैक्षिक संस्थाओं में अनिवार्य योग अभ्यास विधेयक, 2023

51. श्री थोमस चाज़िकाडन, संसद सदस्य का दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2023 (धारा 2 का संशोधन, आदि)

52. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2023 (अनुच्छेद 312 का संशोधन)

53. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी, संसद सदस्य का दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2023 (धारा 2 का संशोधन, आदि)

54. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी, संसद सदस्य का हथकरघा बुनकर और कामगार (कल्याण) प्राधिकरण विधेयक, 2023

55. डॉ. मोहम्मद जावेद, संसद सदस्य का स्वास्थ्य देख-रेख सेवाप्रदाता और सुविधाएं (हिंसा तथा संपत्ति की क्षति का निवारण) विधेयक, 2023

56. श्री मनोज कोटक, संसद सदस्य का शहरी क्षेत्र (विकास और विनियमन) विधेयक, 2023

57. श्री मनोज कोटक, संसद सदस्य का सोशल मीडिया पर मिथ्या समाचार का प्रतिषेध विधेयक, 2023

58. श्री मनोज कोटक, संसद सदस्य का अपशिष्ट (निपटान और प्रबंधन) विधेयक, 2023

59. श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी, संसद सदस्य का माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2023 (धारा 19 का संशोधन, आदि)

60. श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2023 (अनुच्छेद 214 का संशोधन)

61. डॉ. संजय जायसवाल, संसद सदस्य का राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 (धारा 2 का संशोधन)

62. श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल', संसद सदस्य का टूर ऑपरेटर और ट्रेवल एजेंट (विनियमन) विधेयक, 2022

63. श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल', संसद सदस्य का दलित, पिछड़े और दमित युवा (विकास और कल्याण) विधेयक, 2022

64. श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल', संसद सदस्य का विद्यालयों में सामाजिक और भावनात्मक अधिगम संवर्धन विधेयक, 2022

65. श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम, संसद सदस्य का पवन चक्की एवं सौर ऊर्जा अपशिष्ट(प्रबंधन, निस्तारण एवं पुनर्चक्रण) विधेयक, 2022

66. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर, संसद सदस्य का राष्ट्रीय हरित अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022
(धारा 15 का संशोधन, आदि)

67. श्री प्रद्युत बोरदोलोई, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (सातवीं अनुसूची का संशोधन)

68. डॉ. गौतम सिगामणि पोन, संसद सदस्य का हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, 2023 (धारा 2 का संशोधन)

69. डॉ. गौतम सिगामणि पोन, संसद सदस्य का कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) संशोधन विधेयक, 2023(नई धारा 4क का अंतःस्थापन)

70. श्री रितेश पाण्डेय, संसद सदस्य का भारतीय दूरसंचार (गोपनीयता और सुरक्षा) विधेयक, 2023

71. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी, संसद सदस्य का नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 2 का संशोधन)

72. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी, संसद सदस्य का उत्प्रवास (संशोधन) विधेयक, 2023 (नए अध्याय 2क का अंतःस्थापन,आदि)

73. डॉ. तालारी रंगैय्या, संसद सदस्य का पिंगली वेंकैया राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी विधेयक**,** 2023

74. श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल, संसद सदस्य का मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 8 का संशोधन)

75. श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल, संसद सदस्य का सामाजिक सुरक्षा संहिता (संशोधन) विधेयक, 2023 (धारा 15 का संशोधन, आदि)

76. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, संसद सदस्य का क्षयरोग (उपचार और उन्मूलन) विधेयक, 2022

77. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, संसद सदस्य का पर्यटन विकास बोर्ड विधेयक, 2022

78. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, संसद सदस्य का ग्रामीण क्षेत्र मूर्तिकार, कलाकार और कारीगर उत्थान परिषद विधेयक, 2022

79. श्री प्रवेश साहिब सिंह, संसद सदस्य का खिलाड़ी (खेल निकायों में आरक्षण) विधेयक, 2022

80. श्री प्रवेश साहिब सिंह, संसद सदस्य का दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2023 (धारा 267 और 273 का संशोधन)

81. श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, संसद सदस्य का सोशल मीडिया और ओवर-द-टॉप प्लेटफॉर्म विनियामक बोर्ड विधेयक, 2022

82. श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 72 का संशोधन)

83. श्री वी.के. श्रीकंदन, संसद सदस्य का मानव-पशु संघर्ष निवारण बोर्ड विधेयक, 2023

84. श्री वी.के. श्रीकंदन, संसद सदस्य का हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, 2023 (धारा 15 और 16 का संशोधन)

85. श्री वी. के. श्रीकंदन, संसद सदस्य का नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2023 (धारा 18 का संशोधन)

86. श्री श्रीनिवास केसिनेनी, संसद सदस्य का दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 124क का संशोधन, आदि)

87. श्री श्रीनिवास केसिनेनी, संसद सदस्य का सरकारी विधायी प्रस्ताव और योजनाएं (प्रभाव विश्लेषण और कार्यान्वयन-पश्चात मूल्यांकन) विधेयक, 2022

88. श्री श्रीनिवास केसिनेनी, संसद सदस्य का दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 125 का संशोधन)

89. श्री विष्णु दयाल राम, संसद सदस्य का स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2023 (धारा 31क का संशोधन)

90. श्री सुधीर गुप्ता, संसद सदस्य का न्यायिक उत्तरदायित्व विधेयक, 2023

91. डॉ॰ मनोज राजोरिया, संसद सदस्य का पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक रोगों का निवारण और नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2023 (नई धारा 19क और 19ख का अंत:स्थापन)

92. डॉ. मनोज राजोरिया, संसद सदस्य का पर्यावरण के लिए जीवनशैली का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2023

93. श्री संजय भाटिया, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 15 तथा 16 का संशोधन)

94. श्री संजय भाटिया, संसद सदस्य का मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 41 का संशोधन)

95. श्री जसबीर सिंह गिल, संसद सदस्य का प्लास्टिक विनिर्माण (विनियमन) विधेयक, 2019

96. श्री रवि किशन, संसद सदस्य का शैक्षिक संस्थाओं में नैतिक आचारों का अनिवार्य

शिक्षण विधेयक, 2023

97. श्री रवि किशन, संसद सदस्य का केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 (पहली अनुसूची का संशोधन)

98. श्री रवि किशन, संसद सदस्य का परंपरागत मछुआरे (संरक्षण और कल्याण) विधेयक, 2023

99. श्रीमती सुनीता दुग्गल, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2023 (नए अनुच्छेद 48ख का अंतःस्थापन, आदि)

100. श्री जसबीर सिंह गिल, संसद सदस्य का विशेष अवसरों पर व्यर्थ व्यय का निवारण विधेयक, 2020

101. डॉ. डीएनवी सेंथिलकुमार एस. , संसद सदस्य का खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 3 का संशोधन, आदि)

102. श्री सुनील कुमार सिंह, संसद सदस्य का दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति (समान प्रतिकर) विधेयक, 2022

103. श्री सुनील कुमार सिंह, संसद सदस्य का उच्च न्यायालय (राजभाषा का प्रयोग) विधेयक, 2022

104. डॉ. आलोक कुमार सुमन, संसद सदस्य का रेल (संशोधन) विधेयक, 2022(नई धारा 24क का अंत:स्थापन)

105. डॉ. डीएनवी सेंथिलकुमार एस., संसद सदस्य का संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुसूची का संशोधन)

106. श्री रितेश पाण्डेय, संसद सदस्य का परिचर्या सेवाएं (सेवा का नियमितीकरण और कल्याण) विधेयक, 2022

107. श्री दिलेश्वर कामैत, संसद सदस्य का एसिड हमलों के पीड़ित व्यक्ति, उनका पुनर्वास, सहायता और स्वास्थ्य देखरेख विधेयक, 2022

108. श्री दिलेश्वर कामैत, संसद सदस्य का पदच्युत कर्मचारी (कल्याण) विधेयक, 2022

109. डॉ. डीएनवी सेंथिलकुमार एस. , संसद सदस्य का स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकों और नैदानिक स्थापनों के विरुद्ध हिंसा निवारण विधेयक, 2022

110. श्री दिलीप शइकीया, संसद सदस्य का पथरुघाट राष्ट्रीय किसान स्मारक विधेयक, 2022

111. श्री दिलीप शइकीया, संसद सदस्य का प्राइवेट कोचिंग केन्द्र विनियामक बोर्ड विधेयक, 2023

112. श्री दिलीप शइकीया, संसद सदस्य का विद्यालयों में मादक पदार्थों के सेवन के दुष्प्रभावों का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2023

113. श्री भोला सिंह, संसद सदस्य का शैक्षिक संस्थाओं में भगवद्गीता का अनिवार्य शिक्षण एवं अभ्यास विधेयक, 2022

114. डॉ. आलोक कुमार सुमन, संसद सदस्य का दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2022 (नई धारा 304ग का अंतःस्थापन, आदि)

115. डॉ. कृष्णपाल सिंह यादव, संसद सदस्य का कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 135 का संशोधन)

116. डॉ. कृष्णपाल सिंह यादव, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 343 के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)

117. डॉ. कृष्णपाल सिंह यादव, संसद सदस्य का सामाजिक सुरक्षा संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 2 और 53 का संशोधन)

118. श्री जुगल किशोर शर्मा, संसद सदस्य का इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट (प्रबंधन और निपटान) विधेयक, 2021

119. श्री जुगल किशोर शर्मा, संसद सदस्य का बालक कल्याण विधेयक, 2021

120. श्री अब्दुल खालेक, संसद सदस्य का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2022 (नए अध्याय 4क का अंतःस्थापन)

121. श्री अब्दुल खालेक, संसद सदस्य का संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022 (पैरा 3 का लोप)

122. श्री अब्दुल खालेक**,** संसद सदस्य का दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2023 (धारा 99 का संशोधन, आदि)

123. श्री श्याम सिंह यादव, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 85 का संशोधन)

124. श्री भोला सिंह, संसद सदस्य का मानव दुर्व्यापार (निवारण और नियंत्रण) विधेयक, 2023

125. श्री सी. एन. अन्नादुरई, संसद सदस्य का संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 (अनुसूची का संशोधन)

126. श्री गणेश सेल्वम, संसद सदस्य का छोटी जोत वाले किसान (संरक्षण और कल्याण) विधेयक, 2023

127. श्री कुलदीप राय शर्मा, संसद सदस्य का अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (स्वास्थ्य का अधिकार) विधेयक, 2023

128. श्री कुलदीप राय शर्मा, संसद सदस्य का अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में दुकानदारों का कल्याण विधेयक, 2023

129. श्री कुलदीप राय शर्मा, संसद सदस्य का अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (सेवा नियमितीकरण और कल्याण) विधेयक, 2023

130. श्री एम.के. राघवन, संसद सदस्य का आंगनवाड़ी कार्यकर्ता विधेयक, 2022

131. श्री एम. के. राघवन, संसद सदस्य का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2022 (नई धारा 3क का अंतःस्थापन)

132. श्री एम.के. राघवन, संसद सदस्य का दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 353 का संशोधन)

133. श्री हनुमान बेनीवाल, संसद सदस्य का माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 20 का संशोधन

134. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह राजेनिंबालकर, संसद सदस्य का सरकारी सेवक (सेवाओं का विनियमन) विधेयक, 2023

(लोक सभा सोमवार, 07 अगस्त, 2023 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह

महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 07 अगस्त, 2023 / 16 श्रावण, 1945 (शक)

संख्या 243

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 241 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे स्थगित हुई और मध्याहन 12.00 बजे पुन: समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 242 से 260 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2761 से 2990 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3*. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने सदस्यों से प्रश्नकाल सुचारू रूप से चलने देने की अपील की।

---

* पूर्वाह्न 11.01 बजे। मूल हिंदी में। विवरण के लिए, कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इंद्रजीत सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 63 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (महानिदेशक) भर्ती संशोधन नियम, 2023 जो 18 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 518(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 54 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ.3238(अ) जो 19 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23क की उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 5 और 6 के उपबंधों के अनुप्रयोग से राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए छूट दी गई है, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2023 जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 242(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी (कंपनियों के रजिस्टर से कंपनियों के नाम हटाना) संशोधन नियम, 2023 जो 17 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 298(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कंपनी (कंपनियों के रजिस्टर से कंपनियों के नाम हटाना) दूसरा संशोधन नियम, 2023 जो 10 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 354(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कंपनी (समझौते, व्यवस्था और समामेलन) संशोधन नियम, 2023 जो 31 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 367(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) कंपनी (लेखा) दूसरा संशोधन नियम, 2023 जो 2 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 408(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) उपर्युक्त (3) की मद संख्या (एक) और (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 79 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) नियम, 2023 जो 2 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 411(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 3645(अ) जो 5 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ. 3595(अ) जो 30 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पैनगंगा वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का.आ. 4205(अ) जो 28 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मेलघाट बाघ रिजर्व पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।

(चार) का.आ. 668(अ) जो 28 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा लोनार वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।

(पांच) का.आ. 837(अ) जो 16 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उमरेद करहांडला वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।

(छह) का.आ. 1175(अ) जो 13 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भामरागढ़ वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।

(सात) का.आ. 3996(अ) जो 9 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गौतला औतरामघाट वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।

(आठ) का.आ. 1565(अ) जो 15 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सागरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य (हाल ही में नया नाम यशवंतराव चव्हाण सागरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य) पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।

(नौ) का.आ. 1603(अ) जो 17 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा फणसाड वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।

(दस) का.आ. 1604(अ) जो 17 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ज्ञानगंगा वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।

(ग्यारह) का.आ. 2202(अ) जो 12 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जायकवाड़ी पक्षी अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।

(बारह) का.आ. 1367(अ) जो 28 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कलसुबाई हरीशचन्द्रगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।

(तेरह) का.आ. 1751(अ) जो 31 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा येदशी रामलिंग घाट वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।

(चौदह) का.आ. 1752(अ) जो 31 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गंगेवाड़ी न्यू ग्रेट इंडियन सोहन पक्षी वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।

(पंद्रह) का.आ. 3029(अ) जो 13 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पेंच राष्ट्रीय पार्क और मानसिंहदेव वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।

(सोलह) का.आ. 4892(अ) जो 18 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।

(सत्रह) का.आ. 27(अ) जो 3 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अनेर डैम वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।

(अठारह) का.आ. 3250(अ) जो 11 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।

(उन्नीस) का.आ. 1221(अ) जो 8 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यवल वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।

(बीस) का.आ. 3249(अ) जो 11 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।

(इक्कीस) का.आ. 2633(अ) जो 6 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।

(बाईस) का.आ. 3630(अ) जो 15 अक्तूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।

(तेईस) का.आ. 4004(अ) जो 5 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (संशोधन), महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।

(चौबीस) का.आ. 1196(अ) जो 12 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा काटेपूर्णा वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।

(पच्चीस) का.आ. 918(अ) जो 25 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ताम्हिणी वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।

(छब्बीस) का.आ. 2407(अ) जो 18 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा करंजा सोहाल ब्लैकबक वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।

(सत्ताईस) का.आ. 4293(अ) जो 14 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।

(अट्ठाईस) का.आ. 213(अ) जो 17 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बोर टाइगर रिजर्व पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।

(उनतीस) का.आ. 1311(अ) जो 26 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कैबुल लामझाओ राष्ट्रीय पार्क पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, मणिपुर को अधिसूचित किया गया है।

(तीस) का.आ. 3307(अ) जो 26 अक्टूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कैलम वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, मणिपुर को अधिसूचित किया गया है।

(इकतीस) का.आ. 3309(अ) जो 26 अक्टूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जैलाड वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, मणिपुर को अधिसूचित किया गया है।

(बत्तीस) का.आ. 3310(अ) जो 26 अक्टूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यांगूओपोकपी लोकचाओ वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, मणिपुर को अधिसूचित किया

गया है।

(तैंतीस) का.आ. 2146(अ) जो 6 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जिरि-माकरू वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, मणिपुर को अधिसूचित किया गया है।

(चौतीस) का.आ. 4028(अ) जो 14 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बुनिंग वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, मणिपुर को अधिसूचित किया गया है।

(पैंतीस) का.आ. 1816(अ) जो 7 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नोंगखायलेम आरक्षित वन पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, मेघालय को अधिसूचित किया गया है।

(छत्तीस) का.आ. 2942(अ) जो 6 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नरपुह वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, मेघालय को अधिसूचित किया गया है।

(सैंतीस) का.आ. 1966(अ) जो 14 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पुआलरेंग वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, मिजोरम को अधिसूचित किया गया है।

(अड़तीस) का.आ. 2165(अ) जो 25 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा थोरांगटलांग वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, मिजोरम को अधिसूचित किया गया है।

(उनतालीस) का.आ. 2359(अ) जो 4 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा लेंगतेंग वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, मिजोरम को अधिसूचित किया गया है।

(चालीस) का.आ. 2358(अ) जो 4 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मुरलेन राष्ट्रीय पार्क पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, मिजोरम को अधिसूचित किया गया है।

(इकतालीस) का.आ. 2519(अ) जो 15 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दाम्पा टाइगर रिजर्व पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, मिजोरम को अधिसूचित किया गया है।

(बयालीस) का.आ. 4372(अ) जो 6 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा खवांगलुंग वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, मिजोरम को अधिसूचित किया गया है।

(तैंतालीस) का.आ. 1967(अ) जो 14 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तावी वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, मिजोरम को अधिसूचित किया गया है।

(चवालीस) का.आ. 2906(अ) जो 9 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा चांदका दमपाड़ा वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, ओडिशा को अधिसूचित किया गया है।

(पैंतालीस) का.आ. 1654(अ) जो 19 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बालूखांडा-कोणार्क वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, ओडिशा को अधिसूचित किया गया है।

(छियालीस) का.आ. 1814(अ) जो 7 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा देबरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, ओडिशा को अधिसूचित किया गया है।

(सैंतालीस) का.आ. 2539(अ) जो 9 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कुलदिहा वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, ओडिशा को अधिसूचित किया गया है।

(अड़तालीस) का.आ. 1222(अ) जो 8 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सुनाबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, ओडिशा को अधिसूचित किया गया है।

(उनचास) का.आ. 3149(अ) जो 30 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बदरामा वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, ओडिशा को अधिसूचित किया गया है।

(पचास) का.आ. 4444(अ) जो 11 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, ओडिशा को अधिसूचित किया गया है।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. सा.का.नि. 522(अ) जो 18 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 11 जुलाई, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 499(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 जो 24 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3984(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) का.आ. 6169(अ) जो 30 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना सं. का.आ. 5481(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) दूसरा संशोधन नियम, 2022 जो 23 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.900(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(5) उपर्युक्त (4) की मद संख्या (एक) और (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 49ड. के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ.2241(अ) जो 22 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 29 फरवरी, 2024 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन कृत्यों के निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए डॉ. सत्य प्रकाश यादव, अपर महानिदेशक वन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रबंधन प्राधिकारी के रूप में पदाभिहित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.03 बजे स्थगित हुई
और अपराह्न 02.00 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 02.00 बजे

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.1562(अ) जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्रास-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) 6 अप्रैल, 2023 की अधिसूचना संख्या 26/2023-सीमाशुल्क(एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ.1735(अ) जो 13 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्रास-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) 20 अप्रैल, 2023 की अधिसूचना संख्या 29/2023-सीमाशुल्क(एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का.आ.1967(अ) जो 28 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्रास-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) 4 मई, 2023 की अधिसूचना संख्या 33/2023-सीमाशुल्क(एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का.आ.2182(अ) जो 15 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्रास-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) 18 मई, 2023 की अधिसूचना संख्या 36/2023-सीमाशुल्क(एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) का.आ.2368 (अ) जो 31 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्रास-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) 1 जून, 2023 की अधिसूचना संख्या 39/2023-सीमाशुल्क(एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) 7 जून, 2023 की अधिसूचना संख्या 40/2023-सीमाशुल्क(एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) 8 जून, 2023 की अधिसूचना संख्या 41/2023-सीमाशुल्क(एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) 12 जून, 2023 की अधिसूचना संख्या 42/2023-सीमाशुल्क(एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) 15 जून, 2023 की अधिसूचना संख्या 44/2023-सीमाशुल्क(एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) का.आ.2663 (अ) जो 15 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्रास-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) 23 जून, 2023 की अधिसूचना संख्या 46/2023-सीमाशुल्क(एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) का.आ.2833 (अ) जो 30 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्रास-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) 6 जुलाई, 2023 की अधिसूचना संख्या 50/2023-सीमाशुल्क(एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) 13 जुलाई, 2023 की अधिसूचना संख्या 52/2023-सीमाशुल्क(एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) का.आ.3184 (अ) जो 14 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्रास-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) 20 जुलाई, 2023 की अधिसूचना संख्या 54/2023-सीमाशुल्क(एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) कुरियर आयात और निर्यात (क्लियरेंस) संशोधन विनियम, 2023 जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 243(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) कुरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण) संशोधन विनियम, 2023 जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 244(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (एक), (दो),(बाईस) और (तेईस) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 537(अ) जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.690(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 540(अ) जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.691(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 543(अ) जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.692(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 547(अ) जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.673(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 550(अ) जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 दिसम्बर, 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.1263(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(4) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 538(अ) जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.683(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 541(अ) जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.684(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक

ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 544(अ) जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.685(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 548(अ) जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.666(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 551(अ) जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 दिसम्बर, 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.1266(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(5) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 539(अ) जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.702(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 542(अ) जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.703(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 545(अ) जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.704(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 549(अ) जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.710(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 552(अ) जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 दिसम्बर, 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.1269(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(6) माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि.553(अ) जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 01/2017-प्रतिकर उपकर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आयकर संशोधन (तीसरा संशोधन) नियम, 2023 जो 21 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.118(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 1692(अ) जो 10 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 5 जून, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ.1790(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ. 2571(अ) जो 12 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 5 जून, 2023 की अधिसूचना सं. का.आ.1790(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) ई-अपील योजना, 2023 जो 29 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2352(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 2023 जो 22 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.379(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 2023 जो 30 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.399(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) आयकर (आठवां संशोधन) नियम, 2023 जो 31 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.403(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) आयकर (दसवां संशोधन) नियम, 2023 जो 21 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.452(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) आयकर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2023 जो 23 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.457(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) आयकर (बारहवां संशोधन) नियम, 2023 जो 17 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.514(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) आयकर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2023 जो 18 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.519(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(8) सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 25 के अंतर्गत सिक्का निर्माण (भारत की जी20 अध्यक्षता के अवसर पर स्मारक सिक्के जारी करना) नियम, 2023 जो 24 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 533(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति ((हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 31 के अंतर्गत प्रारूप अधिसूचना सं. एफ.सं. 3/4/2022-ईएम-भाग(5), जिसके द्वारा निदेशित किया गया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के, उसमें उल्लिखित, कतिपय

उपबंध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं या वित्तीय संस्थाओं पर ऐसे रूपांतरणों, जैसी भी स्थिति हो, के साथ लागू होंगे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत 30 जून, 2023 का परिपत्र सं. एफ.सं. 370142/23/2023-टीपीएल, जिसका आशय विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज की खरीद और उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) संबंधी स्रोत पर कर संकलन (टीसीएस) से संबंधित परिवर्तनों के कार्यान्वयन में कठिनाई को दूर करना है तथा जिसकी समसंख्या का एक शुद्धिपत्र 6 जुलाई, 2023 का है, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7(1) और धारा 7(3)(ख) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 के अंत तक बजट से संबंधित प्राप्तियों और व्यय की छमाही समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मीनाक्षी लेखी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, तंजावुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, तंजावुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ङ. की उप-धारा (6) के अंतर्गत लोदी शाह बादशाह का केंद्रीय संरक्षित चौरासी मकबरा संस्मारक, जालौन, उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उप-विधि, 2023 की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 की उप-धारा (4) के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) संशोधन

नियम, 2023 जो 25 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 536(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपुर्णा देवी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) स्ट्रेंथनिंग टीचिंग-लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स (एसटीएआरएस) योजना (राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद), राजस्थान के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) स्ट्रेंथनिंग टीचिंग-लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स (एसटीएआरएस) योजना (राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद), राजस्थान के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) स्ट्रेंथनिंग टीचिंग-लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स (एसटीएआरएस) (ओडिशा स्कूल-शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण) योजना, ओडिशा के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्ट्रेंथनिंग टीचिंग-लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स (एसटीएआरएस) (ओडिशा स्कूल-शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण) योजना, ओडिशा के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) समग्र शिक्षा, महाराष्ट्र के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा, महाराष्ट्र के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) समग्र शिक्षा, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़ के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़ के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल. वर्मा) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे :-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) वास्तुविद अधिनियम, 1972 की धारा 21 के साथ पठित धारा 45 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वास्तुकला परिषद (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2023, जो 19 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. सीए/498/2023/एमएसएई(विनियम) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) वास्तुकला परिषद (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2023, जो 19 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. सीए/498/2023/एमएसएई(विनियम) में प्रकाशित हुए थे।

(4) (एक) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन (भाग एक और दो) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब का कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) ऑरोविले फाउंडेशन, विल्लुपुरम के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑरोविले फाउंडेशन, विल्लुपुरम के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब का कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, सम्बलपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, सम्बलपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत किशनराव कराड़) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे :-

(1) साधारण बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17(क) की उप-धारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) साधारण बीमा (पर्यवेक्षीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारीवृंद के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण) संशोधन स्कीम, 2023 जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.3345(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) योजना, 2023 जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.3346 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

(2) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) नियम, 2023 जो 26 जुलाई,

* अपराह्न 2.04 बजे

2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 554 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) (एक) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) भारतीय निर्यात-आयात बैंक, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय निर्यात-आयात बैंक, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री पी.पी.चौधरी ने 'आईसीडब्ल्यूए और आरआईएस के विशेष संदर्भ में भारत की नीति आयोजना और थिंक टैंक की भूमिका' विषय के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) का 24वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

श्रीमती लॉकेट चटर्जी ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित 'मोटे अनाज का उत्पादन और वितरण' विषय के बारे में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2022-2023) का 31वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. **कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

श्री रघु राम कृष्ण राजू कानुमुरु ने 'न्यायिक प्रक्रियाएं और उनका सुधार' विषय के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का 133वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

8. **कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन**

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने श्री प्रहलाद जोशी की ओर से कार्य मंत्रणा समिति का 44 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

अपराह्न 02.04 बजे

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

1. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत द्वारा महाराष्ट्र के धूले जिले में सकरी जंक्शन पर अंडरपास या फ्लाईओवर का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
2. श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा बिहार के गया और औरंगाबाद जिलों में वामपंथी अतिवाद से प्रभावित क्षेत्रों का झारखण्ड के चतरा के साथ रेल संपर्क उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
3. श्री मनोज किशोरभाई कोटक द्वारा मुंबई के सभी रेलवे स्टेशनों में मुंबई डब्बावालों के लिए साईकिल शेड/स्टैंड उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. डॉ. सुकान्त मजूमदार द्वारा सहारा ग्रुप अनुषंगी से निवेशकों के रूपए लौटाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
5. श्री मोहन मंडावी द्वारा छत्तीसगढ़ के कांकेर में खनन अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल द्वार नवप्रस्तावित पाटलिपुत्र-सिवान इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
7. श्री राहुल कस्वां द्वारा विद्यमान दिशा-निर्देशों के अंतर्गत प्रतिबंधित क्षेत्रों में बीएसएनलएल मोबाइल टॉवरों का संस्थापन सुकर किए जाने के लिए उनके दिशा-निर्देशों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
8. श्री छेदी पासवान द्वारा बिहार के सासाराम जंक्शन पर रेलगाड़ी सं. 22823/22824 (भुवनेश्वर-नई दिल्ली) और 12301/12302 (हावड़ा-नई दिल्ली) का ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
9. डॉ. सुजय राधाकृष्ण विखेपाटील द्वारा सूरत-चेन्नई एक्सप्रेसवे के निर्माण के बारे में।

10. श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर हुई दुर्घटना के शिकार हुए परिवार को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11. श्री राम कृपाल यादव द्वारा पटना-बक्सर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के बारे में।

12. श्रीमती सुनीता दुग्गल द्वारा सिरसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) डिसपेंसरी खोले जाने के बारे में।

13. डॉ. निशिकान्त दुबे द्वारा अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता औद्योगिक गलियारे का निर्माण किए जाने के बारे में।

14. श्री रामचरण बोहरा द्वारा राजस्थान के जयपुर में ईएसआईसी अस्पताल में चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

15. डॉ. कृष्ण पाल सिंह यादव द्वारा मध्य प्रदेश के गुना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स पार्क बनाये जाने की आवश्यकता के बारे में।

16. श्री आर.के.सिंह पटेल द्वारा यूपी संपर्क क्रांति रेलगाड़ी (सं.12447/48) में जनरल और स्लिपर श्रेणी कोच जोड़े जाने या नई जनसाधारण एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में सुवर्ण - वणिक जाति को शामिल किए जाने के बारे में।

18. डॉ. शशि थरूर द्वारा केरल में एम्स की स्थापना किए जाने के बारे में।

19. डॉ. गौतम सिगामणि पोन द्वारा तमिलनाडु में कोपरा के खरीद की सीमा बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

20. श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा मुंडासरी नदी पर नाटिबपुर से गणेशपुर के बीच कंक्रीट के एक पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

21. डॉ. वेंकट बीसेट्टी सत्यवती द्वारा अनकापल्ले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर रेलगाड़ियों के ठहराव के बारे में।

22. श्री प्रतापराव जाधव द्वारा वेनगंगा-नलगंगा नदी संपर्क परियोजना में पेनगंगा नदी को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

23. डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों/संगठन में अस्थायी नियुक्तियों में आरक्षण से संबंधित संस्थागत निगरानी तंत्र बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

24. श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी द्वारा जाजपुर में एक नयी रेल लाईन बिछाए जाने और अलग रेल मंडल बनाए जाने के बारे में।

25. श्री कुंवर दानिश अली द्वारा लद्दाख और अरूणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में आईटीबीपी के लिए सीपीडब्ल्यूडी की सभी लंबित परियोजनाओं का कार्य पूर्ण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

26. श्री बसवंतराव भीमराव पाटील द्वारा तेलंगाना राज्य के लिए अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) की केंद्रीय सूची में चालीस जातियों/समुदायों को शामिल किए जाने के बारे में।

27. श्री चौधरी महबूब अली कैसर द्वारा बिहार के खगड़िया जिले में रिक्त रेल भूमि पर रेल डिब्बा कारखाना स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

28. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील द्वारा महाराष्ट्र के सतारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ओवरब्रिजों का निर्माण किए जाने के बारे में।

अपराह्न 02.05 बजे

10. सरकारी विधेयक - पारित

(एक) डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2023

आवंटित समय: 4 घंटे
लिया गया समय: 56 मिनट

श्री अश्वनी वैष्णव द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री पी.पी.चौधरी
2. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू
3. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
4. श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी
5. श्री रितेश पाण्डेय
6. श्री जयदेव गल्ला
7. श्री सय्यद ईमत्याज जलील
8. श्री संजय सेठ

श्री अश्वनी वैष्णव ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खंड 4 स्वीकृत हुआ।

खंड 5 स्वीकृत हुआ।

खंड 6 स्वीकृत हुआ।

खंड 7 और 8 स्वीकृत हुए।

खंड 9 स्वीकृत हुआ।

खंड 10 और 11 स्वीकृत हुए।

खंड 12 स्वीकृत हुआ।

खंड 13 से 15 स्वीकृत हुए।

खंड 16 और 17 स्वीकृत हुए।

खंड 18 स्वीकृत हुआ।

खंड 19 स्वीकृत हुआ।

खंड 20 स्वीकृत हुआ।

खंड 21 से 26 स्वीकृत हुए।

खंड 27, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 28 से 32 स्वीकृत हुए।

खंड 33 से 43 स्वीकृत हुए।

खंड 44 स्वीकृत हुआ।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अश्वनी वैष्णव द्वारा विधेयक, यथासंशोधित, को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, यथासंशोधित, पारित हुआ।

अपराह्न 03.01 बजे

(दो) अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक, 2023

आवंटित समय: 2 घंटे

लिया गया समय: 1 घंटा 9 मिनट

श्री जितेन्द्र सिंह द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री जगदम्बिका पाल
2. डॉ. तालारी रंगैय्या
3. श्री मलूक नागर
4. सरदार सिमरनजीत सिंह मान
5. श्री जयंत सिन्हा

श्री जितेन्द्र सिंह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 से 27 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री जितेन्द्र सिंह द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 04.10 बजे

(तीन) भेषजी (संशोधन) विधेयक, 2023

आवंटित समय: 2 घंटे
लिया गया समय: 40 मिनट

डॉ. मनसुख मांडविया द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।
निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. डॉ. ढाल सिंह बिसेन
2. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी

डॉ. मनसुख मांडविया ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।
विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।
खंड 2 स्वीकृत हुआ।
खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।
डॉ. मनसुख मांडविया द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 04.50 बजे

(चार) मध्यकता विधेयक, 2023, राज्य सभा द्वारा यथापारित

आवंटित समय: 4 घंटे
लिया गया समय: 51 मिनट

श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।
निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
2. श्री एन. रेड्डप्प
3. श्री मलूक नागर
4. श्री वीरेन्द्र सिंह

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।
विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।
खंड 2 से 65 स्वीकृत हुए।
पहली अनुसूची से दसवीं अनुसूची स्वीकृत हुई।
खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पारित हुआ।

अपराह्न 05.41 बजे

(पांच) तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023

आवंटित समय: 1 घंटा

लिया गया समय: 52 मिनट

श्री परषोत्तम रूपाला द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी
2. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू
3. श्री मलूक नागर
4. श्री पी.पी.चौधरी
5. श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा
6. श्री मनोज तिवारी

श्री परषोत्तम रूपाला ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 3, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 4 और 5 स्वीकृत हुए।

खंड 6, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 7 से 13 स्वीकृत हुए।

खंड 14, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 15 से 17 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री परषोत्तम रूपाला द्वारा विधेयक, यथासंशोधित, को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, यथासंशोधित, पारित हुआ।

सायं 06.33 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 8 अगस्त, 2023 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 08 अगस्त, 2023 / 17 श्रावण, 1945 (शक)

संख्या 244

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 261 लिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 261 का उत्तर सभा पटल पर रखा गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 262 से 280 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2991 से 3220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याहन 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(2) एण्ड्रू यूल एंड कंपनी लिमिटेड तथा भारी उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के

लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(3) एण्ड्रू यूल एंड कंपनी लिमिटेड तथा भारी उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2024-2025 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 20 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई का ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत गृह मंत्रालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, आयुधिक काडर (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती नियम, 2023 जो 31 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 404(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत किशनराव कराड़) ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) की ओर से संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) संघ सरकार - वर्ष 2021-2022 के लिए विनियोग लेखे (डाक सेवाएं)।

(2) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) - वर्ष 2021-2022 के लिए विनियोग लेखे भाग एक - समीक्षा, भाग दो - विस्तृत विनियोग लेखे और भाग दो - विस्तृत विनियोग लेखे (अनुलग्नक-छ)।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार - भारत में चाय के विकास में भारतीय चाय बोर्ड की भूमिका के बारे में - वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (2023 का संख्यांक 8) (निष्पादन लेखापरीक्षा)।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार - खादी और ग्रामोद्योग आयोग में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन सहित विभागीय व्यापार इकाइयों के बारे में - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (2023 का संख्यांक 9) (अनुपालन लेखापरीक्षा)।

(5) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (सिविल) - राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा के बारे में - ग्रामीण विकास मंत्रालय (2023 का संख्यांक 10) (निष्पादन लेखापरीक्षा)।

(6) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (सिविल) - आयुष्मान भारत की निष्पादन लेखापरीक्षा के बारे में - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (2023 का संख्यांक 11) (निष्पादन लेखापरीक्षा)।

(7) मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (रेल) (रेल वित्त) (2023 का संख्यांक 13)।

(8) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार - इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज सिस्टम (आईसीईएस) 1.5 की आईटी लेखापरीक्षा, राजस्व विभाग - अप्रत्यक्ष कर (सीमाशुल्क) (2023 का संख्यांक 14)।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री शोभा कारान्दलाजे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) छठा संशोधन आदेश, 2023 जो 19 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.3240(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) नियंत्रण आदेश, 1985 के खंड 20क के अनुसरण में, का.आ.3277(अ) जो 21 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से

तीन वर्ष की अवधि के लिए भारत में विनिर्माण किये जाने वाले फास्फो जिप्सम (ग्रेनुलर) के संबंध में, उसमें उल्लिखित विनिर्देशों को अधिसूचित किया गया है।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 2 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) ओडिशा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ओडिशा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) जम्मू एण्ड कश्मीर एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जम्मू एण्ड कश्मीर एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार) ने राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 53 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. 23011/11/2023-डब्ल्यूएस-III जो 28 जुलाई, 2023 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा डॉ. जयंतकुमार मगनलाल व्यास के वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात् तीन वर्ष की और अवधि के लिए उनकी राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में नियुक्ति को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निशीथ प्रामाणिक) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत ने 'जनजातीय महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं' विषय के बारे में महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2022-23) का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

---

5. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री रमेश बिधूड़ी ने 'अनुदानों की मांगें 2023-24' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के अठारहवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई तथा 'बागजान विस्फोट घटना के विशिष्ट संदर्भ में सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों के तेल प्रतिष्ठानों की संरक्षा और सुरक्षा' विषय के बारे में 19वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति (2022-23) का इक्कीसवां और बाईसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

---

6. रेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री राधा मोहन सिंह ने रेल संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए :-

(एक) 'रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में समिति के 14वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई' संबंधी पंद्रहवां प्रतिवेदन।

(दो) 'रेल भूमि विकास प्राधिकरण का कार्यनिष्पादन' विषय के बारे में सोलहवां प्रतिवेदन।

---

7. शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री धर्मबीर सिंह ने शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(एक) 'उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2023-24' के बारे में 348वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 352वां प्रतिवेदन।

(दो) 'मंचीय कला और ललित कला शिक्षा में सुधार' के बारे में 335वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 353वां

प्रतिवेदन।

(तीन) 'राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम (आरवाईएसके) की समीक्षा' संबंधी 354वां प्रतिवेदन।

(चार) 'स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24)' के बारे में 349वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 355वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

8. मंत्री द्वारा वक्तव्य

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य दिए:-

(1) भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-2022) के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 306वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 311वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 316वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(3) भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 316वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 319वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(4) भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 321वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

---

9. प्रस्ताव

श्री प्रहलाद जोशी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा 7 अगस्त, 2023 को सभा को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 44वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

10. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:-

(एक) कि राज्य सभा 7 अगस्त, 2023 को हुई अपनी बैठक में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2023, लोक सभा द्वारा यथापारित, पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो) कि राज्य सभा 7 अगस्त, 2023 को हुई अपनी बैठक में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023, लोक सभा द्वारा यथापारित, पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

अपराह्न 12.05 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

1. श्री जय प्रकाश द्वारा रेलगाड़ी संख्या 09269/09270 का ठहराव हरदोई रेलवे स्टेशन पर दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

2. श्री रामदास चन्द्रभानजी तडस द्वारा महाराष्ट्र में रेल सेवाओं का विस्तार किए जाने के बारे में।

3. श्री विनोद कुमार सोनकर द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत एक समान मजदूरी दिए जाने के बारे में।

4. श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी द्वारा मुंबई स्थित संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

5. श्रीमती हिमाद्री सिंह द्वारा आकाशवाणी केन्द्र शहडोल, मध्यप्रदेश से स्थानीय कार्यक्रमों का प्रसारण किए जाने के बारे में।

6. श्री जुगल किशोर शर्मा द्वारा जम्मू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चिनाब नदी के दोनों किनारों पर तटबन्ध का निर्माण किए जाने के बारे में।

7. श्री सुदर्शन भगत द्वारा गुमला में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

8. श्री विष्णु दयाल राम द्वारा कोयल नदी जलाशय परियोजना का निर्माण किए जाने और साथ ही मेदिनीनगर फेज-II में जल आपूर्ति योजना पर भी कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

9. श्री राजू बिष्ट द्वारा शामिल नहीं की गई 11 गोरखा उप-जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

10. श्री अरुण कुमार सागर द्वारा शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण और विकास किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11. श्री भोला सिंह द्वारा सहारा समूह के निवेशकों को पैसा वापस दिलाए जाने के बारे में।

12. श्री एस.एस.अहलुवालिया द्वारा गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध को हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13. सुश्री देबाश्री चौधरी द्वारा रायगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्कल कार्यालय को प्रचालन में लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

14. श्री अशोक कुमार रावत द्वारा मिश्रिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बांध का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

15. श्री कुनार हेम्ब्रम द्वारा झाडग्राम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित रेल संबंधी मुद्दों के बारे में।

16. श्री कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा बुन्देलखण्ड में खनन उद्योग एवं क्रशर प्लांट में कार्यरत श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. श्री विजयकुमार *उर्फ* विजय वसंत द्वारा देश में खेलों को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

18. श्री वी.वैथिलिंगम द्वारा ईपीएस 1995 के अंतर्गत न्यूनतम मासिक पेंशन में संशोधन के बारे में।

19. श्री कुलदीप राय शर्मा द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विद्युत आपूर्ति के बारे में।

20. श्री एस. ज्ञानतिरावियम द्वारा महेंद्रगिरि में इसरो प्रोपल्शन अनुसंधान केंद्र के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

21. श्री खलीलुर रहमान द्वारा मुर्शिदाबाद जिले में शमशेरगंज और रघुनाथगंज-1 ब्लॉक में दो फ्लाईओवर बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

22. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की सब्सिडी प्राप्त योजनाओं के अंतर्गत किसानों द्वारा किए गए सब्सिडी दावों पर पुनर्विचार किए जाने के बारे में।

23. श्री सुनील कुमार द्वारा सप्त क्रांति एसएफ एक्सप्रेस (रेलगाड़ी सं. 12557/12558) में स्लीपर डिब्बों की संख्या बढ़ाए जाने और नई दिल्ली-सीतामढ़ी मार्ग पर इसी प्रकार की रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

24. श्री एस. वेंकटेशन द्वारा एम्स, मदुरै के निर्माण कार्य को पूरा करने में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

25. श्री मोहम्मद ई.टी.बशीर द्वारा जातिगत जनगणना की आवश्यकता के बारे में।

26. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा कोल्लम में रेल स्वास्थ्य देखरेख इकाई के उन्नयन और विकास के बारे में।

अपराह्न 12.10 बजे

12. मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव

आवंटित समय : 12 घंटे
लिया गया समय : 5 घंटे 49 मिनट
शेष समय : 6 घंटे 11 मिनट

श्री गौरव गोगोई ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया :-

"कि यह सभा मंत्रिपरिषद में अपने विश्वास का अभाव व्यक्त करती है"।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री निशिकांत दुबे
2. श्री टी.आर. बालू
3. प्रो. सौगत राय
4. श्रीमती सुप्रिया सुले
5. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
6. श्रीमती डिम्पल यादव
7. श्री पिनाकी मिश्रा
8. श्री अरविंद सावंत

9. *श्री नारायण तातु राणे (हस्तक्षेप किया)
10. सरदार सिमरन जीत सिंह मान
11. श्रीमती सुनीता दुग्गल
12. डॉ. थोलकाप्पियन तिरुमावलवन
13. **श्री किरेन रिजीजू (हस्तक्षेप किया)
14. श्री मनीश तिवारी
15. श्रीमती नवनित रवि राणा
16. एडवोकेट ए.एम. आरिफ़
17. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 05.59 बजे

(लोक सभा बुधवार, 9 अगस्त, 2023 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह

महासचिव

---

* सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

** पृथ्वी विज्ञान मंत्री

लोक सभा

समाचार - भाग1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 09 अगस्त, 2023/18 श्रावण, 1945 (शक)

संख्या 245

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. *अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में 9 अगस्त, 1942 को शुरू किए गए 'भारत छोड़ो' आंदोलन की 81वीं वर्षगांठ का उल्लेख किया।

उन्होंने 6 और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए जाने की 78वीं वर्षगांठ का दुखद उल्लेख भी किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की याद में और जापान में परमाणु बमों के शिकार हुए पीड़ितों के सम्मान में थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे।

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 281, 284, 288, 290 से 294 और 297 के मौखिक उत्तर दिये गए। तारांकित प्रश्न संख्या 282, 283, 285, 286, 287, 289, 295, 296 और 298 से 300 लिए गए।

तारांकित प्रश्न संख्या 282, 283, 285 से 287, 289, 295, 296 और 298 से 300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.43 बजे स्थगित हुई
और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई)

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3221 से 3450 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याहन 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

---

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) ने अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) संशोधन नियम, 2023 जो 28 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 562(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षाधीन की अंतिम परीक्षा) नियम, 2023 जो 19 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 377(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2023 जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 555(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा नियम, 2023 जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 556(अ) में प्रकाशित हुए थे।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध हटाना (संशोधन) आदेश, 2023 जो 2 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.2423(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 36 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) का.आ. 2409(अ) जो 2 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 फरवरी, 2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 329(अ) का अतिलंघन किया गया है।

(2) का.आ. 2410(अ) जो 2 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तहसील नानपारा, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश, भारत, पिन कोड-271881 में स्थित रुपैडीहा भूमि पत्तन को "एकीकृत जांच चौकी" के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(3) का.आ. 2695(अ) जो 20 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तहसील करीमगंज, जिला करीमगंज, असम, भारत, पिन कोड-788712 में स्थित सुत्तारकांडी भूमि पत्तन को एकीकृत जांच चौकी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(4) का.आ. 2696(अ) और 2697(अ) जो 20 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तहसील सबरूम, जिला दक्षिण त्रिपुरा, त्रिपुरा, भारत, पिन कोड-799145 में स्थित सबरूम भूमि पत्तन को एकीकृत जांच चौकी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(5) का.आ. 2698(अ) जो 20 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तहसील रक्सौल, जिला पूर्वी चम्पारण, बिहार, भारत, पिन कोड-845305 में स्थित रक्सौल भूमि पत्तन को एकीकृत जांच चौकी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(6) का.आ. 2699(अ) जो 20 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तहसील पेट्रापोल, जिला 24 परगना, पश्चिम बंगाल, भारत, पिन कोड- 743405 में स्थित पेट्रापोल भूमि पत्तन को एकीकृत जांच चौकी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(7) का.आ. 2700(अ) जो 20 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तहसील फारबिसगंज, जिला अररिया, बिहार, भारत, पिन कोड- 854238 में स्थित जोगबनी भूमि पत्तन को एकीकृत जांच चौकी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(8) का.आ. 2701(अ) जो 20 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तहसील मोरेह, जिला तेंगानौपाल, मणिपुर, भारत, पिन कोड- 795131 में स्थित मोरेह भूमि पत्तन को एकीकृत जांच चौकी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(9) का.आ. 2702(अ) जो 20 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तहसील डेरा बाबा नानक, जिला गुरदासपुर, पंजाब, भारत, पिन कोड- 143604 में स्थित डेरा बाबा नानक भूमि पत्तन को एकीकृत जांच चौकी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(10) का.आ. 2703(अ) जो 20 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तहसील रामनगर, जिला पश्चिम त्रिपुरा, त्रिपुरा, भारत, पिन कोड- 799001 में स्थित अगरतला भूमि पत्तन को एकीकृत जांच चौकी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(11) का.आ. 2704(अ) जो 20 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तहसील अटारी, जिला अमृतसर, पंजाब, भारत, पिन कोड- 143108 में स्थित अटारी भूमि पत्तन को एकीकृत जांच चौकी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार - वित्त तथा संचार (2023 का संख्यांक 16) (अनुपालन लेखापरीक्षा) ।

(2) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार - स्वदेश दर्शन योजना के बारे में, पर्यटन

मंत्रालय (2023 का संख्यांक 17) (निष्पादन लेखापरीक्षा)।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे :-

(1) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 34 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (भर्ती) विनियम, 2022 जो दिनांक 13 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ सं. एपीईडीए/पीएडी/2017-18/000044 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (भर्ती) संशोधन विनियम, 2022 जो दिनांक 23 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ सं. एपीईडीए/पीएडी/2017-18/000044 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 16 की उप-धारा (2) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) फ्लेम-प्रोड्यूसिंग लाइटर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023, जो 6 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.2986(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) वातानुकूलक और इसके संबंधित पुर्जे, हर्मेटिक कंप्रेशर और तापमान संवेदी नियंत्रण (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2022, जो 21 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.5972(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) घरेलू उपयोग के लिए इंसुलेटेड फ्लास्क, बोतलें और कंटेनर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023, जो 14 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.3140(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) शीतलन उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2022, जो 14 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.5850(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) रेजिन ट्रीटेड कंप्रेस्ड वूड लेमिनेटेड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023, जो 14 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.3139(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(छह) सेफ्टी ग्लास (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023, जो 27 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.1431(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(सात) पेयजल बोतल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023, जो 6 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.2988(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) उपर्युक्त (1) की मद सं. (दो) और (चार) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल. वर्मा) ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 124 की उप-धारा (3) के अंतर्गत बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) नियम, 2023 जो 4 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 591(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवुसिंह चौहान) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 74 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय डाकघर (दूसरा संशोधन) नियम, 2023 जो 23 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.382(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय डाकघर (तीसरा संशोधन) नियम, 2023 जो 28 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.462(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय डाकघर (चौथा संशोधन) नियम, 2023 जो 31 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.566(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण निरसन विनियम, 2023, जो 25 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. आरपी-4/16/(24)/2021-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी :-

(एक) कि 1 अगस्त, 2023 को हुई अपनी बैठक में, राज्य सभा श्री सुखेंदु शेखर राय, जो 18 अगस्त, 2023 को राज्य सभा से सेवानिवृत हो रहे हैं, के स्थान पर सभा की लोक लेखा समिति के कार्यकाल के समाप्त न हुए भाग के लिए, समिति के साथ सहयोजित होने के लिए राज्य सभा से एक सदस्य को

नामनिर्दिष्ट करने के लिए लोक सभा की सिफ़ारिश पर सहमत हुई और श्री डेरेक ओ'ब्रायन जो उक्त समिति के लिए चुने गए थे, का नाम भी सूचित किया।

(दो) कि 8 अगस्त, 2023 को हुई अपनी बैठक में, राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित अंतर-सेना संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023 पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(तीन) कि 8 अगस्त, 2023 को हुई अपनी बैठक में, राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2023 पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

6. याचिका समिति के प्रतिवेदन

श्री हरीश द्विवेदी ने याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए :-

(एक) टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड द्वारा भुगतान जारी करने के अनुरोध के संबंध में श्री उमाकांत मिश्रा के अभ्यावेदन के बारे में 49वां प्रतिवेदन।

(दो) पीएसीएल लिमिटेड के निवेशकों की धन वापसी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के कथित मनमाने व्यवहार के संबंध में श्री गौरव कुमार सोनी और अन्य के अभ्यावेदन के बारे में 50वां प्रतिवेदन।

(तीन) उत्तर-पूर्वी राज्यों, विशेषकर मेघालय और असम में वन भूमि के अतिक्रमण और उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में श्री फिलिपसन के अभ्यावेदन के बारे में 51वां प्रतिवेदन।

(चार) नवोदय विद्यालय समिति/जवाहर नवोदय विद्यालय (*पूर्ववर्ती* आदर्श विद्यालय) में 1 जनवरी, 2004 से पहले अपनी सेवाएं शुरू करने वाले कर्मचारियों को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अंतर्गत शामिल किए जाने के अनुरोध के बारे में संसद सदस्यों द्वारा अग्रेषित सर्वश्री योगेंद्र शर्मा, राहुल सिंह, योगेंद्र भक्त, एस. कन्नन, श्रीमती के. मंजुला और अन्य व्यक्तियों/संघों के अभ्यावेदन के बारे में अपने 32वें प्रतिवेदन में याचिका समिति (सत्रहवीं लोक सभा) द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 52वां प्रतिवेदन।

(पांच) पर्यावरणीय विधियों के अनुपालन और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी)/तटरक्षक बल के साथ प्रभावी संपर्क के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) द्वारा विशेषज्ञ कार्मिकों को नियोजित करने की आवश्यकता के बारे में श्री विक्रम के अभ्यावेदन पर याचिका समिति के 39वें प्रतिवेदन में समिति (सत्रहवीं लोक सभा) द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 53वां प्रतिवेदन।

7. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री बालाशौरी वल्लभनेनी ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के दसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तीसवां प्रतिवेदन।

(2) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के पंद्रहवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी इकतीसवां प्रतिवेदन।

8. कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री पी.सी. गद्दीगौदर ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग) से संबंधित 'एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) - एक मूल्यांकन' विषय के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2022-23) का 59वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत किया।

9. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती लॉकेट चटर्जी ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित ' भारत में चीनी उद्योग - एक समीक्षा' विषय के बारे में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2022-2023) का 32वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्रीमती लॉकेट चटर्जी ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2022-2023) के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई और अध्याय पांच के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाले अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित 'भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की खरीद, भण्डारण और वितरण' विषय के बारे में तेरहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी इक्कीसवां प्रतिवेदन।

(2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में अठारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी बाईसवां प्रतिवेदन।

(3) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में उन्नीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर

सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तेईसवां प्रतिवेदन।

(4) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित 'गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ (क्यूसीसी)' विषय के बारे में बीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी छब्बीसवां प्रतिवेदन।

11. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल ने जल शक्ति मंत्रालय - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की 'अनुदानों की मांगों (2023-24)' के बारे में बीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चौबीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

12. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल ने जल शक्ति मंत्रालय - पेयजल और स्वच्छता विभाग की 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में सोलहवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी उन्नीसवें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

13. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. शशि थरूर ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए :-

(एक) उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'उर्वरक उत्पादन के लिए योजना तथा जीएसटी और उन पर आयात शुल्क सहित उर्वरक आयात नीति' विषय के बारे में 43वां प्रतिवेदन।

(दो) उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'यूरिया राजसहायता योजना जारी रखने की आवश्यकता सहित उर्वरक राजसहायता नीति और मूल्य निर्धारण मामले' विषय के बारे में 44वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.06 बजे

14. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने वित्त मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) की ओर से आर्थिक मामले, व्यय, वित्तीय सेवाएं, लोक उद्यम और निवेश तथा लोक आस्ति

प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 54वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य दिए:-

(एक) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-2021) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 328वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 336वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-2022) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 345वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 355वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(तीन) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 362वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 370वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(3) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

(4) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल) ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य दिया:-

(एक) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'विशेष रूप से दार्जिलिंग क्षेत्र में भारतीय चाय उद्योग को प्रभावित करने वाले मुद्दें' के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 171वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) (मांग सं. 10) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 167वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति के 174वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराह्न 12.09 बजे

15. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

1) श्री मोहनभाई कल्याणजी कुंडारिया द्वारा गुजरात के राजकोट में समर्पित एमएसएमई भवन की स्थापना के बारे में।
2) श्री जयंत सिन्हा द्वारा झारखंड में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
3) श्रीमती क्वीन ओझा द्वारा गुवाहाटी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में परामर्श केन्द्र तथा मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किए जाने के बारे में।
4) डॉ. रमापति राम त्रिपाठी द्वारा देवरिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सब्जी खरीद केन्द्र स्थापित किए जाने और सब्जियों के ढुलाई के लिए रेल सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
5) श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया द्वारा कपास की गट्ठियों पर क्यूसीओ बीआईएस प्रमाणन को हटाए जाने के बारे में।
6) श्री परबतभाई सवाभाई पटेल द्वारा पालनपुर-गांधीधाम रेल खंड पर चलने वाली रेलगाड़ियों का भाभर रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
7) श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार में आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
8) डॉ. ढाल सिंह बिसेन द्वारा देश में समान नागरिक संहिता लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
9) श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा द्वारा भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थापित रासायनिक कारखानों से जहरीली गैस के बार-बार रिसाव के कारण लोगों को होने वाली समस्याओं के बारे में।
10) श्री संजय सेठ द्वारा पत्थरबाजों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
11) श्री नारणभाई भीखाभाई काछड़िया द्वारा अमरेली में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
12) श्री मुकेश राजपूत द्वारा फर्रुखाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सैनिक विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
13) श्री सुरेश पुजारी द्वारा बारगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पीएम आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के बैंक खातों में निधियों का अंतरण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
14) श्री एल.एस.तेजस्वी सूर्या द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जन औषधि दवाओं की बिक्री और खरीद को विनियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
15) श्री अक्षयवर लाल द्वारा रेलगाड़ी सं. 14213/14214 का बहराइच से बनारस के मध्य परिचालन फिर से शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
16) श्रीमती रीती पाठक द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग-39 के सीधी-सिंगरौली खंड के सुधार के बारे में।
17) श्री सुरेश कोडिकुन्नील द्वारा केन्द्रीय विद्यालय, कोट्टारक्कारा के तत्काल संचालन के लिए अनुमति प्रदान किए जाने के बारे में।
18) श्री एस. जगतरक्षकन द्वारा तमिलनाडु में बुनाई उद्योग के सामने आ रही समस्याओं के बारे में।
19) श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा अपशिष्ट टायरों के पुनरावर्तन के लिए नीति के बारे में।
20) श्री एन. रेड्डप्प द्वारा भगोड़े आर्थिक अपराधियों को सजा दिलाने के लिए अन्य देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियों को

सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

21) श्री विनायक भाऊराव राऊत द्वारा रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में फर्जी जीएसटी नोटिस जारी करने के मामलों की जांच किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

22) श्री चन्द्र शेखर साहू द्वारा ओडिशा में ऊर्जा क्षेत्र को प्रोत्साहन दिए जाने के बारे में।

23) श्रीमती संगीता आजाद द्वारा उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने और लालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के किसानों की शिकायतों का निवारण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

24) श्री श्रीनिवास केसिनेनी द्वारा विजयवाड़ा में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज परियोजना को पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

25) श्री हसनैन मसूदी द्वारा जम्मू-कश्मीर में दिहाड़ी मजदूरों की दुर्दशा के बारे में।

26) श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

27) सुश्री अगाथा के. संगमा द्वारा महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध के लिए कड़ी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

अपराह्न 12.09 बजे

16. मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव

आवंटित समय : 12 घंटे
लिया गया समय : 12 घंटे 50 मिनट

श्री गौरव गोगोई द्वारा 8 अगस्त, 2023 को पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार आरंभ हुआ:-

"कि यह सभा मंत्रिपरिषद में अपने विश्वास का अभाव प्रकट करती है"।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री राहुल गांधी
2. *श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी (हस्तक्षेप किया)
3. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी
4. श्री राजीव रंजन सिंह *उर्फ* ललन सिंह
5. श्री राम कृपाल यादव

* महिला और बाल विकास मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

6. डॉ. काकोली घोष दस्तीदार
7. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि
8. श्री नामा नागेश्वर राव
9. श्री के. सुब्बारायण
10. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल
11. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
12. डॉ. फारूख़ अब्दुल्ला
13. **श्रीमती अनुप्रिया पटेल (हस्तक्षेप किया)
14. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर
15. श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी
16. # श्री अमित शाह (हस्तक्षेप किया)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

तत्पश्चात, अध्यक्ष ने #श्री अमित शाह द्वारा किए गए अनुरोध पर सभा की ओर से मणिपुर में समुदायों की बीच शांति कायम रखने के बारे में संकल्प$ किया:-

सायं 07.10 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 10 अगस्त, 2023 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

** वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
# गृह मंत्री; तथा सहकारिता मंत्री
$ मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

लोक सभा

समाचार - भाग1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 10 अगस्त, 2023/19 श्रावण, 1945 (शक)

संख्या 246

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने श्री कल्याण जैन, छठी लोक सभा के सदस्य; श्री बापूसाहेब परुलेकर, छठी और सातवीं लोक सभा के सदस्य; श्री वक्कोम पुरूषोत्तमन, आठवीं और नौवीं लोक सभा के सदस्य; श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र, दसवीं और बारहवीं लोक सभा के सदस्य; और श्री राम सिंह यादव, सातवीं और आठवीं लोक सभा के सदस्य के निधन के संबंध में उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 301 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.18 बजे स्थगित हुई
और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 302 से 320 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3451 से 3680 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याहन 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 3177(अ) जो 14 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एन.एच.-561ए के पंढारपुर-मंगलवैढा-मारवाडे-उमाडी खंड की पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ. 3178(अ) जो 17 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एन.एच.-160 के कुसुंबा से मालेगांव खंड की 2एलपीएस/4 लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का.आ. 3183(अ) जो 17 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एन.एच.-953 के सारड-वानी-पिंपलगांव खंड की 2एलपीएस/4 लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(चार) का.आ. 3270(अ) जो 21 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में एन.एच.-75 (पुराना एन.एच.-234) के मंगलोर-तिरूवन्नामलाई की पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(पांच) का.आ. 3271(अ) जो 21 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एन.एच.-347ए के तालेगांव से गोनापुर की 2एलपीएस/4 लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(छह) का.आ. 3272(अ) जो 21 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गुजरात राज्य में एन.एच.-41 के कांडला से मुदरा खंड की चार और उससे अधिक लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(सात) का.आ. 3273(अ) जो 21 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में एन.एच.-44 (पुराना एन.एच.-26) के ललितपुर-सागर-लाखनादोन खंड की चार लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(आठ) का.आ. 3275(अ) जो 21 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भारतमाला परियोजना के अंतर्गत ईपीसी मोड में राजस्थान राज्य में पहुंच नियंत्रित ग्रीनफील्ड दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेसवे एन.ई.-4 की आठ लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(नौ) का.आ. 3276(अ) जो 21 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में एन.एच.-709ए के मेरठ से हरियाणा/उ.प्र. सीमा खंड की चार और उससे अधिक लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(2) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नागर विमानन मंत्रालय (विमान प्रचालनों की सुरक्षा के लिए ऊंचाई प्रतिबंध) संशोधन नियम, 2023 जो 24 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 531(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) वायुयान (भवनों और वृक्षों आदि द्वारा कारित बाधाओं का उन्मूलन) (संशोधन) नियम, 2023 जो 13 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 291(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(3) विमानवहन अधिनियम, 1972 की धारा 8क की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 3129(अ) जो 29 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा निदेशित किया गया है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम की धारा 4क की उप-धारा (1) और (4) तथा धारा 5 के उपबंध तथा विमानवहन अधिनियम, 1972 की तीसरी अनुसूची में अंतर्विष्ट नियम उसमें उल्लिखित अपवादों, अभिस्वीकरणों और उपांतरणों के अध्यधीनसभी विमानवहन पर लागू होंगे, जोअंतर्राष्ट्रीय विमानवहन नहीं होंगे, जैसा कि उक्त तीसरी अनुसूची में परिभाषित किया गया हैतथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(दो) का.आ. 2159(अ) जो 21 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विमानवहन अधिनियम, 1972 की तीसरी अनुसूची में, उसमें उल्लिखित, कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(तीन) का.आ. 987(अ) जो 5 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विमानवहन अधिनियम, 1972 की तीसरी अनुसूची में, उसमें उल्लिखित, कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (वाणिज्यिक) - दक्षिण भारत में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पथकर प्रचालनों के बारे में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय(2023 का संख्यांक 7) (अनुपालन लेखापरीक्षा), की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सेल्फ-बैलास्टेड एलईडी लैम्पों के लेबलों पर विवरण और उनके प्रदर्शन की रीति) विनियम, 2023 जो 23 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या बीईई/एसएण्डएल/एलईडी/52/2023 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ट्यूब्यूलर फ्लोरेसेंट लैम्पों के लेबलों पर विवरण और उनके प्रदर्शन की रीति) (विनियम), 2023 जो 22 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या बीईई/एसएण्डएल/टीएफएल/22-23 में प्रकाशित हुए थे।

(2) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली तक संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) (पहला संशोधन) विनियम, 2023, जो 6 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एल-1/261/2021/सीईआरसी. में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2023, जो 12 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सीईए-पीएस-16/1/2021-सीईआई प्रभाग में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विद्युत (दूसरा संशोधन) नियम, 2023, जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.558(अ) में प्रकाशित हुए थे।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार - भारतमाला परियोजना के चरण-एक के कार्यान्वयन के बारे में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (2023 का संख्यांक 19) (निष्पादन लेखापरीक्षा)।

(2) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (सिविल) - क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना - उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) के बारे में, नागर विमानन मंत्रालय (2023 का संख्यांक 22) (अनुपालन लेखापरीक्षा)।

(3) मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार - (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम-रक्षा मंत्रालय) (2023 का संख्यांक 18)।

(4) वर्ष 2021-2022 के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार - संघ सरकार के लेखा (2023 का संख्यांक 21) (वित्तीय लेखापरीक्षा)।

(5) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) - रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डीआरडीओ में अवसंरचना और सुविधा परियोजनाओं के प्रबंधन के बारे में (2023 का संख्यांक 23) (निष्पादन लेखापरीक्षा)।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम शोधनशालाओं और गैस प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विनिर्देश) विनियम, 2023 जो 29 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ सं. पीएनजीआरबी/टेक/8-टी4एसआरएंडजीपी(1)/2023 (पी-4247) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली कावर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कौशल किशोर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) दिल्ली नगर कला आयोग अधिनियम, 1973 की धारा 27 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दीतथाअंग्रेजीसंस्करण):-

(एक) दिल्ली नगर कला आयोग कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि (संशोधन) विनियम, 1986 जो 19 जुलाई, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 1(1)/76-डीयूएसी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दिल्ली नगर कला आयोग, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (भर्ती) (संशोधन) विनियम, 1989 जो 15 अप्रैल, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 3(8)/86-डीयूएसी में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) दिल्ली नगर कला आयोग (अनुसचिवीय और अननुसचिवीय पद) भर्ती (संशोधन) विनियम, 1989 जो 15 अप्रैल, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 3(8)/86-डीयूएसी में प्रकाशित हुए थे।

(चार) दिल्ली नगर कला आयोग सहायक सचिव (तकनीकी) भर्ती विनियम, 1991 जो 3 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 3(8)/90-डीयूएसी में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) दिल्ली नगर कला आयोग (सेवा के निबंधन और शर्तें) विनियम, 1993 जो 23 अक्टूबर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 1(1)/87-डीयूएसी में प्रकाशित हुए थे।

(छह) दिल्ली नगर कला आयोग (अनुसचिवीय और अननुसचिवीय पद) भर्ती (संशोधन) विनियम 1993 जो 23 अक्टूबर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 3(8)/86-डीयूएसी में प्रकाशित हुए थे।

(सात) दिल्ली नगर कला आयोग (सेवा के निबंधन और शर्तें) (संशोधन) विनियम, 1998 जो 14 मार्च, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 1(1)/87-डीयूएसी में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) दिल्ली नगर कला आयोग (सेवा के निबंधन और शर्तें) (संशोधन) विनियम 2013 जो 16 अगस्त, 2013 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. 1(1)/87-डीयूएसी में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) दिल्ली नगर कला आयोग कर्मचारी (समूह पेंशन योजना) विनियम 2020 जो 3 अप्रैल, 2020 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. 9(2)/2019-डीयूएसी में प्रकाशित हुए थे।

(दस) दिल्ली नगर कला आयोग कर्मचारी भविष्य निधि विनियम, 2020 जो 3 अप्रैल, 2020 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. 9(1)/2020-डीयूएसी में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दस विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. मुंजपरा महेन्द्रभाई) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 56 के अंतर्गत राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी प्रैक्टिशनरों की सूची की प्रस्तुति) संशोधन नियम, 2023 जो 27 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.561(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन

डॉ. संजय जायसवाल ने प्राक्कलन समिति (2023-24) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित 'भारत में नागर विमानन क्षेत्र के विकास के लिए मानव पूंजी और भौतिक अवसंरचना की आवश्यकता तथा देश के विभिन्न भागों में विमानपत्तनों का विकास' विषय के बारे में समिति के 15वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 28वां प्रतिवेदन।

(2) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित 'उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के अनुमान और नीतिगत पहलू' विषय के बारे में समिति के 18वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 29वां प्रतिवेदन।

(3) ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित 'विभिन्न योजनाओं में दिशा समिति की भूमिका और निष्पादन की समीक्षा' विषय के बारे में समिति के 19वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में समिति की अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 30वां प्रतिवेदन।

6. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी :-

(एक) कि 8 अगस्त, 2023 को हुई अपनी बैठक में, राज्य सभा लोक सभा द्वारा यथापारित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023 पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो) कि 8 अगस्त, 2023 को हुई अपनी बैठक में, राज्य सभा लोक सभा द्वारा यथापारित राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक, 2023 पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(तीन) कि 9 अगस्त, 2023 को हुई अपनी बैठक में, राज्य सभा लोक सभा द्वारा यथापारित संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(चार) कि 9 अगस्त, 2023 को हुई अपनी बैठक में, राज्य सभा लोक सभा द्वारा यथापारित अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक, 2023 पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(पाँच) कि 9 अगस्त, 2023 को हुई अपनी बैठक में, राज्य सभा लोक सभा द्वारा यथापारित तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(छह) कि 3 अगस्त, 2023 को हुई अपनी बैठक में, राज्य सभा राज्य सभा से श्री हरद्वार दुबे के निधन और सुश्री डोला सेन की सेवानिवृत्ति के कारण हुई रिक्तियों पर लाभ के

पदों संबंधी संयुक्त समिति में राज्य सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करने की लोक सभा की सिफ़ारिश पर सहमत हुई और

राज्य सभा ने राज्य सभा के सदस्यों सुश्री कविता पटिदार और डॉ. कनिमोझी एनवीएन सोमू जो उक्त समिति के लिए निर्वाचित हुए हैं, के नाम भी सूचित किए।

7. प्राक्कलन समिति के विवरण

डॉ. संजय जायसवाल ने प्राक्कलन समिति (2023-24) के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) से संबंधित 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण का विनियामक तंत्र - एक विहंगावलोकन' विषय के बारे में समिति के 5वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में प्राक्कलन समिति के 14वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

(2) वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामले विभाग) से संबंधित 'केंद्रीय बजट में संरचनात्मक परिवर्तन' विषय के बारे में समिति के 21वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में प्राक्कलन समिति के छठे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

8. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

डॉ. सत्य पाल सिंह ने लोक लेखा समिति (2023-24) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए :-

(1) 'उपकर/उद्ग्रहणों के लेखांकन से संबंधित मुद्दे' संबंधी 69वां प्रतिवेदन।

(2) 'रेल मंत्रालय के आदेशों के कार्यान्वयन में विफलता के परिणामस्वरूप रेल केबलों को क्षति: दक्षिण पूर्व रेल और पश्चिम मध्य रेल' संबंधी 70वां प्रतिवेदन।

(3) 'वाम अतिवाद से प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए यूएसओएफ परियोजना (चरण 1) का क्रियान्वयन' संबंधी 71वां प्रतिवेदन।

(4) 'एसईईपीजेड, एसईजेड प्राधिकरण, मुम्बई के प्रमुख कार्य प्रदान करने में अनियमितताएं' संबंधी 72वां प्रतिवेदन।

(5) 'रक्षा भूमि का अनुचित प्रबंधन' के बारे में लोक लेखा समिति के 106वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 73वां प्रतिवेदन।

9. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री रामशिरोमणि वर्मा ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का 11वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री गिरीश चन्द्र ने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सरकारी ई-मार्केट प्लेस, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में 149वां प्रतिवेदन।

(2) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में 150वां प्रतिवेदन।

(3) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (मत्स्यपालन विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में 151वां प्रतिवेदन।

11. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

डॉ. सत्य पाल सिंह ने 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत गठित केंद्रीय दिव्यांगजन सलाहकार बोर्ड में राज्य सभा के एक सदस्य के निर्वाचन की जांच' के बारे में लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति (17वीं लोक सभा) का 10वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

12. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत ने 'राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोगों का कार्यकरण' विषय के बारे में महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2022-23) का 8वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

13. कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री पी.सी. गद्दीगौदर ने कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत किए:-

(1) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2023-24)' के बारे में समिति के 51वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 60वां प्रतिवेदन।

(2) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2023-24)' के बारे में समिति के 52वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 61वां प्रतिवेदन।

(3) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (मत्स्यपालन विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2023-24)' के बारे में समिति के 53वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 62वां प्रतिवेदन।

(4) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2023-24)' के बारे में समिति के 54वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 63वां प्रतिवेदन।

(5) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2023-24)' के बारे में समिति के 55वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 64वां प्रतिवेदन।

(6) सहकारिता मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2023-24)' के बारे में समिति के 56वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 65वां प्रतिवेदन।

14. कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री पी.सी. गद्दीगौदर ने निम्नलिखित प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग) से संबंधित 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना - एक मूल्यांकन' विषय के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति (2020-21) के 29वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 43वां प्रतिवेदन।

(2) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2022-23)' के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के 41वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 44वां प्रतिवेदन।

(3) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2022-23)' के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के 37वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 46वां प्रतिवेदन।

(4) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2022-23)' के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के 38वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 47वां प्रतिवेदन।

(5) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (मत्स्यपालन विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2022-23)' के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के 39वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 48वां प्रतिवेदन।

(6) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2022-23)' के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के 40वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 49वां प्रतिवेदन।

15. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. निशिकांत दुबे **ने** संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए-

(1) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2023-24)' के बारे में समिति के 43वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 49वां प्रतिवेदन।

(2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2023-24)' के बारे में समिति के 46वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 50वां प्रतिवेदन।

(3) संचार मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2023-24)' के बारे में समिति के 44वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 51वां प्रतिवेदन।

16. रक्षा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले **ने** रक्षा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) 'सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तटरक्षक बल, रक्षा संपदा संगठन, रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम, कैंटीन भंडार विभाग, भूतपूर्व सैनिक कल्याण और रक्षा पेंशन (मांग सं. 19 और 22)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2022-23 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 26वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) का 40वां प्रतिवेदन।

(2) 'युद्ध विधवाओं/सशस्त्र बलों के परिवारों को उपलब्ध कल्याण उपायों का आकलन' विषय के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 31वें प्रतिवदेन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) का 41वां प्रतिवेदन।

17. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्री रमेश बिधूड़ी ने 'चक्रवात ताउते के दौरान पश्चिमी अपतटीय दुर्घटना के विशिष्ट संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के तेल प्रतिष्ठानों की संरक्षा और सुरक्षा' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 13वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति (2022-23) के 16वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

18. वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री अरविंद धर्मापुरी ने वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) 'उत्तर पूर्वी क्षेत्र में व्यापार और उद्योगों का विकास' संबंधी 181वां प्रतिवेदन।

(2) 'भारत को लाभ प्रदान करने के लिए स्टार्टअप इको सिस्टम' संबंधी 182वां प्रतिवेदन।

19. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री ढाल सिंह बिसेन ने परमाणु ऊर्जा; जैवप्रौद्योगिकी; वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान; विज्ञान और प्रौद्योगिकी; अंतरिक्ष; पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयों/विभागों की अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 373वें से 379वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में क्रमश: 380वां, 381वां, 382वां, 383वां, 384वां, 385वां और 386वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।

20. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री भरत राम मारगनी ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) 'देश में महापत्तनों का कार्यकरण' विषय के बारे में 352वां प्रतिवेदन।

(2) 'हवाई किराया निर्धारित करने का मुद्दा' विषय के बारे में 353वां प्रतिवेदन।

(3) 'रोड-ओवर ब्रिजों (आरओबी), रोड-अंडर ब्रिजों (आरयूबी), सर्विस रोडों का निर्माण और सड़क सर्वेक्षण दिशानिर्देशों की समीक्षा आदि' विषय के बारे में 354वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.10 बजे

21. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

1) श्री पी.पी. चौधरी द्वारा पाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ओएक्सवाई-जोन की स्थापना के बारे में।
2) डॉ. संजय जायसवाल द्वारा पश्चिम चंपारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चंद्रावत नदी को पुनर्जीवित करने के बारे में।
3) डॉ. जयंत कुमार राय द्वारा पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में रेत के कथित अवैध खनन पर अंकुश लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4) श्री अनुराग शर्मा द्वारा झाँसी एवं ललितपुर जिलों में मिशन वात्सल्य योजना के अन्तर्गत शिशु देखभाल संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
5) श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन से24 यात्री डिब्बों वाली सैनिक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
6) श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे द्वारा निजी संस्थानों से डिग्री प्राप्त कर्मचारियों के दस्तावेजों की जांच की आवश्यकता वाले निफ्ट के कार्यालय ज्ञापन की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
7) श्री नायब सिंह द्वारा कुरूक्षेत्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के शाहबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर अंडरपास में जलभराव की समस्या के बारे में।
8) साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर द्वारा भोपाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
9) श्री विवेक नारायण शेजवलकर द्वारा ग्वालियर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चल रही सड़क परियोजनाओं की स्थिति के बारे में।
10) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा देश में भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किए जाने के बारे में।
11) श्री निहाल चन्द चौहान द्वारा आरक्षण संबंधी सभी विधियों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किए जाने के बारे में।
12) श्री भागीरथ चौधरी द्वारा अजमेर में अंडर पास एवं फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
13) श्री रवि किशन द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक भारतीय प्रबंध संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
14) श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा दिल्ली में आवारा कुत्तों के आतंक के बारे में।

15) श्री (एडवोकेट) अदूर प्रकाश द्वारा टाइप वन मधुमेह को बीमा कवरेज के अंतर्गत शामिल किए जाने के बारे में।

16) श्री टी.एन. प्रथापन द्वारा केरल में तटीय अपरदन को रोकने की आवश्यकता के बारे में।

17) श्री सु. थिरुनवुक्करासर द्वारा रोयापुरम रेलवे प्रिंटिंग प्रेस, चेन्नई को बंद किए जाने के बारे में।

18) डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन द्वारा सरकारी वेबसाइटों पर उपयोगकर्ताओं के लिए भाषा विकल्प के चयन के बारे में।

19) श्री वल्लभनेनी बालाशौरी द्वारा विजयवाड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से नई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

20) डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा दिल्ली में 'शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन' और 'शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन' का नाम बदलकर क्रमशः 'छत्रपति शिवाजी महाराज ब्रिज रेलवे स्टेशन' और 'छत्रपति शिवाजी महाराज मेट्रो स्टेशन' किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

21) श्री दिलेश्वर कामैत द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में बनिया एवं वैश्य जातियों को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

22) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा केन्द्र द्वारा प्रायोजित आठ योजनाओं के पूर्व दीप्तिमान स्वरूप को बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

23) श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी द्वारा तेलंगाना के बाढ़ से प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

24) श्री एम. सेल्वराज द्वारा एम.एस. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के बारे में।

अपराह्न 12.12 बजे

22. मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव

आवंटित समय : 12 घंटे
लिया गया समय : 19 घंटे 59 मिनट

श्री गौरव गोगोई द्वारा 8 अगस्त, 2023 को पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा आरंभ हुई:-

"कि यह सभा मंत्रिपरिषद में अपने विश्वास का अभाव प्रकट करती है"।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. *श्रीमती निर्मला सीतारमण (हस्तक्षेप किया)
2. श्रीमती राजश्री मल्लिक
3. श्री असादुद्दीन ओवैसी
4. श्री प्रिंस राज
5. श्री हनुमान बेनीवाल
6. सुश्री महुआ मोइत्रा
7. श्री राहुल रमेश शेवाले
8. डॉ. मोहम्मद जावेद
9. श्री हैबी ईडेन
10. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
11. श्री चिराग कुमार पासवान
12. सुश्री लॉकेट चटर्जी
13. श्री अधीर रंजन चौधरी

---

* वित्त मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्री

14. **श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया (हस्तक्षेप किया)

15. श्री विजय कुमार हांसदाक

16. श्री नव कुमार सरनीया

17. कर्नल राज्यवर्धन राठौर

18. श्री थोमस चाज़िकाडन

19. श्री विजय बघेल

20. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी

21. डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार. एस.

22. श्री बंदी संजय कुमार

23. श्री गिरिधारी यादव

24. मौलाना बदरुद्दीन अजमल

25. डॉ. राजदीप राय

26. #श्री नरेन्द्र मोदी

प्रस्ताव पर, सभा में ध्वनि मत से निर्णय हुआ।
प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

** नागर विमानन मंत्री; तथा इस्पात मंत्री

माननीय प्रधानमंत्री

सायं 07.24 बजे

23. सदस्य का सभा की सेवा से निलंबन

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; और खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा श्री अधीर रंजन चौधरी के घोर, जानबूझकर और बार-बार किए गए कदाचार को गंभीरता से लेते हुए और सभा तथा अध्यक्ष के प्राधिकार की घोर अवमानना करने पर यह संकल्प लेती है कि श्री अधीर रंजन चौधरी के कदाचार के मामले पर आगे की जांच और सभा को रिपोर्ट देने के लिए सभा की विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए और श्री अधीर रंजन चौधरी को सभा की सेवा से तब तक निलंबित किया जाए जब तक कि विशेषाधिकार समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर देती।"

प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

सायं 07.25 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 11 अगस्त, 2023 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार – भाग1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 11 अगस्त, 2023/20 श्रावण, 1945 (शक)

संख्या 247

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 321 लिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 321 का उत्तर सभा पटल पर रखा गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे स्थगित हुई
और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 322 से 340 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3681 से 3910 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय मांस और मुर्गी प्रसंस्करण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय मांस और मुर्गी प्रसंस्करण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) संशोधन नियम, 2023 जो 12 जुलाई, 2023 के भारतकेराजपत्रमें अधिसूचना सं. सा.का.नि. 500(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ई-अपशिष्ट (प्रबंध) दूसरा संशोधन नियम, 2023 जो 25 जुलाई, 2023 के भारतकेराजपत्रमें अधिसूचना सं. सा.का.नि. 534(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) (एक) इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार) ने गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उप-धारा (4) के अंतर्गत चंडीगढ़ प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (नकद परिवहन क्रियाकलापों को प्राइवेट सुरक्षा) नियम, 2020 जो 8 दिसम्बर, 2020 के चंडीगढ़ प्रशासन राजपत्र में अधिसूचना सं. 282305-एच।।।(तीन)-2020/13037 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी

तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) का.आ. 2436(अ) जो 5 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के प्रयोजनार्थ अपर सेशन न्यायाधीश–03, दक्षिण पश्चिम जिला, द्वारका दिल्ली के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित किया गया है।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारियों की सेवा) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 15 मई, 2023 की अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/129 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन आवश्यकताएं) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो 23 मई, 2023 की अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/130 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो 14 जून, 2023 की अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/131 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधियां) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो 15 जून, 2023 की अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/132 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फण्ड) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 27 जून, 2023 की अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/134 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धकरण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो 5 जुलाई, 2023 की अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/135 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 3 जुलाई, 2023 की अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/136 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 3 जुलाई, 2023 की अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/137 में प्रकाशित हुए थे।

(2) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 506(अ) जो 17 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 10 नवम्बर, 2020 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.699(अ) में कतिपय संशोधन

किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 507(अ) जो 17 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 मई, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.385(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 508(अ) जो 17 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मणिपुर राज्य में प्रमुख व्यवसाय स्थल वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए जून, 2023 को समाप्त हुई तिमाही के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख प्रस्तुत करने की नियत तारीख को आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 509(अ) जो 17 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2019 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.452(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 510(अ) जो 17 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 29 दिसम्बर, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.1600(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 511(अ) जो 17 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.246(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 512(अ) जो 17 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.249(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 513(अ) जो 17 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.250(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) का.आ. 3192(अ) जो 17 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 मार्च, 2023 की अधिसूचना सं. का.आ.1563(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 31 के अंतर्गत प्रारूप अधिसूचना सं. एफ.सं. 3/4/2022-ईएम, जिसके द्वारा निदेशित किया गया है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के, उसमें उल्लिखित, कतिपय उपबंध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं या वित्तीय संस्थाओं पर ऐसे उपांतरणों, जैसी भी स्थिति हो, के साथ लागू होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपुर्णा देवी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) समग्र शिक्षा, गोवा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।।

(दो) समग्र शिक्षा, गोवा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) समग्र शिक्षा, केरल (स्कूल एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी ऑफ केरल), तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा, केरल (स्कूल एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी ऑफ केरल), तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) समग्र शिक्षा, झारखण्ड (झारखण्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल), रांची के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा, झारखण्ड (झारखण्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल), रांची के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) समग्र शिक्षा, तेलंगाना, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा, तेलंगाना, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) समग्र शिक्षा अभियान, मध्य प्रदेश (राज्य शिक्षा केंद्र), भोपाल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा अभियान, मध्य प्रदेश (राज्य शिक्षा केंद्र), भोपाल के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रवीण पवार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 58 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना विनियम, (संशोधन), 2022 जो 14 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. यू-11022/4/2022-यूजीएमईबी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) चिकित्सा संस्थाओं में अध्यापक पात्रता अर्हताएं विनियम, (संशोधन), 2023 जो 3 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सी-19011/06/2022/एनएमसी/कोऑर्ड में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) चिकित्सा प्रैक्टिशनरों का रजिस्ट्रीकरण और चिकित्सा प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस विनियम, 2023 जो 12 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. आर/15021/04/2022-ईएमआरबी-रेग. में प्रकाशित हुए थे।

(चार) नई चिकित्सा संस्थाओं की स्थापना, नए चिकित्सा पाठ्यक्रम आरंभ करना, वर्तमान पाठ्यक्रमों के लिए सीटों की वृद्धि तथा मूल्यांकन और रेटिंग विनियम, 2023 जो 2 जून, 2023 के भारतकेराजपत्रमें अधिसूचना सं. एम-27011/01/2023-एमएआरबी में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2023 जो 2 जून, 2023 के भारतकेराजपत्रमें अधिसूचना सं. यू-14021-8-2023-यूजीएमईबी में प्रकाशित हुए थे तथा उनका एक शुद्धिपत्र जो 19 जून, 2023 की अधिसूचना सं. यू-14021-8-2023-यूजीएमईबी में प्रकाशित हुआ था।

(छह) एनएमसी, राष्ट्रीय निर्गम परीक्षण विनियम, 2023 जो 28 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. सीडीएन-19012/15/2022/कोऑर्ड-एनएमसी में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (एक) और (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उत्तर- पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल. वर्मा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी :-

(एक) कि 9 अगस्त, 2023 को हुई अपनी बैठक में, राज्य सभा लोकसभा द्वारा यथापारित डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2023 पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो) कि 10 अगस्त, 2023 को हुई अपनी बैठक में, राज्य सभा लोकसभा द्वारा यथापारित भेषजी (संशोधन) विधेयक, 2023 पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(तीन) कि 4 अगस्त, 2023 को हुई अपनी बैठक में, राज्य सभा ने अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के कल्याण संबंधी दोनों सभाओं की समिति की पहली बैठक की तारीख से शुरू होने वाले एक वर्ष के कार्यकाल के लिए समिति में शामिल होने का प्रस्ताव स्वीकृत किया और उक्त समिति में कार्य करने के लिए राज्य सभा के निम्नलिखित दस सदस्यों को निर्वाचित किया :-

1. श्री अबीर रंजन बिस्वास
2. श्रीमती गीता *उर्फ* चन्द्रप्रभा
3. श्री राजेन्द्र गहलोत
4. श्री नारायण कोरागप्पा
5. श्री मानस रंजन मंगराज
6. श्री शंभू शरण पटेल
7. श्री सुभाष चन्द्र बोस पिल्ली
8. श्री सकलदीप राजभर
9. डॉ. वी. शिवादासन
10. श्री हरनाथ सिंह यादव

5. सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

निम्नलिखित सदस्यों को उनमें से प्रत्येक के सामने उल्लिखित अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई : -

1.	श्री ए.एच. खान चौधरी	10.02.2023 से 13.02.2023 और 13.03.2023 से 06.04.2023
2.	श्री देवजी एम. पटेल	20.07.2023 से 05.08.2023
3.	श्री संजय शामराव धोत्रे	20.07.2023 से 11.08.2023
4.	श्री अतुल कुमार सिंह *उर्फ* अतुल राय	20.07.2023 से 11.08.2023
5.	श्री मोहम्मद अकबर लोन	20.07.2023 से 11.08.2023

6. सुश्री मिमी चक्रवर्ती 20.07.2023 से 11.08.2023

अपराह्न 12.05 बजे

6. सरकारी विधेयक – पुरःस्थापित

(एक) केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023

(दो) एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.06 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 12.30 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 12.30 बजे

(तीन) भारतीय न्याय संहिता, 2023

(चार) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

(पाँच) भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023

अपराह्न 1.10 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

1) डॉ. ए. चेल्लाकुमार द्वारा आमों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के बारे में।
2) श्री हैबी ईडन द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तैनाती में नैतिक दिशानिर्देश और कानूनी ढांचा स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
3) डॉ. टी. आर. पारिवेन्धर द्वारा पीएमएवाई-जी के अंतर्गत घरों के निर्माण के लिए फ्लाई ऐश ईंटों के निर्माण के लिए पेरम्बुलर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत एनएलसी इंडिया लिमिटेड द्वारा फ्लाई ऐश की मंजूरी के बारे में।
4) डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. द्वारा तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के धर्मापुरी से सेलम खंड में थोपपुर घाट विस्तार के संरेखण के बारे में।
5) श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू द्वारा एलपीजी सिलेंडर के पुनर्भरण की कीमत में वृद्धि और खाना पकाने के लिए अन्य स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा दिए जाने के बारे में।
6) श्री राहुल रमेश शेवाले द्वारा जलवायु परिवर्तन के बारे में।
7) श्री गिरीश चन्द्र द्वारा सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आय सीमा को हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
8) श्री प्रिंस राज द्वारा समस्तीपुर और दरभंगा में पेयजल की कमी की समस्या के समाधान हेतु उठाये गये कदम के बारे में।

अपराह्न 1.11 बजे

8. सरकारी विधेयक – पारित

आवंटित समय: 1 घण्टे

लिया गया समय: 2 मिनट

(एक) केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 5 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

(दो) एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 5 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 1.13 बजे स्थगित हुई
और अपराह्न 1.30 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 1.30 बजे

9. विदाई संबंधी उल्लेख*

अध्यक्ष ने सत्रहवीं लोक सभा के बारहवें सत्र के समापन पर विदाई संबंधी उल्लेख किया।

अपराह्न 1.35 बजे

10. राष्ट्रीय गीत

राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

अपराह्न 1.36 बजे

(लोक सभा अपराह्न 1.36 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

*मूल हिन्दी में। विवरण के लिए, उस दिन का वाद-विवाद देखें।